S N: 164

ISSN No. : 2249-7242

Academic Views & Reviews

An International Journal of Education, Research & Innovation

www.aegop.com

Vol. No. 7 (No. 4) Jan. - March, 2018

Contents

1. Privatization of Insurance Sector in India — 1
   Tasneem Banu
2. Legal Perplexity: Allusion of Section 498-A IPC — 10
   Kusum Lata Bawlia
3. Promotion and Protection of Women with Reference to Constitution of India — 22
   Dr. Gobinda Chandra Sethi
4. An Empirical Study of Absenteeism Among Bank Employees — 30
   Dr. Ram Darshan
5. The Quest for Qatari National Identity and the Contribution of Shaikh Jassim bin Mohammad Al-Thani — 42
   Maheep
6. Phytoremediation: An Approach to Combat Eutrophication — 62
   Preeti Kaushik
7. Effect of Emotional Intelligence on the adjustment of Secondary School Student in relation to types of Management of Papumpare District (AP) — 68
   Tage Ampa and Prof. Elizabeth Hansing
8. A Study of the Attitude of Secondary School Teachers towards Inclusion of Disabled Children in Regular Classroom — 76
   Seema Rani and Dr. Poonam
9. Origin and Development of Family Courts in India — 86
   Aateka Bano and Dr. Arshad Hussain

Origin and Development of Family Courts in India

Aateka Bano (Researcher)* &
Dr. Arshad Hussain (Assistant Professor)
Department of Law SSJ Campus,
Almora – Kumaun University Nainital, 263001, (U.K).

1. CONCEPT OF FAMILY COURTS

Marriage is a social institution through which a man and a woman come closer to each other and start living together. Both the spouses act as complements to each other's dependency needs. Harmonious marital relationships between the spouses are required not only for the welfare of the family, but also for the society at large. However unsatisfying and stressful marital relations lead to family problems. It now realized the world that Litigation in regard to any matter concerning family, whether divorce, maintenance, custody, education and financial support for children or a trial of juvenile offenders should not be viewed in terms of failure or success of legal actions, but it is treated as a social therapeutic problem needing a solution. It should be viewed as a litigation in which parties and their counsel are engaged in resolving family conflicts where human consideration overweigh everything else. The resolution of family conflicts requires special procedures-procedures designed to help people in trouble, to reconcile and resolve their differences, and where necessary, to provide assistance. This means that, the traditional adversarial procedure has to be modified and replaced by an informal procedure.[1] In our system today family matters are entrusted to the district judge (unless delegated to a subordinate court) who is well-versed in ordinary civil and criminal trials He tries family matters in usual manner with the normal adversarial procedure In other words, the judge who tries claims for breach of contract or tort, claims for motor vehicle accidents, and crimes like rape and murder, also tries all matrimonial matters including custody of children and spousal maintenance. It is realized that adjudication of family is entirely a different matter, and a different culture. It has a different jurisprudence.[2] The court adjudicating

Origin and Development of Family Courts in India

Aateka Bano (Researcher)* &
Dr. Arshad Hussain (Assistant Professor)
Department of Law SSJ Campus,
Almora – Kumaun University Nainital, 263001, (U.K).

1. CONCEPT OF FAMILY COURTS

Marriage is a social institution through which a man and a woman come closer to each other and start living together. Both the spouses act as complements to each other's dependency needs. Harmonious marital relationships between the spouses are required not only for the welfare of the family, but also for the society at large. However unsatisfying and stressful marital relations lead to family problems. It now realized the world that Litigation in regard to any matter concerning family, whether divorce, maintenance, custody, education and financial support for children or a trial of juvenile offenders should not be viewed in terms of failure or success of legal actions, but it is treated as a social therapeutic problem needing a solution. It should be viewed as a litigation in which parties and their counsel are engaged in resolving family conflicts where human consideration overweigh everything else. The resolution of family conflicts requires special procedures-procedures designed to help people in trouble, to reconcile and resolve their differences, and where necessary, to provide assistance. This means that, the traditional adversarial procedure has to be modified and replaced by an informal procedure.[1] In our system today family matters are entrusted to the district judge (unless delegated to a subordinate court) who is well-versed in ordinary civil and criminal trials He tries family matters in usual manner with the normal adversarial procedure In other words, the judge who tries claims for breach of contract or tort, claims for motor vehicle accidents, and crimes like rape and murder, also tries all matrimonial matters including custody of children and spousal maintenance. It is realized that adjudication of family is entirely a different matter, and a different culture. It has a different jurisprudence.[2] The court adjudicating

S N: 172

ISSN No : 0975-1319

DCP LIC No. F.2/G/39/Press/2008

Global Education Society and Development

An International Journal of Academicians

GESD

Vol. No. 9 (No. IV) January - March, 2018

04

PRIVACY IN CYBER SPACE: A STUDY WITH FUNDAMENTAL ... *Dr. Yogendra Singh*	6-9
RIGHT TO FREEDOM OF SPEECH AND EXPRESSION VIS-À-VIS .. *Anjum Parvez & Vivek Kumar Rathour*	10-13
EMPOWERMENT OF WOMEN THROUGH PROVISIONS OF MAINTENANCE UNDER HINDU LAWS *Dr. Laxmikanta Das*	14-18
THE MENACE OF WHITE COLLAR CRIMES *Snigdha Kuriyal*	19-24
MAPPING THE SHIFTING PARADIGMS OF JUDICIAL REVIEW IN.. *Dr. Anil Kumar Thakur*	25-34
POLICE STATE TO WELFARE STATE: A MYTH OR REALITY *Dr. Rajeev Kumar Singh & Rohit Thakur*	35-41
CYBER CRIME AND ITS PREVENTION: CHALLENGE BEFORE INDIAN TECHNO LEGAL SYSTEM *Dr. Vijay Srivastava & Archana Singh*	42-46
RIGHT TO PRIVACY AND DATA PROTECTION LAWS *Rajeev Ranjan & Shivam Tyagi*	47-53
A LEGAL REVIEW ON MINAMATA CONVENTION ON MERCURY *Jemima K Yeptho*	54-60
JUDICIAL ANALYSIS OF MATERNITY BENEFIT ACT, 1961 IN ... *Rakesh*	[illegible]
HUMAN TRAFFICKING FOR THE PURPOSE OF DOMESTIC ... *Navneet Arora*	[illegible]
CUSTODIAL BRUTALITY VIS A VIS HUMAN RIGHTS JURISPRUDENCE *Shikha Mishra & Uday Veer Singh*	[illegible]
PROTECTION OF CHILDREN UNDER [illegible] *Dr. Sarita Gupta*	[illegible]
RIGHT TO HEALTH AND SCHEMES [illegible] FOR PERSONS WITH DISABILITIES *A. K. Navin*	[illegible]
LEGAL CONTROL [illegible] [illegible]	[illegible]
LEGAL FRAMEWORK [illegible] TRAFFICKING [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

GLOBAL EDUCATION, SOCIETY AND DEVELOPMENT

ISSN No. : 0975-1319

Editorial Board

Founder Editor	:	Dr. Intakhab Alam Khan	–	Education & Peace
Editor (s)	:	A. Naseeb Khan	–	ELT, Book Review & Comparative Religion
	:	Prof. A. K. Kapoor & Dr. KKN Sharma	-	Anthropology
	:	Dr. Alka Singh	–	English Literature
	:	Geeta Katarya	–	Sociology & Childhood Studies
	:	Dr. Deo Narayan Ram	–	English Literature
	:	Dr. K.S. Thakur & Dr. Pardeep Kumar	-	Commerce, Management & Business Studies.
	:	Dr. Bidya Shankar Bibhuti	–	Environmental Studies and Human Rights
Consulting Editor (s)	:	Dr. Dinesh Sharma	–	Humanities and Social Sciences
	:	Prof. Aftab Kamal Pasha	–	International Politics
	:	Prof. B. N. Mehrish	–	International Studies and Human Rights
	:	Prof. I.S. Asthana	–	Philosophy of Education, Cultural & Heritage
	:	Dr. Bansidhar Barik	–	Philosophy & Religion
	:	Dr. R. S. Gupta	–	Semiotics & Law
	:	Dr. Amarendra Narayan 'Amar'	–	Business Organiation, Commerce, Management & Marketing
Publishers / Printer	:	Rajkumar Gupta	-	Academic Excellence, Delhi.

VOL. 9 No. IV, January - March, 2018

Periodicity of Publication – Quarterly

A Refereed, Multidiscipilinary, International Journal

Founder Editor : Intakhab Alam Khan
G-85, Abul Fazal Enclave,
Jamia Nagar, New Delhi – 25 (India)

Publisher and Printer : **Rajkumar Gupta**
ACADEMIC EXCELLENCE
Saraswati House, U-9, Subhash Park,
Uttam Nagar, New Delhi - 110059 (India)
Tel.: +91-11-25333263 & 64, 09911242336
e-mail # rkgpost@gmail.com

All Rights reserved. No part of the publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording and / or otherwise, without the prior written permission of the publishers.
The view / ideas expressed by the contributors are strictly their own.
The editor and the publisher do not necessarily subscribe to them.

Printed in India : Printed at Sharp Digital Prints Pvt. Ltd., New Delhi

Contents

1.	Empowering Women in India with Reference to Governmental Schemes **Dr. Gobinda Chandra Sethi**	1
2.	Women Right to Ancestral Property under Hindu Law – Analysing the Legal framework under the Hindu Succession Amendment Act 2005 **Kusum Lata**	10
3.	Rights and Entitlements of Persons with Disabilities in India **Dr. A. K. Navin**	26
4.	Severity of Dysphagia & Aspiration Risk Among Stroke Patients **Mr. Sibin**	40
5.	Nationalization of India's Life Insurance **Tasneem Banu**	47
6.	A Study on Influence of Demographic Factors on Awareness of Consumer Rights Among Rural Consumers **Dr. Ram Darshan**	58
7.	Protection of Right to Water in the Era of Climate Change **Shailesh Dhyani**	65
8.	Right Against Inhuman Treatment with References to Domestic Workers in India **Renu Rani**	81
9.	Plant Tissue Culture and its impact on Agriculture in India: A Review **Preeti Kaushik**	88
10.	Effect of Emotional Intelligence on the Adjustment of Secondary School Student of Papumpare District (AP) in relation to Gender **Tage Ampa and Prof. Elizabeth Hansing**	94
11.	A Study of Adjustment Problems and Academic Achievement of Secondary School Children of Single-Parent and Nuclear Families. A Study of Adjustment Problems and Academic Achievement of Secondary School Children of Single-Parent and Nuclear Families **Seema Rani and Dr. Poonam**	101

S N: 281

IIJ Impact Factor : 2.206

ISSN : 2395 - 5104

शब्दार्णव Shabdarnav

International Peer Reviewed Journal of Multidisciplinary Research

Year 4 Vol. 8, Part-I July-December, 2018

Scientific Research
Educational Research
Technological Research
Literary Research
Behavioral Research

Editor in Chief

DR. RAMKESHWAR TIWARI

Assist. Professor, Shree Baikunth Nath Pawahari Sanskrit Mahavidyalay
Baikunthpur, Deoria

Executive Editors

DR. KUMAR MRITUNJAY RAKESH

MR. RAGHWENDRA PANDEY

Published by

SAMNVAY FOUNDATION

Mujaffarpur, Bihar

आतंकवाद के उन्मूलन में संस्कृत साहित्य का योगदान

डॉ0 लज्जा भट्ट*

वैदिक तथा लौकिक दो भागों में विभक्त संस्कृत साहित्य में लिखी गई कृतियाँ किसे आनन्दित नहीं करती संस्कृत साहित्य के अध्ययन मात्र से ही हृदय में दिव्य भावों का स्फुरण होता है। उक्त साहित्य के अन्तर्गत लिखी गई रचनाएँ मनुष्य के हृदय में करूणा, विश्वबन्धुत्व की भावना, मानवता, अहिंसा, प्रेम सत्य तथा शान्ति का संचार करती हैं। सम्पूर्ण विश्व वर्तमान में अशान्त, भ्रान्त तथा क्लान्त दिखाई देता है। न केवल भारतवर्ष अपितु समस्त विश्व आज आतंकवाद के ताण्डव नृत्य को देखकर भयभीत है, सभी आतंकवाद की समस्या से जूझ रहे हैं, अनेक देशभक्त, युवा, बालक, वृद्ध, निरपराधी, सज्जन आदि सभी अकारण ही आतङ्कवाद से पीड़ित हैं। सम्पूर्ण विश्व में सुरसा की भाँति मुँह फैलाए हुए आतङ्कवाद की समस्या सभी राष्ट्राध्यक्षों, समाजसेवकों तथा शान्तिप्रिय लोगों को व्याकुल तथा पीड़ित कर रही है।

आतङ्कवाद रूपी इस विषवृक्ष को जड़ से उखाड़ फेंकने हेतु सभी देशों द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं। एक ही देश के अन्तर्गत एक राज्य में लगभग लाखों सैनिक विविध लोगों की रक्षा हेतु तत्पर दिखते हैं। इस कार्य में देश का अपरिमित धन व्यय होता है। जिस धन का प्रयोग देश के सर्वाङ्गीण विकास हेतु किया जाना चाहिए उसका प्रयोग मात्र आतङ्कवाद के शमन हेतु किया जाता है, यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है। यदि हम आतङ्कवाद में मूल में देखें तो यह समस्या मनुष्य के नकारात्मक (अशिव) चिन्तन से ही उत्पन्न होती है, नकारात्मक चिन्तन व्यक्तित्व को खण्डित कर देता है। जिसके कारण व्यक्ति दुर्गुण, दुर्व्यसन, कुविचारों की रस्सियों में बँध जाता है, फलस्वरूप विवेकशून्य सा होता हुआ आतङ्कवाद जैसी समस्याओं को उत्पन्न करता है।

इस अकल्याणवादी तथा भीषण समस्या का समाधान अशिव (नकारात्मकता) को छोड़कर शिव (सकारात्मक) अर्थात् कल्याणकारी चिन्तन करने से ही हो सकता है। तथा यह चिन्तन वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, श्रीमद्भगवद्गीता आदि के अध्ययन अथवा कविकुलगुरूकालिदास सदृश स्वनामधन्य कवियों द्वारा रचित महाकाव्य, नाटक, अथवा गीतिकाव्य आदि के अध्ययन से सम्भव प्रतीत होता है।

वैदिक साहित्य के अन्तर्गत वेदों में प्राप्त विविध मन्त्र हमें जीवन को श्रेय तथा उत्तम मार्ग में ले जाने का उपदेश देते हैं। जो मनुष्य निरन्तन वेदाध्ययन करते हैं, उपनिषद्, रामायण, महाभारत, श्रीमद्भगवद्गीता आदि का श्रद्धापूर्वक अध्ययन करते हैं वे कभी भी हिंसक कर्म करने हेतु उद्यत नहीं हो सकतें क्योंकि इन ग्रंथों में सदैव परहित साधना, परसेवा, आत्मसाधना का उपदेश मिलता है। हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, हिंसा–हिंसा को ही जन्म देती है। विनाश से मात्र विनाश ही पैदा हो सकता है, निर्माण नहीं, चेतन हो या फिर जड़ जगत् सबके प्रति आत्मवत् व्यवहार किये जाने की आवश्यकता है–

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सते।। (यजुर्वेद 40/6)

ऋग्वेद में सकारात्मक चिन्तन के स्वरूप का प्रतिपादन करने हेतु कहा जाता है–

स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव।
पुनर्ददताऽघ्नता जानता संगमेमहि ।। (ऋग्वेद 5/51/15)

ऋषि कहते हैं– हमें सूर्य तथा चन्द्रमा के समान कल्याण के मार्ग का वरण करना चाहिए, साथ ही हमें दान करते हुए, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए, तथा एक–दूसरे को जानते हुए मिलकर साथ चलना चाहिए। वेद सभी को अमृतपुत्र कहते हैं– **श्रृण्वन्तु सर्वे अमृ तस्य पुत्राः।**

*असि0 प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, कुमाँऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल

वैदिक ऋषि मानवता का सन्देश देते हैं– **अन्योऽन्यमभिहर्यत वत्सं जातमिवाघ्न्या।**

जिस देश में, समाज में, परिवार में तथा लोगों में एक दूसरे के प्रति कल्याण की भावना हो वहाँ स्नेह–सरिता निरन्तर प्रवाहित होती है, वहाँ कटुता, हिंसा, आतङ्कवाद आदि का नाम कभी भी सुनाई नहीं देता। जो मनुष्य दूसरे के हित तथा कल्याण की कामना करता है उसका कल्याण तो स्वयं सिद्ध है। कल्याण की भावना ही मनुष्य को सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठापित करती है। यथा – **"शन्नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे"** (ऋग्वेद 7/54/1) हम प्रतिदिन देखते हैं कि मनुष्य प्रायः दूसरे के धन इत्यादि को बलपूर्वक हरकर स्वयं भोगने की इच्छा करता है किन्तु वैदिक ऋचाएँ कहती हैं–

केवलाघो भवति केवलादी (ऋग्वेद 10/117/6)।

शतहस्त समाहर सहस्त्रहस्त संकिर (अर्थवेद 3/24/5)।

वैदिक चिन्तन कहता है– हम सब मिलकर भोजन करें। यजुर्वेद में कहा गया है –

'सग्धिश्च में सपीतिश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम्' (यजुर्वेद 18/9)

जिस समाज में लोग अपने–अपने दायित्व का निर्वाह स्वेच्छा से करते हैं, वहाँ आंतकवाद जैसी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। यह समाज तथा राष्ट्र की उन्नति हेतु नितान्त आवश्यक है। वेदों में सभी प्राणियों को मित्रवत् देखने का सन्देश दिया गया है–

मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्।
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे।
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ।। (यजुर्वेद 36/18)

समाज में एक दूसरे को जानते हुए अर्थात् दूसरे की आवश्यकताओं को समझते हुए हम चलें तभी उन्नति हो सकती है। ऋग्वेद में इस प्रकार से परस्पर प्रेम के महत्व का प्रतिपादन किया गया है–

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथापूर्वे संजानानां उपासते।। (ऋग्वेद 10/191/1)
समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्।
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि।। (ऋग्वेद 10/191/3)
समानीव आकूतिः समाना ह्रदयानि वः।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति।। (ऋग्वेद 10/19/1)

जब सभी को मित्रदृष्टि से देखा जायेगा तो शत्रुता, ईर्ष्या तथा मनोमालिन्य का भाव उत्पन्न ही नहीं होगा। विश्वकल्याणकारी सर्वसुखकारी ऐसा वैदिक चिन्तन वर्तमान के सन्दर्भ में सर्वथा प्रासङ्गिक तथा सभी के लिए हितकारी है–

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभागभवेत्।।

प्रजा के षष्ठांश से अपनी जीवनचर्या सम्पादित करने वाला नाटककार का राजा लोक कल्याणकारी दृष्टि रखते हुए सूर्य, वायु, तथा पृथिवी के समान अविश्रान्त रूप से शासन के उत्तरदायित्वों का वहन करता है–

भानुः सकृद्युक्ततुरंग एव रात्रिं दिवं गन्धवहं प्रयाति।
शेषः सदैवाहित–भूमिभारः षष्ठांशवृत्तेरपि धर्म एषः।। (मालविकाग्निमित्रम् 5/4)

यदि इस प्रकार की भावना सभी में व्याप्त हो जाय तो आतङ्कवाद का नाममात्र भी शेष न रहे। इसके अतिरिक्त **समतायाः समेष्टभावना, वसुधैवकुटुम्बकम्, यत्रविश्वं भवत्येकनीडम्, माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः** आदि अनेक वैदिक साहित्य सन्देश हैं। ऋग्वेद के अनुसार सभी को मिलकर परम ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में न कोई ज्येष्ठ है न कनिष्ठ, यथा– **अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते, संभ्रातरो वावृधुः सौभगाय।।** (ऋग्वेद 5/60/5)

विविध मानवीय गुणों का वर्णन अर्थववेद में इस प्रकार किया गया है–

ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि यौष्ट संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः।
अन्योऽन्यस्मै वल्गुवदन्त एव सध्रीचीनान् वः संमनसंस्कृणोमि।। (ऋग्वेद 3/30/5)

विश्वशान्ति की कामना करते हुए वेद कहते हैं–

शन्नो मित्रः शं वरूणः शन्नो भवन्त्वर्यमा।
शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरूरूक्रमः।।
शान्तिः द्यौः शान्तिः पृथिवी शान्तमिदमुर्वन्तरिक्षम्।
शान्ता उदन्वतीराप शान्ताः न सन्त्वौषधिः।। (यजुर्वेद 36/17)
स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याच्चन्द्रमसाविव।
पुनर्ददताऽनता जानता संगमेमहि।। (ऋग्वेद 5/51/15)

वेदों, उपनिषदों आदि में यत्र–तत्र–सर्वत्र ऐसे उपदेश दियें गये हैं जिनका अध्ययन कर मनुष्य कभी भी हिंसा, अत्याचार, आतङ्कवाद आदि कर्मों में लिप्त नहीं रह सकता, रामायण, महाभारत आदि के विविध श्लोक प्रेम, एकता, अहिंसा आदि की प्रेरणा देते हैं।

संस्कृत भाषा देवभाषा कही जाती है, तथा देवता कभी किसी के अहित की आकांक्षा नहीं करते। महाकवि कालिदास विरचित नाटकों में नान्दी पाठ, भरतवाक्य आदि में कल्याणकारी सन्देश प्राप्त होते हैं। यथा–

प्रवर्त्ततां प्रकृतीहिताय पार्थिवः, सरस्वती श्रुति महती महीयताम्।
ममापि च क्षपयतु नीललोहितः, पुनर्भवं परिगत शक्तिरात्मभू।।

(अभिज्ञानशाकुन्तलम् 7/34)

वर्तमान समय में मनुष्य की स्वार्थपरता के कारण समाज अनेक ज्वलन्त समस्याओं से जूझ रहा है। अलगाववाद, आतंकवाद तथा साम्प्रदायिकता के परिणामों को कितने तथा किन–किन रूपों में भोगना शेष है, यह सोचकर हृदय कम्पित हो उठता है। इस स्थिति में संस्कृत साहित्यिक ग्रन्थों के अध्ययन से ही उक्त समस्याओं से छुटकारा पाने में सहायता मिल सकती है। यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि संस्कृतज्ञ कभी भी विध्वंस, आतंकवाद आदि दुष्कर्मों में लिप्त नहीं रह सकते, वे तो हमेशा सभी के हित की कामना करते हैं।

सन्दर्भ :

1. अथर्ववेद, सम्पादक श्री रामशर्मा आचार्य, चतुर्थ संस्करण 1977, चौखम्बा प्रकाशन, नई दिल्ली
2. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, कालिदास, द्वितीय संस्करण, 1967, चौखम्बा प्रकाशन, नई दिल्ली
3. ऋग्वेद, सम्पादक श्री राम शर्मा आचार्य, द्वितीय संस्करण 1955, गीताप्रेस, गोरखपुर
4. मालविकाग्निमित्रम्, कालिदास, चतुर्थ संस्करण 2012, चौखम्बा प्रकाशन
5. यजुर्वेद, सम्पादक श्रीरामशर्मा आचार्य, चतुर्थ संस्करण, 1969, गीता प्रेस गोरखपुर वाराणसी

S N: 282

Impact Factor : 1.7099/2018
UGC SL. No. : 64684

ISSN No. 2348-1315 (New Delhi)

INDIAN RESEARCH BULLETIN

Quarterly Referred Research Journal

Volume - XVII Issue - I
March 2018 - June 2018

Ranking Journal

B.R. International Publication House

NK's IRB

Join us :-
ketanparkar@gmail.com
vishalparkar0@gmail.com
ketanparkar@gmail.com

Editor
Dr. Ketan Kumar

S.No.	Topic	Author's	Pages
17.	E-Consumers and Indian Economy: An Impact Evaluation and Future Challenges	* Menhi Prasad Yadav	99
18.	Carbon Nanotube and their Behaviour in AC Field	* Dr. Rabiya Tarannum	105
19.	मुंशी प्रेम चंद्र : भारत के महान लेखक और उपन्यास कार्य	*रघुनंदन हजाम	111
20.	Effect of Dihydric Alcohol on the Alkali Catalysed Solvol of Phthalate Ester	*Dr. Ranjit Singh	117
21.	भारत में बिहार के दलितों की अवस्थाओं का गवेषणात्मक अध्ययन	* डॉ० रीना झा	120
22.	Environmental Protection in India: A Critical Study of Its Problem and Perspective	* Prof. (Dr.) S. K. Sharma	125
23.	"6–12 वर्ष के बच्चों के समस्यात्मक व्यवहार के प्रति अभिभावकों के प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन"	* साक्षी	131
24.	कोशल महाजनपद में बौद्ध धर्म का विकास : एक ऐतिहासिक अनुशीलन	* **सतीश कुमार सिंह**	140
25.	प्रहसन में अंगीरस हास्य का महत्त्व	* सीमा शर्मा	146
26.	पदस्वरूप एवं पदविभाग	* प्रो० जया तिवारी	149
27.	Insect Pest and Fungi Responsible for the Deterioration of Eggplant (solanumspp): An Overview	* Bibha Singh	157
28.	उपभोग और आर्थिक विकास : एक शास्त्रीय दृष्टिकोण	* अरूण कुमार	164
29.	Role of Teacher and School Management Committee Members for Development of Educational Activities of Senior Secondary Schools in Bihar	* Kumari Archana	169
30.	Strategic Human Resource Management in Commercial Bank: A Case Study of UCO Bank Bhagalpur	* Ketan Kumar	173
31.	Feeding Tradition, Breeding Season And Nesting Activities Of Local And Migratory Water Birds Of Mukutmanipur Dam, Bankura West Bengal India	* Partha Sarathi Basu[1] Dr. R. K. Singh[2] Dr. Shweta Sao[3] *	182

Indian Research Bulletin
Quarterly Referred Research Journal
ISSN No. 2348-1315 (Volume XVII Issue - I)
Research Article
March 2018

पदस्वरूप एवं पदविभाग

प्रो0 जया तिवारी,
संस्कृत विभाग,कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल उत्तराखण्ड

सामान्य लोकव्यवहार में प्रयुक्त वर्णों के समूह को शब्द माना जाता है लेकिन पारिभाषिक रूप में सार्थक, एक अर्थ के बोधक एवं प्रयोग योग्य वर्णों के समूह को पद रूप में व्यवहृत किया गया है। वैयाकरणों ने व्यवहार एवं प्रक्रिया ज्ञान के लिए पद की सत्ता स्वीकार की है। प्राचीन वैयाकरण आचार्य इन्द्र ने अर्थ को ही पद कहा है– अर्थः पदमाहुरैन्द्राः। (सषेण विद्याभूषण, कलाप चन्द्रिका) वैदिक ग्रन्थों में भी पद स्वरूप को परिष्कृत करते हुए पद का महत्त्व स्वीकार किया है तथा जिससे अर्थ की प्रतीति हो वह पद कहे गये हैं–अर्थाभिधायकं पदम्, पद्यते गम्यते ज्ञायतेऽर्थोऽनेनेति पदम्। (वाजसनेयी प्रातिशाख्य। उब्बट भाष्य 3/2)

वैयाकरणों में पाणिनि ने वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही सार्थक स्वीकार किया है। उदाहरणार्थ गृहं गच्छामि इसमें दो अर्थतत्त्व हैं गृह और गम्। इनका वाक्य में तभी प्रयोग हो सकता है जब संज्ञा शब्द में कारक विभक्ति और क्रिया गम् में धातु–रूपों का योग हो अर्थात् गृहं और गम् को गच्छामि रूप बनाना पड़ता है। इस प्रकार शब्द का जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तब सम्बन्धतत्त्व से जुड़कर वह पद रूप धारण कर लेता है। अतः उक्त दृष्टि से सुबन्त और तिङन्त की ही पद संज्ञा स्वीकार्य है। व्याकरणशास्त्री केवल सुप्, तिप् को ही प्रकृति मानते हैं। आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी में पद की– सुप्तिङन्तं पदम्। (अष्टाध्यायी 1.4.14) रूप से परिभाषा परिभाषित की है। महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा है कि अर्थ बोधक प्रकृति से ही अर्थ बोध नहीं होता और न ही केवल प्रत्यय से – न केवला प्रकृति प्रयोक्तव्या नापि केवलः प्रत्ययः। (महाभाष्य 1.2.64)

इतरदार्शनिक न्याय, वैशैषिक एवं मीमांसकों में अभिहितान्वयवादी ने पद एवं पदार्थ को सैद्धान्तिक रूप में मान्यता प्रदान की है। न्यायदर्शन के अनुसार शक्ति या अर्थ युक्त शब्द पद है। ये प्रकृति और प्रत्यय दोनों को पद मानते हैं –शक्तं पदम्। (तर्क संग्रहः पृ0 183 आचार्य आनन्द झा) केशव मिश्र ने वर्णों के समूह को जिससे एक ही अर्थ की प्रतीति होती है पद नाम से अभिहित किया है–पदं च वर्णसमूहः। (तर्कभाषा पृ0 141) न्यायसूत्र टीका में गंगानाथ झा ने विभक्त्यन्त समूह को पद माना है–शब्द क्रियायाम् शब्द क्रिया तु वाक्यार्थबोधः सा क्रियते येन विभक्त्यन्त समूहेन, स शब्दः प्रमाणम्। (न्यायसूत्र टीका, 1.3) जयन्त भट्ट ने पद की पृथक् सत्ता स्वीकार न करके वर्णों के समुदाय का वाचक मानकर पद का स्वरूप निर्धारित किया है। (न्यायमञ्जरी पृष्ठ 355)

मीमांसक वर्णों को अर्थ का बोधक एवं इन्हें नित्य मानते हैं। वर्णों के समूह रूप में ही पद की सार्थकता मानते हुए ये पद को वर्णों या अक्षरों से व्यतिरिक्त नहीं मानते। इस दृष्टि से इन्होंने अक्षरों को ही पद रूप में व्यवहृत माना है–तस्मादक्षराण्येव पदम्। अतो न तेभ्यो व्यतिरिक्तमन्यत् पदं नाम। (शाबर भाष्य मीमांसा 1/5) कुमारिल भट्ट ने भी वर्णों के समूह को वाचक माना है। पदस्वरूप की पृथक् व्याख्या न करके वर्ण समुदाय की वाचकता के सन्दर्भ में पद को वर्णों का समूह माना है– द्वये सत्यपि तेनात्र विज्ञेयोऽर्थस्य वाचकः वर्णाः किं नु क्रमोपेताः किं नु वर्णाश्रयः क्रमः। क्रमः क्रमवतामङ्गमिति किं युक्ति साध्यता धर्ममात्रमसौ तेषां न वस्तुमिष्यते। (श्लोकवार्तिक शब्दनित्यताधिकरण पृष्ठ 265–266) भगवानउपवर्ष भी मीमांसकों के सिद्धान्त के पक्षपाती हैं। शाबर–भाष्य के वेदान्त सूत्र में भगवानउपवर्ष का मत प्रतिपादित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि ये वर्णों को ही पद मानते हैं। शबर–भाष्य की मीमांसा में भी भगवानउपवर्ष का शब्दविषयक यह मत उल्लेखित किया है कि जिसके उच्चारण से अर्थ की प्रतीति होती है वे वर्ण ही शब्द हैं– वर्णा एव तु शब्द इति भगवानुपवर्षः। (शंकर–भाष्य वे0सू0 1.3.28), गौरित्यत्र कः शब्दः। गकारौकार विसर्जनीयाः इति भगवानुपवर्ष (शबर–भाष्य–मीमांसा 1.1.5)

अनेक आचार्यों ने पद को शब्द नाम से ही व्यवहृत किया है– येनोच्चारितेन अर्थः प्रतीयते, तर्हि वर्णाः एव शब्दः। (श्रृंगार–प्रकाश तृ0प्र0 123) भोजराज के अनुसार जिससे अर्थ की प्रतीति होती है वह पद है–तत्र पद्यतेऽनेनार्थः इति पदम्। (श्रृंगार प्रकाश, तृ0प्र0 पृष्ठ–85) काव्यमीमांसक राजशेखर ने नैयायिकों के पदस्वरूप सम्बन्धी दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए पद की परिभाषा निरूपित की है। इनके अनुसार अभिधेय युक्त शब्दार्थ ही पद है–व्याकरणस्मृति निर्णीतः शब्दः निरुक्तः निघण्टादिभिर्निर्दिष्टः तदभिधेयोऽर्थः। तौ पदम्। (काव्यमीमांसा–पृष्ठ– 21) साहित्यशास्त्र में भी वाक्यार्थज्ञान के लिए पदार्थज्ञान की अनिवार्यता स्वीकार की गई है। मीमांसकों के पद स्वरूप का समर्थन करते हुए भी साहित्यशास्त्री विश्वनाथ ने वर्णों के समूह को पद नहीं माना अपितु इनके अनुसार अनन्वित, एकार्थबोधक प्रयोग–योग्य वर्णों का समूह ही पद है–वर्णाः पदं प्रयोगार्हानन्वितैकार्थबोधकाः। (साहित्यदर्पणः द्वि0परि0.)

व्याडि के मतानुसार अर्थ एवं वर्ण संघात का नाम पद है–पदं साभिधेयम् पदात् वाक्यार्थ निर्णयः पद संघातज वाक्यम् वर्ण संघातजं पदम्। (वाक्यपदीय 1/26 में उदधृत संग्रह का श्लोक) अन्य वैयाकरणों ने व्यावहारिक रूप में पद को वाक्यार्थ ज्ञान के प्रति उपादेय मानकर शब्द और अर्थ इन दोनों को पद का विभक्त रूप माना है–वाक्यपदीय 2/347।

भारतीयदर्शन के शब्दतत्त्व विमर्शक आचार्यों ने पद–विभाग के सम्बन्ध में अनेक मत स्थापित किये हैं– द्विधा, कैश्चित् पदं भिन्नं चतुर्धा पंचधाऽपि वा अपोद्धृत्यैव वाक्येभ्यः प्रकृतिप्रत्ययादिवत्।। (वाक्य0 3/1) अति पुरातन काल के आचार्यइन्द्र ने पद का आधारभूत अर्थ ही माना है–अर्थः पदमैन्द्राणाम्। (निरुक्त भाष्य 1/1/8) इनके अनुसार पदों में अर्थ की बोधिका एक–मात्र अर्थत्व जाति है। फलस्वरूप इन्होनें पद–विभाग के सम्बन्ध में अर्थ रूप एक ही पद को मान्यता प्रदान की है।

आचार्यपाणिनि के अनुसार पद–विभाग का विवेचन करने से यह प्रतीत होता है कि ये सुबन्त और तिङन्त को ही पद मानते हैं। अन्य आचार्यों के अनुसार स्वीकृत उपसर्ग और निपात का अन्तर्भाव ये इन्हीं में कर लेते हैं। ये पृथक् रूप से उपसर्ग और निपात का पदरूप में उल्लेख नहीं करते हैं। वाचक शब्दों में प्रकृति और प्रत्यय इन दो विभागों को ही मान्यता प्रदान की गयी है। प्रकृति भी प्रातिपादिक एवं धातु के भेद से दो प्रकार की होती है। प्रातिपादिक प्रकृति– स्त्रीप्रत्यय, सुप् एवं तद्धित रूप से अनेक प्रकार की हैं। धातु प्रकृति– तिङ् एवं कृत् ये दो हैं–तत्र वाचक शब्देषु प्रकृतिः प्रत्यय इति पाणिनेः परिभाषा। प्रकृतिर्द्विधा प्रातिपदिकं धातुश्च । सुपः स्त्री प्रत्ययस्तद्धितमिति विविधा प्रातिपादिक प्रकृतिकाः प्रत्ययाः । तिङ् कृदिति द्विविधा धातु प्रकृतिकाः। (पदवाक्य रत्नाकर, वचनार्थ विवरण पृष्ठ– 405)

बल्लभसम्प्रदाय के अनुसार शब्दों के वर्ण, पद, वाक्य रूप से भेद किये गये हैं। इनमें वर्णों को नित्य एवं व्यापक माना गया है। ये लौकिक वाक्यों को अनित्य मानते हुए वैदिक–वाक्यों को नित्य मानते हैं। इनके अनुसार पद सुबन्त और तिङन्त के भेद से दो ही प्रकार के माने गये हैं –पदद्वयं सुप्तिङन्तं ताभ्यां चलति वाक्यतिः। (तत्त्वार्थ–दीप–निबन्ध, सर्वनिर्णय प्रकरण – पृ0 145)

आचार्यभर्तृहरि ने वार्ताक्ष और औदुम्बरायण आचार्यों का उल्लेख किया है। ये आचार्य पद को दो ही प्रकार का मानते हैं। इनके अनुसार नाम अखण्डवाक्य रूपी शब्द तथा आख्यात प्रतिभा रूपी अर्थ ये दोनों ही पद ही के विभाग हैं–वाक्पदीय, 2/347 कतिपय आचार्य उपसर्ग और निपात को एक मानते हुए पद के तीन विभाग स्वीकार करते हैं। तात्त्विक दृष्टि से नाम और आख्यात ये दो ही पद के मुख्य विभाग हैं। तीन या पाँच नहीं। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से पद के चार प्रकार हैं। निरुक्तकार ने पदों को चार प्रकारों में विभक्त किया है–निरुक्त, 13/9

इसी का अनुगमन अधिकांश विद्वानों ने किया है। निघण्टु में एकत्रित सम्पूर्ण शब्दों को इन्हीं चार प्रकार में विभक्त करके ये इन्हें निर्वचन का विषय बताते हैं। कतिपय आचार्य "अति" आदि अव्यय वाचक पदों को कर्म प्रवचनीय के रूप में स्वीकार करते हुए इन्हें उपसर्गों से भिन्न स्वीकार करते हैं। इस दृष्टि से ये पद के नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात एवं कर्मप्रवचनीय भेद से पाँच प्रकार मानते हैं।

इतर वैयाकरण गति को भी पद का पृथक् भेद मानते हुए पद के छः प्रकारों का उल्लेख करते हैं। यास्क की दृष्टि में कर्म–प्रवचनीय और गति को उपसर्गों में ही अन्तर्भूत कर लेने के फलस्वरूप पद के चार प्रकार मानना ही समीचीन है। निरुक्त के प्रसिद्ध टीकाकार दुर्गाचार्य ने अन्य सभी आचार्यों के मतों को पूर्व पक्षीय बतलाकर यास्क के ही पद–विभाग को स्वीकार किया है। कौटिल्य ने "वर्ण संघातः पदम्" कहकर पद को चार प्रकारों में विभक्त माना है– तच्चतुर्विधं नामाख्यातोपसर्गानिपाताश्चेति। (कौटिल्यअर्थशास्त्र 2/10)

तात्त्विक दृष्टि से पद के सुबन्त और तिङन्त भेदों को मुख्यता प्रदान की गयी है। व्यावहारिक दृष्टि से उक्त चार प्रकार मानना आवश्यक है–चत्वारीति चतुर्ग्रहणमवधारणार्थम्, नैकं पद जातं,

यथार्थः पदमैन्द्राणामिति, नापि द्वे, यथा सुबन्तं तिङन्तंच, नापि त्रीणि निपातोपसर्गाविकतः कृत्वा, नापि पंच षड् वा, यथा गतिकर्मप्रवचनीय भेदेनेति । (निरुक्त 1/8)

आचार्य भर्तृहरि ने कर्मप्रवचनीय को निपातों में अन्तर्भूत किये जाने के कारण पद को चार प्रकार का ही माना – कर्म–प्रवचनीयास्तु निपातेष्वन्तर्भूता इति चत्वार्यन्ते। (महाभाष्य– त्रिपदी टीका 1/1/1) ये नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात हैं जिन्हें लोक और वेद में भी स्वीकार किया गया है। नाम पद– स्त्रीलिंग, पुलिंग एवं नपुंसकलिंग के रूप में एवं आख्यात पद– कर्तृ, भाव, कर्म एवं कर्तृकर्म वचन के रूप में, उपसर्ग पद आङ्, अप, अधि आदि के रूप में एवं निपात पद इव, नूनम् आदि के रूप में प्रयुक्त होते हैं।

इन चारों पदों में नाम और आख्यात–उपसर्ग और निपात से रहित होकर भी अपने अर्थ को प्रकाशित करते हैं। इस दृष्टि से नाम और आख्यात की प्रधानता तथा अन्य दोनों की अप्रधानता का उल्लेख किया गया है– उभेऽपि नामाख्याते निपातोपसर्ग निरपेक्षे अपि सती स्वमर्थं ब्रूतः, न तूपसर्पनिपातानां नामाख्यातनिरपेक्षाणामर्थोऽस्ति।

नामस्वरूप :–आचार्य यास्क के अनुसार सत्व या द्रव्य की प्रधानता जिसमें हो वे पद "नाम" हैं– सत्व प्रधानानि नामानि। (निरुक्त 1/1 निघण्टु भाष्यम् पृष्ठ 8) देवदत्तः आदि शब्दों का उच्चारण होने पर देवदत्तादि द्रव्य का ही प्रधान रूप से बोध–होता है। पठति, गच्छति आदि क्रियाओं का निश्चय नहीं हो पाता है। निरुक्त की टीका में भी नाम की परिभाषा स्पष्ट करते हुए सत्व की प्रधानता होने पर तथा क्रिया की अप्रधानता जहाँ हो वह नाम कहलाता है– निरुक्त दुर्गाचार्य टीका, पृ0सं0 14। जिन पदों में सत्त्व अर्थात् जाति, गुण एवं द्रव्य की प्रधानता हो वे नाम कहे जा सकते हैं। यह नामपद प्रकृति–प्रत्यय और विभक्ति तीनों का सम्मिलित रूप है।

आख्यातस्वरूप –आख्यात का तात्पर्य क्रिया वाचक पद से है। कहीं इसका प्रयोग केवल धातु के लिए कहीं केवल तिङ् के लिए होता है। अधिकतर आख्यात शब्द का प्रयोग तिङन्त पद के लिए ही होता है। निरुक्तकार के अनुसार "भाव प्रधानम् आख्यातम्" अर्थात् जहाँ प्रधान रूप से क्रिया और गौण रूप से द्रव्य का कथन हो वह "आख्यात" पद है – आख्यायतेऽनेन गुण भावेन। "आख्याते" प्रधान भावेन क्रिया अप्रधानभावेन च द्रव्यं यत्र तद् आख्यातम्– निरुक्त टीका। यथा पचति, व्रजति इत्यादि आख्यात पदों के श्रवण से क्रिया का निश्चय हो जाता है तथा यह प्रतीति होती है कि यहाँ पकाने या जाने की क्रिया हो रही है। उसके कर्ता का निश्चय नहीं हो पाता है। अतः ऐसे पदों से क्रिया की प्रधानता स्पष्ट हो जाती है। जहाँ नाम और आख्यात का एक साथ प्रयोग होता है वहाँ भी आख्यात की प्रधानता ही होती है –तद् यत्रोभे भाव प्रधाने भवतः। (निरुक्त – 1/1 पृष्ठ–4) आख्यात पदों का तीनों पुरुषों और तीनों कालों से सम्बन्ध होता–क्रियावाचकम् आख्यातं लिंगतो न विशिष्यते। त्रीन् अत्र पुरुषान् विद्यात् कालस्तु विशिष्यते।। निघण्टु भाष्य–1/1/1 पृष्ठ 13

ये पद कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य एवं कर्तृकर्मवाच्य रूप से चार प्रकार के हैं। इन सभी प्रकारों में क्रिया की प्रधानता तथा अविवक्षित द्रव्य की गौणता देखी जाती है यथा ' देवदत्तः पठति, पठ्यते, आस्यते, पच्यते स्वयमेव ' इन में क्रिया की प्रधानता–तत् पुनरेतच्चतुः प्रभेदमाख्यातं भवति। कर्तरि भावे कर्मणि कर्मकतरि चेति। निघण्टु भाष्य–1/1/1 पृष्ठ 13। तिङन्त पदों के भाव, कारक, संख्या तथा काल इन अर्थों में भाव की प्रधानता "आख्यात" पदों के प्रयोग में परिलक्षित होती है।

आख्यात के लक्षण की व्यवस्था के साथ ही इसकी शाब्दिक व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है– आख्याते प्रधानभावेन क्रिया, अप्रधानभावेन च द्रव्यं यत्र तद् आख्यातम् अर्थात् क्रिया की प्रधानता के तथा द्रव्य की अप्रधानता वाले पद "आख्यात" हैं। क्रिया की प्रधानता के कारण इसे "क्रियावाचकमाख्यातम्" से भी परिभाषित किया गया है। निरुक्तकार ने क्रिया के आरम्भ से लेकर उस क्रिया की समाप्ति तक होने वाली सभी क्रियाओं को आख्यात पद से अभिहित किया–पूर्वापरि भूतं भावमाख्यातेनाचष्टे व्रजति–पचतीत्युपक्रमप्रभृत्यपवर्गपर्यन्तम्। निघण्टु भाष्य 1/1 पृष्ठ – 13 ।

उपसर्गस्वरूप– क्रिया पदों से पूर्व प्रादि अव्यय उपसर्ग कहे जाते हैं। इनका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ–उपगृह्य आख्यातं तस्येव अर्थ विशेषं सृजन्ति ये ते उपसर्गाः हैं। ये उपसर्ग नाम और आख्यात के साथ प्रयुक्त होने पर उनका अर्थ में परिवर्तन करते हैं लेकिन कुछ आचार्य उपसर्गों को निरर्थक मानते हैं। अतः इनके सार्थक और निरर्थक के सम्बन्ध में आचार्यो ने इसकी विवेचना की है।

प्राचीन आचार्य उपसर्गों को द्योतक मात्र मानते हैं। इनके मत में उपसर्ग स्वतन्त्र रूप से विशिष्ट अर्थों को नहीं कहते हैं–न निर्बद्धा उपसर्गाः अर्थाभिराहुरिति शाकटायनः। (निरुक्त, उपसर्ग निर्णय 1/1) ये उसी प्रकार अर्थ के द्योतक हैं जिस प्रकार दीपक पूर्व से विद्यमान अन्धकार से अदृष्ट वस्तुओं का द्योतक होता है–नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोगद्योतक भवन्ति। स एष नामाख्या तयोरेवार्थविशेष उपसर्ग संयोगे सति व्यज्यते। यथा प्रदीपसंयोगे द्रव्यस्य गुण विशेषोऽभिव्यज्यमानो द्रव्याश्रय एवं भवति, न प्रदीपाश्रयः। (निघण्टु भाष्य– पृष्ठ 34) कुछ आचार्यों के अनुसार पदों से अलग हुए वर्णों में अर्थ बोधन की शक्ति नहीं होती उसी प्रकार नाम और आख्यात के अभाव में इनमें अर्थ–बोधन की शक्ति नहीं होती है।

व्याकरणों ने भी उपसर्गों को अर्थ का द्योतक माना है। यथा "स्था" धातु "तिष्ठति" प्रयोग में ठहरने अर्थ को तथा "प्रतिष्ठते" में प्र उपसर्ग के प्रयोग से प्रस्थान अर्थ अथवा जाने अर्थ को बताता है। अतः इनके मत में "प्र" उपसर्ग "स्था" "धातु का अर्थ "ठहरना न " होकर जाना है "इसका द्योतन करता है। (महाभाष्य– 1/3/1) आचार्य गार्ग्य के मत में उपसर्ग नाम और आख्यात की भाँति पृथक् पद है। ये द्योतक न होकर अर्थ के वाचक हैं तथा नाम और आख्यात पदों के अर्थों में विकार उत्पन्न कर देते हैं। उपसर्गों के संयोग से इनके अर्थों में भिन्नता होने से ही इनकी वाचकता सिद्ध होती है।

वेदों में भी अनेक स्थानों पर केवल उपसर्ग अपने अर्थ से विशिष्ट क्रिया को कहने के कारण वाचक माने गये हैं। पतंजलि उपसर्गों को द्योतक मानते हैं लेकिन उनके स्वतन्त्र प्रयोगों एवं उनसे होने वाले विशिष्ट अर्थों को देखकर उसकी वाचकता को भी स्वीकार करते हैं। यास्क भी गार्ग्य के मत से सहमत होकर उपसर्गों की वाचकता के पक्षधर हैं। अतः उपसर्ग युक्त नाम तथा आख्यात के अर्थों में भिन्नता का कारण उपसर्गों के स्वतन्त्र अर्थ का सूचक है। उपसर्गों से युक्त क्रिया होने के कारण प्रहार, संहार, विहार आदि की धातु के साथ प्रयुक्त होने पर उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है– उपसर्गाः धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते। प्रहाराहारसंहारविहार परिहारवत्।। (सि० कौ० भ्वादि०)

निपातस्वरूप – प्राग्रीश्वरन्निपाताः, "चादयोऽसत्त्वे" एवं "प्रादयः" इन तीन सूत्रों के आधार पर निपात का लक्षण किया गया है। निपात विभिन्न अर्थों के वाचकहोते हैं–उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति" उच्चावचेष्वनेकप्रकारेष्वर्थेषु निपतन्तीति निपाताः। (निरुक्त) परन्तु वैयाकरणों ने इन्हें भी उपसर्ग के समान द्योतक ही माना है। बृहद्देवता में उच्चावचेषु चार्थेषु निपाताः समुदाहृताः व्याख्या से निपात को अनेक अर्थ का वाचक माना गया है। (बृहद्देवता,2 / 89)। निपातों को तीन वर्गों में रखा गया है – उपमार्थक, कर्मोपसंग्रहार्थक और पदपूरणार्थक उपमार्थक निपात सादृश्य रूप अर्थ को कहते हैं इनकी संख्या चार ही है। कर्मोपसंग्रहार्थक निपात दो या उससे अधिक अर्थों को एक साथ ही प्रकट करते हैं। पदपूरणार्थक निपातों का कोई अर्थ नहीं होता, यथा–"अग्निरिवेन्द्रः" में इव उपमार्थक निपात है। "वायुर्वात्वा मनुर्वात्वा" में त्वा यह कर्मोपसंग्रहार्थक निपात है। तथा अयमु ते समतसि में उ यह पद पूरणार्थक निपात है। (निरुक्त, प्रथमोऽध्याय। पृष्ठ 13–49) पदमेव पूरयितव्यं येषां न तु कश्चिद् अभिधेयोऽर्थः इति पदपूरणः अर्थात् पद पूर्ति करना ही इनका कार्य है।

अर्थ की दृष्टि से पद के रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ एवं यौगिकरूढ़ चार भेद माने गये हैं। (तर्क संग्रह, दीपिका, शब्दपरिच्छेद – पृष्ठ 196)

रूढ़पद :–जहाँ अवयव शक्ति के बिना ही केवल समुदाय शक्ति से अर्थ की प्राप्ति होती है वह शक्तियुक्त पद रूढ़ पद कहलाता है। यथा मणिनुपूर, गोमण्डप आदि। इनमें प्रकृति–प्रत्यय का विभाग करके अर्थ बोध नहीं होता अपितु ये शब्द अखण्ड रूप से रत्नभूषणादि अर्थों में ही प्रसिद्ध हैं। नैयायिकों के अनुसार रूढ़ पद नैमित्तिक, पारिभाषिक, एवं औपाधिक भेद से तीन प्रकार के हैं। (शब्दशक्ति प्रकाशिका, नाम विभागे का० 17)

यौगिकपद :– जिन शब्दों में अवयव और उनके अर्थ का बोध हो वह यौगिक कहे गये हैं। यथा पाचकः वाचकः आदि। इनमें प्रकृति और प्रत्यय का स्पष्ट बोध हो जाता है। जैसा कि पाचकः में पच् प्रकृति ण्वुल् प्रत्यय एवं वाचकः में ब्रुञ् प्रकृति ण्वुल् प्रत्यय है। इन पदों में प्रकृत्यर्थ और प्रत्ययार्थ का पृथक्–पृथक् निर्धारण होता है। नैयायिकों के अनुसार यौगिक पद भी रूढ़ पद की भाँति तीन प्रकार के होते हैं 1–सामाजिकयौगिकपद – यथा पुरुषसिंहः। 2–तद्धितान्तयौगिकपद – यथा पाराशर्यः। 3–कृदन्तयौगिकपद – यथा पाठकः।

योगरूढ़पद :–योगरूढ़ वे शब्द हैं जो यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। यथा पीताम्बरः, पंकजः आदि में पीतम् अम्बरं यस्य सः एवं पङ्काज्जातः पंकजः अवयार्थ हैं किन्तु समुदाय शक्ति से पीताम्बर विष्णु, पद में एवं पङ्कज शब्द कमल पद में ही रूढ़ होने से योगरूढ़ पद कहे गये हैं। यौगिकपद के समान इसके भी तीन भेद उल्लेखित हैं। 1–सामाजिकयोगरूढ़पद यथा– कृष्णसर्पः, 2–तद्धितान्तयोगरूढ़पद यथा– दाशरथिः, 3–कृदन्तयोगरूढ़पद यथा– पङ्कजः।

यौगिकरूढ़ :–शाब्दिकों के अनुसार यौगिकपद वे पद हैं जहाँ योग अर्थ और रूढ़ अर्थ स्वतन्त्र रूप से बोधित होते हैं। यथा–अश्वगन्धा, मण्डप आदि। यहाँ अश्व से सम्बन्धित अश्वगन्धा शब्द वाजिशाला अर्थ में यौगिक है एवं समुदायशक्ति से औषधि विशेष में रूढ़ होने से रूढ़ भी है। मण्डप शब्द भी मण्डं पिबति इस व्युत्पति से मण्डपान करने वाले के अर्थ में यौगिक है और समुदायशक्ति से गृह अर्थ में रूढ़ है। इन पदों का अर्थ प्रकरणानुसार ही कभी यौगिक होता है और कभी रूढ़ होता है। (वै0 सि0 ल0 म0, शक्ति निरूपण पृ0 89)

भोजराज ने पदस्वरूप के साथ ही साथ रूपरचना की दृष्टि से पद–विभाग प्रक्रिया उल्लेखित की है। इन्होंनें पद के सर्वप्रथम तीन भेद उपन्यस्त किये हैं। इन पदों के भी प्रत्येक के छः छः उपभेद किये गये हैं जिनसे पदों की संख्या अठारह मानी गई है तथा इन्हीं प्रत्येक छः के अवान्तर भेदों की भी कल्पना की गई है जिसके फलस्वरूप पद के अनेक अवान्तर भेद उपपन्न हो जाते हैं। मुख्य रूप से पद के अठारह भेदों को स्वीकार किया गया है।

पद के तीन मुख्य भेदों में पहला भेद क्रियारूप है जिसे साध्य अर्थ की अभिधायिका रूप से परिष्कृत किया गया है। दूसरा भेद कारकरूप है जिसे साधन अर्थ की अभिधायिका कहा गया है एवं तीसरा भेद उपस्काररूप है जो साध्य और साधन का विशेषण रूप माना गया है। तद्त्रिधा–क्रियारूपं, कारकरूपं, उपस्काररूपं च। तेषु साध्यार्थाभिधायी क्रियारूपं, साधनार्थाभिधायी कारक रूपं, साध्य–साधनयोर्भूषणादि भूतमुपस्काररूपम्। (श्रृंगारि प्रकार, तृतीय प्रकार, पृष्ठ – 22)

इनके भेदों के उपभेदों का भी निरूपण प्रस्तुत हैः– क्रियारूप के छः उपभेद 1–भावपद 2–कर्तृपद 3–कर्मपद 4–भावकर्मपद 5–भावकर्तृपद 6–कर्मकर्तृपद ।

कारकरूप के छः उपभेद 1–कर्तृकारक 2–कर्मकारक 3–करणकारक 4– सम्प्रदानकारक 5– अपादानकारक 6– अधिकरणकारक।

उपस्काररूप के छः उपभेद 1–विशेषणादि रूप 2–निपातादि रूप 3– आख्यातादि रूप 4–सम्बोधनादि रूप 5– सम्बन्धादि रूप 6– हेत्वादि रूप।

निकर्शतः शास्त्रों में वर्णित है कि एक भी वर्ण का सही अर्थ ज्ञात हो जाने से वह स्वर्ग में कामधेनु के समान इच्छित कामनाओं को पूर्ण करता है– एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यग्ज्ञातः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति। सार्थक वर्णों का समूह पद है जिनके अभाव में वाक्यरचना सम्भव नहीं है। प्रत्येक पद का अर्थ पदार्थ है जिसके सम्यक्ज्ञान से उसमें निहित पदार्थबोध सहजता से हो सकता। बिना अर्थ जाने उस पद की उपयोगिता नहीं रहती है। पद अनर्थक होकर उससे बने हुए वाक्य भी अपना सम्यक् अर्थ नही दे पायेगें। यद्यपि व्याकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया पदों और वर्णों के विवेचन से युक्त है, तथापि वह वाक्याधिगम का उपायमात्र मानी जाती है। परन्तु शास्त्रीयदृश्टि से पद का अस्तित्व नकारा नहीं जा सकता ज्ञानप्राप्ति में पद की अप्रत्यक्षभूमिका भी महत्त्वपूर्ण है।

ISSN : 2278-8360

S N: 284

₹ 25

संस्कृत-मञ्जरी

अन्ताराष्ट्रिया मूल्याङ्किता त्रैमासिकी शोधपत्रिका

An International Referred Quarterly Research Journal

वर्षम् १७ अङ्कः १

जुलाई २०१८ तः सितम्बर २०१८ पर्यन्तम्

सम्पादकः

डॉ० जीतराम भट्टः

सचिवः

महाकवि दीक्षित के काव्यों में राजधर्म

- डॉ० लज्जा पन्त

महाकवि हरिनारायण दीक्षित संस्कृत साहित्य के अर्वाचीन साहित्यकारों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। संस्कृत साहित्य को पाँच महाकाव्य (भीष्मचरितम्, भारतमाता ब्रूते, श्रीवल्लदेवचरितम्, राधाचरितम्, तथा श्रीगुरुमहाराजचरितम्) सहित ३१ रचनाएँ प्रदान करने वाले डॉ० दीक्षित ने अपने ग्रन्थों में तत्कालीन राजधर्म (राजनीति) का सफल चित्रण किया है।

किसी राज्य के संचालन की रीति को ही राजनीति अथवा धर्म कहते हैं। राजनीति प्रत्येक शासक की अलग-अलग होती है। किसी राजा की नीति सफल होती है तथा किसी की असफल। सफल राजनीति वह है जिसके अनुसार राजा प्रजा पर नियन्त्रण भी कर सके तथा उसे वात्सल्य भी दे सके। इस प्रकार की नीति में विद्रोह की सम्भावना भी नहीं हो सकती।

राजधर्म-

असतां प्रतिषेधश्च सतां च परिपालनम्।

एष राज्ञां परो धर्मः समरे चापलायनम्।।[१]

राजधर्म को सभी धर्मों का मूलाधार कहा गया है। 'राजधर्म' से तात्पर्य है- शासक एवं शासन व्यवस्था। राजा अपने कर्त्तव्यकर्मों द्वारा, आचार तथा व्यवहार के द्वारा 'युग-प्रवर्तक' कहलाता है। अतः राजा के कर्त्तव्यों, आचार-व्यवहार, प्रायश्चित्त तथा राजनीति का पूर्ण ज्ञान कराने वाले 'राजधर्म' की विशद चर्चा प्राचीन काल से ही होती रही है।

डॉ.दीक्षित के काव्यों के परिशीलन से ज्ञात होता है कि कवि को इस बात का पूर्ण ज्ञान है कि राजा के प्रजा के प्रति तथा प्रजा के राजा के प्रति क्या-क्या कर्त्तव्य होने चाहिए? श्रीग्वल्लदेव का राज्याभिषेक होने के उपरान्त उनके द्वारा अपनी सम्पूर्ण प्रजा को सुखी करने की इच्छा से अपने राज्य की शासन-व्यवस्था

अपनी सम्पूर्ण प्रजा को सुखी करने की इच्छा से अपने राज्य की से जुड़े सभी लोगों, शासकों, प्रशासकों, अधिकारियों को बुलाकर दिये गये उपदेश से कवि की इस राजनैतिक विचारधारा का ज्ञान हो के अनुसार राजा को अपने सेवकों से उचित व्यवहार करना चाहिए यह कर्त्तव्य है कि वह अपने राज्य में सत्य तथा न्याय को भली-भाँति अन्याय तथा असत्य राज्य में बिल्कुल न हो। गुणों का प्रसार हो, दुर्गु हो, प्रजा के दुःखों के विनाश तथा उनके सुखों की वृद्धि हेतु रा प्रयत्नशील रहना चाहिए।[३]राज्य में दूसरे के धन का हरण, परस्त्री कुत्सित कर्मों का लोप हो जाये, न कोई लुटेरा सुनाई दे, न कोई कोई भी बलवान् व्यक्ति दुर्बल को न सताये तथा धनी किसी निर्धन न करे।[४] कोई भी पढ़ा-लिखा व्यक्ति किसी अनपढ़ को न ठगे तथा को वाला शहरी व्यक्ति अपनी शहरी मानसिकता से ग्रामीण व्यक्ति को करे।[५] कवि ग्रामीण विकास के पक्षधर हैं। राज्य में खेती के विकास हे उपाय किये जाने चाहिए ताकि गाँववालों को धन का लाभ हो तथा सके। कवि गाँव की विपन्नता से त्रस्त है।[६] ग्रामीण विकास के साथ शहरों में उद्योग-धन्धों के भी पक्षधर हैं, जिससे राज्य के लोगों को हो सके।[७]

राज्य में प्रजा को पीने योग्य तथा सिंचाई योंग्य पानी का सुखद प्र तथा प्रजा की रक्षा और सुरक्षा के तरीके भी पूर्णतया दोष-रहित होने की इच्छा है कि शासन व्यवस्था से जुड़े अधिकारी न्यायालयों में स न्यायपूर्ण व्यवहार करें, घूस रूपी राक्षस का सफाया होना चाहिए तथा रा भी व्यक्ति किसी भले व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाये तो झूठ बोलने वाला हो।[८]

कवि माता-पिता की सेवा के पक्षधर हैं। वृद्ध माता-पिता की सेवा वाले को वह राज्य से निकाले जाने योग्य समझते हैं।[९] पूर्वजों की सम्पत्ति तथा शराब में नष्ट करने को कवि दण्डनीय अपराध मानते हैं। राजा क है कि उसके राज्य में वर्णव्यवस्था असमान न हो। एक जाति वाले दूसरी

यदि अपमान करें तो वह निन्दनीय है क्योंकि सभी परमात्मा के अंश हैं। कवि की रचनाओं का अनुशीलन कर यह ज्ञात होता है कि वे सभी वर्णों का सम्मान करने वाले हैं (श्रीग्वल्लदेवचरितम् २१/२८-२६)।

कवि जल, जंगल, जमीन की रक्षा के पक्षधर हैं। जंगल प्रकृति का उपहार हैं, फलतः उनका अन्धाधुन्ध दोहन कवि को प्रिय नहीं है।[१०] कवि का मन्तव्य है कि राजा ऐसा होना चाहिए जिसके राज्य में अपराधशून्य हों, दुराचाररहित, दुष्टों-पापियों से रहित, समृद्धि से भरपूर, सुख-शान्ति से परिपूर्ण तथा राजा और प्रजा में पारस्परिक सौहार्द की भावना हो।[११]

राजा का महत्त्व-

डॉ. दीक्षित के काव्यों के अनुसार शासन सत्ता में राजा का महत्त्वपूर्ण स्थान होता था। श्रीग्वल्लदेव के काल का राजनैतिक जीवन सर्वाधिक प्रशंसनीय रहा होगा, क्योंकि राजा का प्रधानामात्य उनके विचारों की प्रशंसा करता है।[१२] राजा श्रीग्वल्लदेव के व्यक्तित्व और कर्त्तृत्व के प्रभाव से न केवल उनकी प्रजा ही, अपितु उनके सभी प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी भी सन्मार्गों पर चलने लगे थे तभी तो कवि कह उठते हैं- 'यथा राजा तथा प्रजा'।[१३] राजा अपनी मानमर्यादा का विशेष ध्यान रखता था। प्रजा की समृद्धि के लिए राजा अपनी व्यक्तिगत अभिलाषाओं की उपेक्षा कर देता था।[१४] राजा शान्तनु ने अपने पुत्र की राजनीतिविषयक निपुणता, युद्धविषयक कुशलता, प्रजाप्रियता तथा प्रियभाषिता को सुन-समझकर अपने राज्य को निष्कंटक मान लिया।[१५]

राज्याभिषेक-

राज्याभिषेक शब्द दो शब्दों राज्य तथा अभिषेक से बना है। इसका अर्थ है राज्य सम्बन्धी स्नान। जिस प्रकार स्नान करने से शरीर पवित्र होता है उसी प्रकार राज्य सम्बन्धी स्नान से राजा में पवित्रता आती है। यह राजा की वैधानिकता का भी प्रतीक माना जाता है। वस्तुतः निर्वाचित होने के पश्चात् राजा का अभिषेक होना आवश्यक समझा जाता था। यह कार्यक्रम पुरोहित द्वारा विधिपूर्वक किया जाता

था। उस समय यह राजकुल का एक महत्त्वपूर्ण संस्कार था। इसके ... की मृत्यु के पश्चात् प्रायः ज्येष्ठ पुत्र को युवराज मनोनीत किया जाता ... दीक्षित की इस काव्य पंक्ति में अभिषेक की चर्चा निम्नलिखित शब्दों में ...

शुभे मुहूर्तेऽथ विधानपूर्वं, पुरोधसामात्यगणैश्च सर्वैः।
...ग्वल्लस्य चक्रे जनहर्षदायी, राज्याभिषेकश्च समृद्धिपूर्णः।

राज्याभिषेक की प्रक्रिया 'भीष्मचरितम्' नामक महाकाव्य में ... यौवराज्याभिषेक के समय दृग्गगोचर होती है।(१७)

शपथ–

प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था में शपथ ग्रहण करने की परम्परा ... राजा प्रजा की रक्षा हेतु संकल्प की घोषणा करता था।(१८) 'श्रीग्वल्ल... महाकाव्य का इक्कीसवाँ सर्ग राजा की शासननीति को ही दर्शाता है। (श्रीग्वल्ल... २१/०८-६३)

उत्तराधिकार–

राजा का उत्तराधिकारी उसका पुत्र ही होता था। तभी तो धूमाकोट ... हालराय सन्तान न होने के कारण रात-दिन दुःखी रहते थे। सात विवाह ... उपरान्त भी जब राजा हालराय को सन्तान सुख की प्राप्ति नहीं हुई तो ... के गर्त में डूब गया(१८)

'भीष्मचरितम्' महाकाव्य में जब चित्राङ्गद तथा विचित्रवीर्य दोनों ... मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो चिन्तित रानी सत्यवती भीष्म को विवाह करने ... प्रेरित करती है। प्रतिज्ञा पर अडिग रहने वाले भीष्म द्वारा विवाह के लि... कर दिये जाने पर रानी सत्यवती अपने कानीन (कन्यावस्था में उत्पन्न ... कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को बुलाकर नियोग विधि से सन्तान उत्पत्ति ... है।(१९)

राजा के कर्त्तव्य–

कवि ने 'भीष्मचरितम्' तथा 'श्रीग्वल्लदेवचरितम्' के माध्यम से राजा के कर्त्तव्य तथा राजधर्म का विस्तृत वर्णन किया है। 'भीष्मचरितम्' महाकाव्य के सत्रहवें तथा अट्ठारहवें सर्ग में पूर्ण रूप से राजधर्म तथा प्रजाधर्म का कवि ने वर्णन किया है। जनता को अनुरञ्जित करने के कारण ही राजा को राजा कहा जाता है।[२०] कवि का मानना है कि राजा को अपनी आत्मशक्ति की वृद्धि के लिए अपने कुल के इष्टदेवता की पूजा करते रहना चाहिए तथा प्रजा में भी आस्तिक्य की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रजा में एक राजभाषा निश्चित होनी चाहिए तथा उसे लोकप्रिय बनाने हेतु प्रभावशाली उपाय करने चाहिए।[२१]

राजा को अपनी कुशल नीति से भौतिक सुख-सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नवीनकालीन विज्ञान (साइन्स) तथा पुरातन आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धता मनुष्यता को जन्म देने हेतु करनी चाहिए।[२२] इससे ज्ञात होता है कि कवि ज्ञान तथा विज्ञान दोनों के सामञ्जस्य से ही राष्ट्रनिर्माण के पक्षधर हैं। धर्मवृत्ति अवलम्बन करके प्रजापालन द्वारा ही राजा पुण्य तथा यश प्राप्त करता है।[२३] राजा को अपने राष्ट्र में सब जगह सुख-शान्ति होने के पश्चात् भी अपनी अच्छी सैन्य शक्ति का संग्रह करते रहने की ओर से विमुख नहीं होना चाहिए; तथा दोस्त होकर भी अपने पड़ोसी राजा से सावधान रहना चाहिए।[२४]

प्रजापालन हेतु राजा को यह उचित है कि वह दीन, अनाथ, वृद्धजनों तथा विधवा स्त्रियों की जीविका तथा योगक्षेम का प्रबन्ध करे।[२५] राज्य की आन्तरिक भावनाओं तथा क्रिया-कलापों के उचित ज्ञान हेतु राजा को अवश्य ही कुशल गुप्तचरों का जाल बिछाकर शासन व्यवस्था करनी चाहिए।[२६] राजा का कर्त्तव्य है कि उसे अपने राज्य में सब ओर अच्छी-अच्छी सड़कें बनवानी चाहिए, यथोचित स्थानों पर बावड़ी, कुआँ, सरोवर, पूजागृह, भोजनालय, उद्यान आदि का निर्माण करवाना चाहिए।[२७] कवि की इच्छा है कि राजा द्वारा नारी-विकास का प्रयत्न अपने राज्य में करना चाहिए।[२८] राज्य में कृषि का विकास हो, उद्योग धन्धों को पर्याप्त प्रोत्साहन मिले जिससे राज्य सुखी और समृद्ध हो।[२९] प्रजा में फैले अज्ञानान्धकार

को दूर करने हेतु राज्य के सभी विद्यालयों में अच्छे आचार-विचारों ...
प्रदान की जाए, पीने योग्य शुद्ध पानी तथा सिंचाई योग्य जल की सम्पूर्ति ...
हो। न्यायालयों में पक्षपात रहित न्याय मिले। घूस रूपी राक्षस का सम्पूर्ण ...
माता-पिता की सेवा न करना, पत्नी का भरण-पोषण न करना, पुत्र ...
भेद-भाव रखना, पूर्वजों की सम्पत्ति को जुए तथा शराब में नष्ट करना ...
अपराध होगा।[३१]

मन्त्रिमण्डल-

राज्य के समस्त अङ्गों के संचालन कार्य में राजा के मन्त्रिमण्डल (मन्त्रि...) का योगदान होता है। इसमें प्रधानामात्य, अमात्य, सेनापति, पुरोहित, ... प्रशासनिक अधिकारी, गुप्तचर, द्वारपाल आदि राजाओं के मन्त्रिमण्डल में ... राज्यसंचालन का कार्य राजा अकेले करने में समर्थ नहीं हो सकता। अतः ... के सम्पादन हेतु वह विविध बौद्धिक क्षमताओं से युक्त सहयोगियों की सहायता ... है। 'भीष्मचरितम्' में अनेक स्थानों पर मन्त्रियों की स्थिति प्रदर्शित की गई। ... मन्त्रिगणों का उल्लेख 'अजमोहभङ्गम्' नामक खण्डकाव्य में भी किया गया है। श्रीग्वल्लदेव को 'न्याय का राजा' 'इंसाफ का देवता' [३४] कहा जाता है। श्रीग्वल्लदेव ने राज्य के प्रशासनिक कार्यों में ईमानदारी का प्रवेश कराने के ... से हरुवा तथा कलुवा नाम वाले दो पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया था।[३५] राजा के ... गुप्तचर प्रशासन सम्बन्धी सभी दैनिक कार्यकलापों की कार्यवाही को गुप्तरूप से ... करके प्रतिदिन उन्हें बताया करते थे। इससे उन्हें जानने योग्य विषयों की जानकारी हर समय प्राप्त होती रहती थी तथा वह इस सूक्ति के प्रमाण थे कि गुप्तचर ... के नेत्र होते हैं।[३६]

अमात्य-

राजाओं के दरबार में अमात्यों का महत्त्वपूर्ण स्थान होता था। बालक ... द्वारा वर्णित सातों सौतेली माताओं द्वारा किये गये जघन्य अपराध को सुनकर ... हालराय मुख्यामात्य से अभियोग में प्रतिवादी सातों रानियों को बुलवाते हैं तथा ...

अमात्य भी अभियोग की गम्भीरता को समझकर सातों रानियों को राजसभा में बुलाने हेतु पाँच मन्त्रियों को भेजते हैं।[३७]

पुरोहित

राज्य में कर्मकाण्ड के लिए राजा के दरबार में एक कुलपुरोहित की नियुक्ति होती थी जिससे आवश्यकता पड़ने पर राजा मांगलिक तथा अन्य अवसरों पर परामर्श लेता था। कवि ने पुरोहित के लिए 'राजपुरोहितम्', 'पुरोधस्', तथा 'पुरोहित' शब्दों का प्रयोग किया है।[३८] विविध वेदों, ज्योतिषशास्त्र, शकुनशास्त्र, नक्षत्रों आदि विषयों का ज्ञान उस समय के पुरोहितों को होता था।[३९]

शासन-व्यवस्था-

कवि के काव्यों के अध्ययन से तत्कालीन शासन-व्यवस्था पर प्रकाश डाला जा सकता है। राजा हालराय, राजा श्रीग्वल्लदेव, राजा अज, राजा शान्तनु आदि राजाओं के समय में प्रचलित शासनतन्त्र के अनुसार राजा कुशल, पूर्ण प्रशिक्षित शासकों के द्वारा राज्यकार्य को देखता था। राजा के नीति-विषयक निर्देश बहुत अच्छे थे। फलस्वरूप उनके राज्य में न जातिवाद था, न वर्गवाद (सम्प्रदायवाद), न ऊँच-नीच का भेद-भाव था तथा न आतंकवाद का बोलबाला था।[४०] 'अजमोहभङ्गम्' नामक खण्डकाव्य में भी कवि ने शासनव्यवस्था का वर्णन किया है। राजा अज के राज्य में प्रजा के सभी वर्गों के लोग हमेशा सुखपूर्वक रह रहे थे। ईर्ष्या, असूया, मत्सरता, दम्भ, दर्प, असहिष्णुता, पिशुनता, कपट, छल आदि दुर्गुण उनके राज्य में कहीं भी दिखाई नहीं देते थे।[४१]

'राधाचरितम्' नामक महाकाव्य में वर्णन मिलता है कि भगवान् श्रीकृष्ण राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर ही व्रजभूमि छोड़कर मथुरा चले गये थे।[४२] श्रीकृष्ण ने प्रजा की सुख-शान्ति को ध्यान में रखकर ही द्वारकापुरी का राजा बनना स्वीकार किया।[४३] श्रीग्वल्लदेव के शासनकाल में राज्य में सब ओर अच्छी शासन-व्यवस्था दिखाई देती थी। उनके प्रयत्नों के कारण राज्य में रहने वाले सभी ग्रामवासी, नगरवासी, व्यापारीवर्ग अपने-अपने कार्यों में प्रतिदिन गुणात्मक तरक्की

कर रहे थे।(४४) वर्षा ऋतु के पानी को एकत्रित कर उसे पीने योग्य ब... में आवश्यकतानुसार वितरित किया जाता था। लाभप्रद बड़े-बड़े उद्योग... के खजाने से स्थापित तथा संचालित कर दिया गया था जिससे उनमें ... लोगों को आजीविका मिल गई थी।(४५)

प्रतिहार–

शासन-व्यवस्था के अन्तर्गत राजा के यहाँ पहरा देने वाले प्रति... प्रतिहारी दोनों की नियुक्ति की जाती थी। डॉ० दीक्षित ने विविध स्थानों ... के लिए सेविका शब्द का प्रयोग किया है। रानी कालिङ्का अपनी सेवि... को सखी के समान समझती थी।(४६) कवि ने प्रतिहार के लिए सेवक शब्द ... किया है।(४७) कवि के अनुसार अच्छे सेवक को मितभाषी होना चाहिए।

न्याय और दण्ड–

प्राचीन काल से ही न्याय तथा दण्ड ये दोनों राज्य के मेरुदण्ड ... 'श्रीग्वल्लदेवचरितम्' में कवि ने दण्डव्यवस्था का बड़ा न्यायपूर्ण वर्णन ... श्रीग्वल्लदेव तो न्याय के देवता ही माने जाते हैं। इस महाकाव्य का ... पूर्ण रूप से उनके न्यायप्रिय राजा होने का सन्देश देता है। कवि का ... राजा का सर्वप्रमुख धर्म प्रजा की रक्षा करना तथा अपराधियों को दण्ड दे... को सुखी रखना है।(४८) दण्ड बिना क्रोधित हुए घृणारहित, ... द्वेषभावनारहित, भयरहित होकर दिया जाना चाहिए। कवि क्षमादण्ड को ... दण्ड मानते हैं, क्योंकि अन्य दण्ड तो अपराधी के शरीर को प्रभावित करते ... क्षमादण्ड तो उसकी आत्मा को प्रभावित करता है।(५०) इन तथ्यों से स्पष्ट ... कि उस समय दण्डव्यवस्था तथा न्यायप्रणाली उत्तम थी।

दूत–

कवि के काव्यों में वर्णित तत्कालीन राज्यव्यवस्था में दूत को राज्य का ... अङ्ग कहा गया है। दूत अवध्य माना जाता था। राजा श्रीग्वल्लदेव के ... जब चम्पावत के राजा नागनाथ का दूत पत्र लेकर आता है तो वहाँ उनके ...

सम्मान कर उसे विदा किया जाता है।[५१] इससे सिद्ध होता है कि दूत सम्मानीय होता था।

राष्ट्राधिकारी-

कवि ने स्पष्ट रूप से राष्ट्राधिकारी का उल्लेख अपने काव्यों में नहीं किया है, परन्तु युवराज, मन्त्री, पुरोहित [५२] आदि का उल्लेख करके इस व्यवस्था की पुष्टि करा दी कि राज्य में राष्ट्राधिकारी की नियुक्ति होती थी।

दण्डाधिकारी-

भारतीय आचार संहिता में दण्ड देने के लिए एक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता था। जिसके द्वारा राज्य के दोषी लोगों को दण्ड देने की चर्चा तो अवश्य की गई है। परन्तु दण्ड देने वाले अधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। तथापि 'श्रीग्वल्लदेवचरितम्' में कवि ने राजाश्रीग्वल्लदेव को ही दण्डाधिकरी के रूप में चित्रित किया है।[५३]

सेनापति-

भारतीय राज्यव्यवस्था में सप्ताङ्गों में सेनापति का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता है, क्योंकि सेना के बिना राज्य की रक्षा सम्भव नहीं थी। इसके लिए राजा सेनाध्यक्ष के रूप में योग्य सेनापति की नियुक्ति करता था। कवि दीक्षित ने भी सेनापति का वर्णन किया है जिसके साथ राजदरबार में राजाश्रीग्वल्लदेव विचारविमर्श करते थे।[५४] 'भीष्मचरितम्' में भी दुर्योधन महाभारत के युद्ध में अपनी सेनाओं के सेनापति भीष्मपितामह को नियुक्त करता है[५६]। कवि का कथन है कि रणभूमि में सेनापति के बिना सेना अपने लक्ष्य को उसी प्रकार नहीं प्राप्त कर पाती है, जिस प्रकार नाविक के बिना नाव। कवि ने सेनापति के लिए 'चमूपति' शब्द का प्रयोग भी किया है [५६]।

युद्ध में अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग-

डॉ० दीक्षित ने प्राचीन तथा अर्वाचीन दोनों प्रकार के कथानकों पर अपनी

लेखनी चलाई है, फलतः उनके काव्यों में जहाँ धनुष-बाण का उल्लेख [illegible] वहीं बन्दूक, पिस्तौल आदि का भी वर्णन देखने को मिलता है। कवि ने [illegible] लिए भुशुण्डि[४७] शब्द का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त कृपाण, खड्ग, [illegible] गोलियों की पेटी, पिस्तौल[४८], कवच, तलवार, भाला आदि अस्त्र-शस्त्रों का [illegible] कवि के काव्यों में देखने को मिलता है।

सेना तथा युद्ध-

सेना राजतत्त्व का प्रधान कारण होती है। सेना प्रायः राजा द्वारा [illegible] होती है। कवि द्वारा रचित 'भीष्मचरितम्' महाकाव्य में महती सेना, घोर युद्ध का वर्णन है[५०]। वहाँ युद्ध को महोत्सव के समान सम्पादित किया गया है। [illegible] का हर्षनाद, दुन्दुभि आदि वाद्यों की ध्वनि, सिंहनाद आदि का वर्णन पर्याप्त [illegible] किया गया है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यदि महाकवि दीक्षित की राजधर्म [illegible] नीतियों का अनुसरण किया जाए तो वर्तमान समय की राजनीतिक समस्याओं का समाधान करते हुए आदर्श समाज की स्थापना की जा सकती है।

सन्दर्भ-

१. महाभारत, शान्तिपर्व १४/१६

२. श्रीग्वल्लदेवचरितम् २१/६

३. वही २१/१०

४. वही २१/११

५. वही २१/११-१२

६. वही २१/१६

७. वही २१/१८

८. वही २१/२०-२३

९. वही २१/२४

१०. वही २१/३२-३५

११. वही २१/३६
१२. वही ५/८३
१३. वही २१/५५
१४. वही २२/३६-४०
१५. भीष्मचरितम् ४/७
१६. श्रीग्वल्लदेवचरितम् २१/१
१७. भीष्मचरितम् ७/३
१८. श्रीग्वल्लदेवचरितम् २१/७
१९. श्रीवग्वल्लदेवचरितम् २२/७
२०. भीष्मचरितम् ३/४-७
२१. वही १३/१४-१७
२२. वही १७/५
२३. वही १७/८
२४. वही १७/२३
२५. वही १७/२४
२६. वही १७/३०
२७. अजमोहभङ्गम् १/५२
२८. भीष्मचरितम् १७/४१-४२
२९. वही १७/४२-४३
३०. वही १७/४४
३१. श्रीग्वल्लदेवचरितम् २१/१८-१९
३२. भीष्मचरितम् १७/राजधर्मवर्णनम्
३३. अजमोहभङ्गम् १/५४
३४. श्रीग्वल्लदेवचरितम् २७/४७, ५०-५१
३५. वही २२/८-९
३६. वही २२/१६-१७
३७. वही १७/१२-१४

३८. वही १८/२४, २६, २६

३६. वही १८/१०, ११, १७

४०. वही २२/८-६

४१. अजमोहभङ्गम् १/६८

४२. राधाचरितम्, उद्बोधन सर्ग/६

४३. वही, सम्बोधन सर्ग/६१

४४. श्रीग्वल्लदेवचरितम् २२/२०-२८

४५. वही १७/६

४६. वही १६/४७

४७. वही १६/२०, २७, ३६, ४२

४८. वही १६/४७

४६. वही ७/५

५०. वही ७/१२

५१. वही २१/१०

५२. वही १८/१२

५३. वही २२/२०-२८

५४. वही २२/१८-१६

५५. भीष्मचरितम् १७/४३-४६

५६. श्रीग्वल्लदेवचरितम् १६/४७

५७. भारतमाताब्रूते ६/२३

५८. श्रीग्वल्लदेवचरितम् ७/५

५६. भारतमाताब्रूते ६/३५

६०. भीष्मचरितम् १७/५८-६२

–सहायक आचार्या (संस्कृत
कुमाऊँ विश्वविद्यालय
नैनीताल (उत्तराखण्ड)-२६

S N: 287

RNI-UTTHIN/2013/51284

ISSN-0975-8739

हिन्दी अर्द्धवार्षिक

जयराम संदेश
Jairam Sandesh

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत मूल्यांकित शोध पत्रिका
(पत्रिका क्रमाङ्क - 41041)

स्मृति विशेषांक

दिसम्बर 2018 वर्ष 06 अंक 02

धर्म-दर्शन-अध्यात्म एवं सांस्कृतिक संदर्भ पर आधृत

₹50/-

हिन्दी अर्द्धवार्षिक ISSN-0975-8739

जयराम संदेश
Jairam Sandesh

धर्म- ान-अध्यात्म एवं सांस्कृतिक संदर्भ पर आधृत

जुलाई–दिसम्बर
2018 ई.
विक्रम सम्वत् 2075

वर्ष 6 अंक : 02

संरक्षक :
ू. ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी
ाध्यक्ष : जयराम संस्थाएँ

**

परामर्शदातृ मण्डल
वशिष्ठ त्रिपाठी (वाराणसी)
रामभद्रदास श्रीवैष्णव (प्रयाग)
रमेश कुमार पाण्डेय (दिल्ली)
हरेराम त्रिपाठी (दिल्ली)
रमाकान्त पाण्डेय (जयपुर)

**

सम्पादक
डॉ. शिवशङ्कर मिश्र
मोबाइल नं. 9456328499
ई-मेल : shivshankarmishra74@gmail.com

**

शोधपत्र परीक्षक मण्डल
प्रो० जे.के. गोदियाल (पौड़ी)
प्रो० राम बहादुर शुक्ल (जम्मू)
डॉ० रामनारायण द्विवेदी (दिल्ली)
डॉ० दिनेश कुमार गर्ग (वाराणसी)
डॉ० रामविनय सिंह (देहरादून)
डॉ० रामरतन खण्डेलवाल (हरिद्वार)

**

प्रूफ संशोधक
मनमुदित नारायण शुक्ल

**

प्रकाशक :
श्री जयराम आश्रम
भीमगोड़ा, हरिद्वार – 249401 (उत्तराखण्ड)
मोबाइल नं. 01334-260251
ई-मेल : jairamsandesh@gmail.com

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी द्वारा भार्गव प्रिंटर्स, निकट ललतारौ पुल, जनपद-हरिद्वार, उत्तराखण्ड से मुद्रित एवं श्रीजयराम आश्रम भीमगोड़ा, जनपद हरिद्वार से प्रकाशित
सम्पादक : डॉ. शिवशंकर मिश्र

अनुक्रम

आशीर्वचन

सम्पादकीय

प्रमुख स्मृतियों में स्त्री अधिकारों की समीक्षा......प्रो० अभिराज राजेन्द्र मिश्र..............1

कृच्छ्रः सान्तपनो नाम............डॉ० शिवशंकर मिश्र/श्री विष्णु प्रसाद सेमवाल.........10

वेद और अनुवर्ती स्मृति–ग्रन्थ......................डॉ० बद्रीप्रसाद पंचोली..................15

वशिष्ठ स्मृति का आचार–दर्शन..................डॉ० बैकुण्ठ नाथ शुक्ल................17

स्मृतियों में प्रतिपादित...........................डॉ० भारतेन्दु द्विवेदी....................21

स्मृतियों में कर्त्तव्याकर्त्तव्य.........................डॉ० आशुतोष गुप्त......................26

मनुस्मृति के आलोक में राजधर्म ....डॉ० लज्जापन्त (भट्ट)................29

धर्म और स्मृति ग्रन्थ.............................. डॉ० कीर्तिवल्लभ शक्टा...............31

स्मृतियों की दृष्टि में वेदाध्ययन ....डॉ० गोपाल प्रसाद शर्मा...............33

अत्युत्तम है स्मृतियों की आचार व्यवस्था ....प्रो० रामराज उपाध्याय.................37

स्मृतिस्तु धर्मसंहिता ....डॉ० विजय कुमार पाण्डेय..............39

दक्षस्मृति में नारी का स्वरुप ....प्रो० मिनति रथ.........................43

मानवता के उद्देश्यभूत स्मृतिशास्त्र ....डॉ० अनिलानन्द.......................45

स्मृतिशास्त्र के जनक आचार्य मनु ....म.म. मोहनानन्द मिश्र.................47

स्मृतियों में शासन व्यवस्था ....डॉ० दिनेश कुमार गर्ग.................49

स्मृतियों में वर्णित वैश्विक चिन्तन ....डॉ० विजय लक्ष्मी........................51

स्मृतियों में वर्णित प्रायश्चित्त निदान ....डॉ० नबीता जम्वाल.....................55

स्मृति और लोकव्यवहार.........................डॉ० राम सलाही द्विवेदी................61

सूत्रसाहित्य एवं स्मृतियों में वर्णित ....प्रो० राम सुमेर यादव...................63

मनुस्मृति में वर्णित अपराधों के विविध रूप ....डॉ० व्रजेन्द्र कुमार सिंहदेव............67

याज्ञवल्क्यस्मृति में वर्णित ऋण एवं ....डॉ० शिवेश कुमार पाण्डेय.............72

स्मृति मीमांसा ....डॉ० कृपाशंकर मिश्र/मुदित पाण्डेय..............75

स्मृतिकालीन अपराध, न्यायिक प्रक्रिया ....विजय गुप्ता 77

मनुस्मृति में भक्ष्याभक्ष्य वस्तुओं ....प्रियंका शर्मा..........................83

वर्तमान परिपेक्ष्य में याज्ञवल्क्य ....राजेश प्रसाद गैरोला...................88

प्रमुख स्मृति ग्रन्थों के अनुसार विधि ....विपन कुमार 90

स्मृतियों में वर्णित स्त्रीधन.........सत्येन्द्र मणि त्रिपाठी/डॉ0 जीवन कुमार भट्टराई......96

याज्ञवल्क्यस्मृति में पशु हत्या......................सतीश नौटियाल......................99

जयराम आश्रम द्वारा संचालित विविध सेवाप्रकल्प

पत्रिका ऑनलाईन उपलब्ध - jairamashram.org/publication jairamsandeshpatrika

- पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त चिन्तन से सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं।
- पत्रिका के सम्बन्ध में किसी भी विवाद के निस्तारण का न्याय क्षेत्र केवल हरिद्वार होगा।
- पत्रिका के सम्पादक एवं परामर्शदातृमण्डल के समस्त सदस्य पूर्णतया अवैतनिक हैं।

मनुस्मृति के आलोक में राजधर्म

डॉ० लज्जापन्त (भट्ट)
असिस्टेन्ट प्रोफेसर-संस्कृत विभाग
डी.एस.बी. परिसर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल (उत्तराखण्ड)

भारतीय साहित्य में स्मृतियों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। स्मृतियाँ पुरातन परम्पराओं, मान्यताओं तथा आचारशास्त्र का मूर्त रूप हैं। स्मरण परम्परा पर आधारित होने के कारण जिन परम्पराओं, नियमों तथा संस्कारों को जीवित रखा गया, उन्हें स्मृति नाम से अभिहित किया गया। श्रुतियों का आचार-व्यवहार से सम्बन्धित ज्ञान जिसे ऋषियों ने स्मरण के आधार पर संकलित करके प्रजा के कल्याणार्थ दिया तथा स्मृति संज्ञा से अभिहित किया गया। 'मनुस्मृति' एक ऐसा धर्मशास्त्र है, जिसमें मनुष्य के जीवन से सम्बन्धित प्रत्येक पक्ष, बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक की समस्त जीवनशैली को वर्णित किया गया है। मनुष्य के जीवन के समस्त सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा नैतिक पक्षों की चर्चा भी विस्तारपूर्वक की गई है।

भारत एक धर्मप्रधान देश है। समाज की व्यवस्था सुचारुरूप से चलती रहे, इसका प्रमुख दायित्व राजा का होता है। राजा को युगनिर्माता कहा गया है। राजा को पितृतुल्य वात्सल्य भाव से अपनी प्रजा का पालन तथा कल्याण में निरन्तर तत्पर रहना चाहिए। राजधर्म को सभी धर्मों का तत्त्व अथवा सार कहा गया है। प्रायः सभी राजनीतिशास्त्रज्ञों ने राज्य के सात अङ्ग बताये हैं-स्वामी, अमात्य, जनपद या राष्ट्र, दुर्ग, कोश, दण्ड तथा मित्र।[1]

प्रायः सभी धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों में राजा, स्वामी अथवा शासक की आवश्यकता पर बल दिया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित है कि देवों ने राजा के न रहने पर अपनी दुर्दशा देखी, तभी एकमत से राजा का चुनाव किया। इससे स्पष्ट होता है कि सामरिक आवश्यकताओं ने स्वामित्व अथवा नृपत्व को जन्म दिया।[2] राजा को आठ विशिष्ट गुणों से युक्त होना चाहिए।[3] वर्तमान में भी जनता की सुख-सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जो दल अपनी नीतियाँ बनाता है, वही दल सफलता प्राप्त करता है। जनता भी चाहती है कि उसे पक्षपातरहित उचित न्याय मिले।

राजधर्म के अन्तर्गत आचार्य मनु ने दण्ड का भी विधान किया है। यदि राजा आलस्य छोड़कर दण्ड के योग्य अपराधियों पर दण्ड का प्रयोग नहीं करता, तो बलवान् लोग दुर्बलों को जैसे मछलियों को लोहे के छड़ में छेदकर पकाते हैं, वैसे पकाने लगते हैं। राजा का दण्ड अनियन्त्रित लोगों को दण्डित करता है, इसलिए दण्ड कहलाता है। मनु ने दण्ड को देवत्व की स्थिति प्रदान की है।[4]

प्रजा को दण्ड के भय द्वारा अनुशासन में रखा जा सकता है, दण्ड के द्वारा ही प्रजा की रक्षा होती है। जब प्रजा सुप्तावस्था में होती है, तब दण्ड ही जागता है तथा एकान्त में होने वाले अपराधों को भी दण्ड भय के माध्यम से ही रोका जा सकता है-

दण्डः शास्ति प्रजासर्वा दण्ड एवाभिरक्षति।
दण्डः सुप्तेषुजागर्तिदण्डं धर्मविदुर्बुधा।।[5]

अतः राजा को सत्यप्रतिज्ञ, बुद्धिमान्, कामजन्य दश तथा क्रोधजन्य आठ दोषों से रहित, सभी क्लेशकारी व्यसनों से शून्य होना चाहिए। राजा को आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता तथा दण्डनीति इन चारों विद्याओं का ज्ञाता होना चाहिए। राजा को विनीत होना चाहिए। अपने-अपने धर्म में संलग्न

सब वर्णों तथा आश्रमों की रक्षा करने वाले राजा को ब्रह्मा ने बनाया है।[6]

सर्व प्रकारेण शक्तिसम्पन्न होते हुए भी राजा निरंकुश नहीं बन सकता, महर्षि मनु राजधर्म के माध्यम से राजा की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं तथा उसे लोकहित में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। मनुस्मृति के अन्तर्गत राजा की दिनचर्या इस प्रकार निर्धारित की गयी है कि उसके पास भोगविलास हेतु कोई अवसर ही शेष न रहे। राजा का प्रधान कर्त्तव्य प्रजा रक्षण है।[7] प्रजाओं का पालन ही क्षत्रियों का श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि प्रजापालन द्वारा शास्त्रोक्त फल को भोगने वाला राजा धर्म से युक्त होता है। 'प्रजारक्षण' से तात्पर्य-चोरों, डाकुओं आदि के भीतरी आक्रमणों से तथा बाहरी शत्रुओं से प्रजा के प्राण और सम्पत्ति की रक्षा करना। राजा का विशिष्ट उत्तरदायित्व है-सभी प्राणियों की रक्षा करना, न्यायोचित दण्ड देना, शास्त्रविहित नियमों के अनुसार वर्णाश्रम की रक्षा करना तथा पथ भ्रष्ट लोगों को सन्मार्ग दिखाना।[8] चिकित्सक वर्ग को भी दण्ड से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।[9] राजा को उचित दण्ड तथा न्याय की व्यवस्था करनी चाहिए।

राजा को इन्द्र द्वारा जलवर्षा के समान सुख वर्षा, सूर्य के द्वारा जलग्रहण के समान कर ग्रहण, वायु के द्वारा समस्त प्राणियों में निवास के समान गुप्तचरों का प्रेषण, यम के समान पक्षपात हीन न्याय, वरुण के समान पापियों का नाश करना चाहिए। राजा को अष्टविध कर्म, पञ्चकर्म तथा राजमण्डल की चेष्टाओं पर ध्यान देते हुए कार्य करना चाहिए। राजा के करदान, पुरस्कार दान, अमात्यों को अनुकूल आज्ञा देना, अनुचित कार्यों का निषेध, सन्दिग्ध विषयों में निर्णय, व्यवहार दर्शन, उचित दण्ड व्यवस्था, तथा दोषी के लिए प्रायश्चित व्यवस्था करना-ये 'अष्टकर्म' हैं। राजा को कापटिक, उदासीन, गृहपति, वैदेहक तथा तापस-इन पाँच गुप्तचरों की यथा स्थान और योग्यतानुसार नियुक्ति करनी चाहिए।

सृष्टि के आदिकाल से लेकर वर्तमान तक की राज्यव्यवस्था को मनुस्मृति विचारों तथा नीतियों का एक आधार प्रदान करती है। प्राचीनकाल से मनुस्मृति के अनुकूल आचरण को आदरपूर्वक दृष्टि से देखा जाता है। वर्तमान में भी न्यायालयों में न्याय दिलाने में मनुस्मृति का महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। मनु का मानना था कि राजा के शासन में ही चारों युग होते हैं-

कृतत्रेतायुगञ्चैव द्वापरङ्कलिरेवच ।
राज्ञोवृत्तानिसर्वाणि राजा हि युगमुच्यते।।[10]

हमें गर्व होना चाहिए कि मनु ने सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन का स्पष्ट तथा सुव्यवस्थित दर्शन दिया है। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त देश तथा काल की सीमाओं से ऊपर हैं। यह सत्य है कि मनुस्मृति में वर्णित प्रशासन सम्बन्धी विचार किसी एक देश के लिए नहीं, वरन् सम्पूर्ण संसार से सम्बन्धित हैं। फिर मनु के उत्तराधिकारी हम भारतवासियों की राजनीतिक व्यवस्था इतनी दूषित कैसे? यह एक अत्यन्त विचारणीय प्रश्न है।●

सन्दर्भ सूची-

1. मनुस्मृति-9/294
2. मनुस्मृति-7/3
3. मनुस्मृति-7/4
4. मनुस्मृति-7/25
5. मनुस्मृति-7/18
6. मनुस्मृति-7/35
7. मनुस्मृति-7/144
8. मनुस्मृति-8/306
9. मनुस्मृति-9/284
10. मनुस्मृति-9/301

S N: 288, 289, 290

IIJ Impact Factor : 2.193 ISSN 2349-364X

वेदाञ्जली

अन्तर्राष्ट्रीय विद्वत्समीक्षित षाण्मासिकी शोधपत्रिका

(International Peer Reviewed Journal of Multidisciplinary Research)

वर्ष-५ अंक-१०, भाग-१ जुलाई-दिसम्बर, २०१८

प्रधान सम्पादक

डॉ० रामकेश्वर तिवारी

असिस्टेन्ट प्रोफेसर, श्री बैकुंठनाथ पवहारी संस्कृत महाविद्यालय

बैकुंठपुर, देवरिया

सह सम्पादक

श्री प्रसून मिश्र

प्रकाशन : वैदिक एजूकेशनल रिसर्च सोसाइटी, वाराणसी

Scanned with CamScanner

अनुक्रमणिका

- श्रीरूपगोस्वामी विरचित हंसदूतम् का दूतकाव्यत्व — 1–9
  धीरज कुमार द्विवेदी
- कमर दर्द (स्लिप–डिस्क) में जीवन शैली का प्रभाव — 10–16
  दिनेश कुमार बेन्दा
- रामपुर राज्य का विकास एवं नवाब कल्वे अली खाँ — 17–19
  डॉ0 अश्विनी कुमार
- ईश्वर एवं साधना का ऐक्य — 20–25
  डॉ0 मंजू सिंह
- वर्तमान परिप्रेक्ष्य में श्रीमद्भगवद्गीता में मोक्षसन्न्यासयोग का विवेचन : एक अध्ययन — 26–30
  डॉ0 नारायण सिंह राव
- रघुवीर सहाय की कविताओं में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय चेतना — 31–34
  डॉ0 राखी उपाध्याय
- वैदिक वाङ्मय एवं पर्यावरण संरक्षण — 35–38
  डॉ0 त्रिलोक नाथ झा
- वैदिक मानवीय मूल्यों की आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता — 39–43
  डॉ0 विजय कुमार शर्मा
- चार्वाक् दर्शन — 44–45
  प्रेम सुन्दर प्रसाद
- भारतीयवैदिकसाहित्ये वर्णितऋग्वेदे कृषिव्यवस्था — 46–48
  डॉ0 धीरजप्रकाश जोशी व पुष्करसिंहराव:
- चन्द्रगुप्तचरितम् महाकाव्य में राष्ट्रिय भावना — 49–51
  राम शिव द्विवेदी
- अस्तित्ववादी दर्शन में मानव व्यक्ति का स्वरूप : एक समीक्षात्मक अध्ययन — 52–54
  शांतनु कुमार
- मूल्यशिक्षा — 55–58
  सोहन लाल मीना
- वृन्दावन भक्ति : एक तात्त्विक अध्ययन — 59–61
  श्रीमती सोहनी सोनी
- रामायण में प्रकृति विषयक चेतना — 62–64
  वर्षा जैन
- भारतीय संगीत शास्त्र में गीतगोविन्द का प्रभाव — 65–69
  डॉ0 लक्ष्मी धस्माना
- वेदों में राष्ट्रीय भावना — 70–71
  डॉ0 प्रदीप कुमार
- वेदों में राष्ट्रीय भावना — 72–74
  डॉ0 सुषमा जोशी
- नलिन विलोचन शर्मा की कहानियों में स्त्री–विमर्श — 75–78
  मनीषा

Scanned with CamScanner

वेदों में राष्ट्रीय भावना

डॉ0 सुषमा जोशी*

संस्कृत भाषा में वाड्.मय का श्रीगणेश वेदों के आविर्भाव के साथ ही हो जाता है। हमारे ऋषियों ने वेदों में मानवजीवन के विविध पहलुओं की पर्याप्त मीमांसा प्रस्तुत की है, क्योंकि हमारे ऋषियों को यह तथ्य भलीभाँति विदित था कि अपनी सामूहिक सम्मानपूर्ण सत्ता बनाये रखने के लिए यह परम आवश्यक है कि अपनी धरती और देश की तन, मन, धन से सुरुक्षा की जाय और यह तभी सम्भव है, जब कि हम अपनी राष्ट्रभूमि के प्रति निष्ठावान रहें। यही सब सोचकर भारतीय ऋषियों ने यहाँ के जनमानस में देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की अदम्य भावना को भरने के लिए वेदों में अनेक स्थलों पर अपने देश अपनी मातृभूमि की प्रशंसा की है। जिसे पढ़कर या सुनकर हमारे हृदय में अपने देश के लिए गौरव का भाव पनपता है। इसी प्रकार अपनी जन्मभूमि को अपनी मातृभूमि कहकर सम्बोधित करने की शिक्षा भी हमें वेदों से ही मिलती है जिससे प्रेरित होकर हम लोग छोटे और बड़े का भेदभाव भूलकर और सबको एक ही धरती माता की गोद से उत्पन्न हुआ मानकर अपनी मातृभूमि के विकास एवं रक्षा कार्यों में जुटे रहने में ही अपने आपको गौरवान्वित समझते हैं।

वैदिक ऋषि अपनी मातृभूमि के प्रति बड़े ही भावुक रहे हैं वे उनकी दृष्टि में उनके लिए उनकी मातृभूमि ही सर्वस्व है। वे इसे ही स्वर्ग और अन्तरिक्ष मानते हैं तथा इसे ही अपना अतीत और भविष्य मानते हैं। वे इसके प्रति कृतज्ञ होकर इसका गुणगान करते हैं। वेदों में राष्ट्र की न केवल परिकल्पना ही वर्णित हैं, बल्कि उसके आधारभूत तत्व उपयोगिता, महत्ता तथा उसके प्रति लोगों के दायित्वों एवं कर्तव्यों का भी भलीभाँति उपदेश दिया गया है, जो निश्चय ही उनकी हार्दिक राष्ट्रीय भावना का द्योतक है, उन्होंने अपनी मातृभूमि को तेज और बल से परिपूर्ण उत्तम राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित किया है[1]। राष्ट्र को उत्तमतापूर्वक सुरक्षित बनाये रखने के लिए हमारे वैदिककालीन ऋषि ने यह भी उद्‌घोष किया था कि सत्य बृहत्, ऋत, उग्रता, दीक्षा, तप, ब्रह्म तथा यज्ञ ही अपनी मातृभूमि को अपनी राष्टभूमि बनाते हैं[2]। वैदिक ऋषि को यह तथ्य भी विदित था कि भारत राष्ट्र की अखण्डता एवं प्रगति तभी तक सम्भव है, जब तक यहाँ के निवासियों में परस्पर प्रगाढ़ एकता रहेगी। इसलिए उसने राष्ट्र नायक को पांचजन्य कहा है[3]। केवल राष्ट्रनायक ही नहीं बल्कि समाज के अन्य गणमान्य व्यक्तियों की भी पांचजन्यता को बड़े ही गौरव के रूप में उद्धृत किया है[4]। वैदिक ऋषियों का संगठन तो इतना अभीष्ट था कि वे इसके लिए यज्ञ तक करते थे। उसमें वे जलों की धाराओं के सम्मिश्रण, हवाओं के पुंज और पक्षियों के समूह की संगठनात्मक शक्ति का उद्‌घोष करके सभी लोगों को सम्मिलित और संगठित होने के लिए आह्वान करते थे और संगठन की वृद्धि हेतु उन्हें भी भाषण के लिए प्रेरित करते थे5।

आज राष्ट्रीय विकास हेतु शिक्षा, सम्पर्क, दायित्व विचार विमर्श अधिकारी उद्‌देश्य आदि सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में देश के सभी वर्गों को समान भाव से विकसित करने की जो बात कही जाती है, वह हमारे वैदिक ऋषियों को भी अभिष्ट थी, क्योंकि उन्होंने भी अपने सभी देशवासियों को उपदेश दिया था कि वे आपस में मिलकर चलें, मिलकर बोलें, मिलजुल कर ही ज्ञान प्राप्त करें[6]। वैदिक कवियों ने अपने भारत राष्ट्रवासियों से यह भी आशा की थी कि वे अपने सुविधा और अपनी इच्छानुसार चाहे जिस धर्म की उपासना करें, किन्तु उन्हें अपने समग्र राष्ट्र को अपने गृह के समान ही समझना चाहिए,

*संस्कृत विभाग, डी0एस0बी0परिसर, नैनीताल

Scanned with CamScanner

क्योंकि तभी हमारा राष्ट्र ऐश्वर्य सम्पन्न होगा[7]। वैदिक ऋषियों ने देश के प्रमुख–प्रमुख नगरों के प्रति अपने देवी–देवताओं का सीधा सम्बन्ध स्थापित किया है, उनका कहना है कि हमारी मातृभूमि के नगरों का निर्माण हमारे देवताओं ने कराया है[8]। ऐसा कहकर उन्होंने लोगों के मन में अपने देश के नगरों के प्रति दिव्यता, पवित्रता और अपनी तीर्थभूमि का भाव पनपाया है, जो राष्ट्रीय अखण्डता के लिए अतीव महत्वपूर्ण है[9]। अपने राष्ट्र की नदियों के प्रति भी वैदिक साहित्य पर्याप्त संवेदनशील हैं। पृथ्वी की भाँति सरिताओं के प्रति भी मातृभाव की भावना भरी गयी है[10]। सिंचाई में उपयोगी नहरों के रूप में भी सरिताओं की जलधारा का श्रेय स्वीकार किया गया है[11]।

वेदों में अपने पर्वतों पर भी प्रेमभाव प्रदर्शित किया गया है। फलस्वरूप इनमें भी मानवीकरण मिलता है। ये जलवृष्टि करते हैं अपनी वनस्पतियों द्वारा नैरूज्य प्रदान करके मनुष्यों का कल्याण करते हैं[12]। ईश्वीय सन् की उन्नीसवीं शताब्दी की प्रौढ़ावस्था तथा बीसवीं शताब्दी के यौवन का भारतीय राजनैतिक इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि स्वराज्य शब्द ने भारतवासियों की विचारधारा में प्रशसंनीय कान्ति लहरें उठायी है तथा "स्वराज्य प्राप्ति की भावना" ने उनके मन से जीवन का मोह और मृत्यु का भय समूल मिटाया है[13]। ऋषियों का आशय है कि राष्ट्रनायक और मातृभूमि के रक्षकों को चाहिए कि वे राष्ट्र के द्रोहियों को पनपने न दें, उन्हें समाप्त करते रहें। अपने राष्ट्र की भूमि का शोषण करने वालों का विनाश करें[14]। राष्ट्र के शत्रुओं पर प्रबल आक्रमण करके उन्हें पूरी तरह समाप्त कर दें। अपने अस्त्र–शस्त्रों की धार पैनी रखें। छली शत्रु के साथ छल करने में संकोच नहीं करें तथा अपने बाहुबल को बढ़ाते रहें[15]। राष्ट्रनायक को चाहिए कि वह समस्त प्रजा को समान भाव से सुरक्षित रखें। सबकी प्रार्थनाओं और प्रस्ताओं पर ध्यान दें। पराक्रमशील रहें[16]। युद्ध में जीतकर प्राप्त हुई सम्पत्ति को भी उन्हीं में यथायोग्य उपहार स्वरूप वितरित करें[17]। अपनी शासन व्यवस्था ऐसी बनाए जो सबको प्रिय हो। यशस्करी हो। अपने राष्ट्र की रक्षा का ऐसा प्रबन्ध रखें कि कोई भी शत्रु उसे अधिकृत न कर सके[18]।

वेदों में सैनिकों की भी चारित्रिक विशेषताएँ उपलब्ध होती हैं। तत्कालीन सैनिक उच्च वंशीय होते थे। कुलीन होते हैं। महान ज्ञानी मनस्वी तथा दूरदर्शी होते थे। इन्हीं में कुछ चिकित्सक भी होते थे। पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष से रहित थे। शुद्ध, भातृभाव से युक्त ही युद्ध करते थे। अपने सेनापति की सर्वात्मना सहायता करते थे। उसकी रक्षा करते थे[19]। शत्रुओं के गुप्त आक्रमणों से भी अपने देशवासियों की रक्षा करते थे। अपनी नदियों की रखवाली करते थे। शत्रुओं का दमन करने में सोत्साह रहते थे। उनको तहस–नहस करते रहते थे। शत्रुओं पर शीघ्र ही विजय पा लेते थे[20]। समाज के प्रबुद्ध नागरिक अपने राष्ट्ररक्षक सेनानायकों एवं सैनिकों की सुरक्षा हेतु सदा संवेदनशील रहते थे[21]। कवियों से आशा की जाती थी कि वे सेनानायकों और सैनिकों में शत्रुओं से राष्ट्र की रक्षा करने और करते रहने का अदम्य उत्साह भरने के उद्देश्य से काव्यसर्जना करें, उन्हें चाहिए कि वे अपने वीर योद्धाओं की शौर्य कथा का कीर्तन उत्तम प्रकार से करें और प्रत्येक योद्धा का करें[22]।

वेदों की अनेक ऋचाओं में अपनी मातृभूमि अपनी सरस्वती और अपनी मातृभाषा के प्रति एक साथ समादर प्रकट किया गया है। इन्हें देवी का दर्जा दिया गया है। सुखदायक कहा गया है और कामना की गयी है कि ये कभी क्षीण न हो, हीन न हो, अपितु सदैव प्रतिष्ठित हो[23]। गाय भारतवर्ष का राष्ट्रीय पशु है। अतः इसके प्रति निष्ठा रखना भारतवर्ष के प्रति निष्ठा रखने के समान है। हमारे वैदिक ऋषियों ने गाय के प्रति हार्दिक निष्ठा अभिव्यक्त की है। उनकी कामना रही है कि उनकी गोशलाएँ रंग बिरंगी गायों और गो–संतानों से परिपूर्ण रहे। ऋषियों का प्रयत्न रहा कि गायों का विनाश न हो। चोर डाकू इनकी हिंसा न करे पाये तथा अन्य कोई भी शत्रु इन्हें शस्त्रास्त्रों द्वारा सता न पायें[24]। भारतीय ऋषियों ने समग्र भारत राष्ट्र की एक राष्ट्र देवी की भी परिकल्पना की है जो अमूर्त राष्ट्र शक्ति किंवा राष्ट्र चेतना का ही मानवीकरणात्मक मूर्त रूप है। राष्ट्रशक्ति सम्पन्न देश में खाद्य पेय पदार्थों का अभाव नहीं होता है जो राष्ट्र इस राष्ट्र देवी किंवा राष्ट्र चेतना की उपेक्षा करते हैं वे विनिष्ट हो जाते हैं[25]। हमारे ऋषियों ने भरत एवं भारत शब्द का साभिप्राय प्रयोग किया है। यह तथ्य सर्वविदित है कि इस देश का सार्वभौम

Scanned with CamScanner

सम्राट भरत एक ऐसा तेजस्वी एवं लोकप्रिय सम्राट हुआ है, जिसने इस देश को अपने से सम्बद्ध भारत नाम दिया है[26]। राष्ट्रीय विकास कार्यों के प्रति भी ऋषियों की जागरूकता उल्लेखनीय रही है। इस संदर्भ में उन्होंने अपने देश की धनधान्य से भरपूर बनाऐ रखने के लिए कृषि कार्य को पर्याप्त महत्व दिया है[27]। मूषकों एवं शलभों से अपने खेतों की रक्षा करने के लिए लोगों को सावधान करते थे। उनके खेत लहलहाते रहे और धन–धान्य से उनके भण्डार भरते रहें[28]।

वैदिक ऋषियों को यह तथ्य भी भलीभाँति विदित था कि स्वार्थी, दुराचारी और प्रजा की उपेक्षा करने वाला राष्ट्रनायक देश के लिए घातक होता है। अपने राष्ट्र को शक्तिशाली एवं समुन्नत करने और बनाये रखने के लिए महर्षि वशिष्ठ का कार्यकलाप स्वर्णाक्षरों में उल्लेखनीय है। उन्होंने अपने समग्र राष्ट्र का समग्र हित करने का बीड़ा उठा रखा था, क्योंकि वे राष्ट्र के पुरोहित थे[29]। वेदों में राष्ट्र मंगलकामना की भी प्रचुरता पायी जाती है। हम देखते है कि क्या प्राकृतिक पदार्थ और क्या वैकृतिक जिस जिसमें भी अमंगल की सम्भावना हो सकती है। उस उसमें समष्टिगत मंगल करने की प्रार्थना की गयी है। ताकि सभी सानन्द रह सकें[30]। इसी प्रकार सौ वर्षों तक अच्छी तरह देखते रहने, जीवित रहने, सुनते रहने, बोलते रहने, पुष्ट बने रहने, स्वाभिमान बने रहने की ज्ञान प्राप्त करने, उन्नति करते रहने की कामना की गयी है[31]।

वेदों में न केवल राष्ट्रमंगल कामना हो, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय मंगलकामना नयन गोचर होती है। ऋषियों ने लोगों को अपनी बुद्धि, धन, ज्ञान, शौर्य आदि को शान्तिपरक सर्जनात्मक कार्यों में प्रयुक्त करने के लिए प्रेरित करके केवल राष्ट्रीय ही नहीं, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय कल्याण का उपदेश दिया है[32]। राष्ट्र एवं सत्य के रक्षकों से भी आशा की गयी है कि वे लोग भी शान्ति स्थापना को अपना लक्ष्य बनाए रखें। ऋषियों की अन्तर्राष्ट्रीय मंगल कामना का निर्मम भाव तब प्रशंसनीय हो उठता है, जब वह हृदय से कामना करते हैं कि विश्व के सभी मानव उन्हें मित्र की दृष्टि से देखें और वे भी विश्व के सभी मानवों को मित्र की ही दृष्टि से देखें। इस प्रकार विश्व में सभी मानव सभी मानवों को मित्र की दृष्टि से देखें और जो हमें प्राप्त हुआ है उसी का उपभोग करें। किसी दूसरे के धन को छीन लेने का लोभ नहीं करें।

सन्दर्भ :

1. यजुर्वेद, 9/40
2. वही, 12/1/1
3. ऋग्वेद, 1/1001/12:5/32/11
4. वही, 1/117/3
5. वही, 1/15/1–21
6. ऋग्वेद, 10/191/2–8
7. वही, 2/1/45
8. यस्याः पुरो देवकृतः, अथर्ववेद 11/1/45
9. यां मायाभिन्वचरन्मनीषिणः, वही 12/1/8
10. ऋग्वेद, 1/46/2
11. वही, 3/33
12. ऋग्वेद, 3/54/20
13. ऋग्वेद, 1/80
14. वही, 1/61/10
15. वही, 1/80/3–8
16. वही, 8/45/21
17. वही, 1/81/3
18. वही, 5/82/2, 7/80/6
19. वही, 1/37/1, 1/64/3/8/20/22
20. वही, 5/52/2, 5/54/9, 8/20/92
21. वही, 6/24/10, 6/26/1 यजुर्वेद176/46/49
22. वही, 1/88/5–6
23. वही, 1/13/9
24. ऋग्वेद, 6/28 सूक्त 7/18/1–2,4,9,14,22
25. ऋग्वेद, 10/125
26. ऋग्वेद, 3/23/2,3/53/12/24
27. वही, 4/57 सूक्त 10/134/7
28. अथर्ववेद, 6/50 सूक्त
29. अथर्ववेद, 3/19 सूक्त
30. ऋग्वेद, 7/35 सूक्त
31. ऋग्वेद, 7/66/16
32. ऋग्वेद, 7/35/2,7,9,12

Scanned with CamScanner

IIJ Impact Factor : 2.206 ISSN : 2395 - 5104

शब्दार्णव Shabdarnav

International Peer Reviewed Journal of Multidisciplinary Research

Year 4 Vol. 8, Part-I July-December, 2018

Scientific Research
Educational Research
Technological Research
Literary Research
Behavioral Research

Editor in Chief
DR. RAMKESHWAR TIWARI
Assist. Professor, Shree Baikunth Nath Pawahari Sanskrit Mahavidyalay
Baikunthpur, Deoria

Executive Editors
DR. KUMAR MRITUNJAY RAKESH
MR. RAGHWENDRA PANDEY

Published by
SAMNVAY FOUNDATION
Mujaffarpur, Bihar

Scanned with CamScanner

अनुक्रमणिका

- वैदिक वर्ण व्यवस्था आधुनिक परिप्रेक्ष्य में एवं महात्मा गाँधी की विचारधारा 1–5
  डॉ0 अर्चना श्रीवास्तव
- ज्योतिषशास्त्रे विंशोत्तरीदशायाः महत्त्वम् 6–8
  हेमन्त कुमारः
- कमर दर्द (स्लिप–डिस्क) में एक्यूपंक्चर एवम् योगासनों का प्रभाव 9–13
  दिनेश कुमार बेंडा
- नवाब सैय्यद मुश्ताक अली खाँ व रामपुर राज्य–एक ऐतिहासिक विवेचन 14–18
  डॉ0 अश्विनी कुमार
- हिंदी और सूचना प्रौद्योगिकी का अन्तःसम्बन्ध 19–23
  डॉ0 दीपिका आत्रेय
- स्मृतिसिद्धान्तचन्द्रिकान्तर्गतं तिथियुग्मतिथिवेधविचाराणां विमर्शः 24–26
  डॉ0 देवी प्रभा
- वाल्मीकिरामायणे यज्ञव्यवस्था 27–28
  डॉ0 हरि शंकर डिमरी
- मुगल शासक और चेरो वंश 29–31
  डॉ0 जयगोविन्द प्रसाद
- आतंकवाद के उन्मूलन में संस्कृत साहित्य का योगदान 32–34
  डॉ0 लज्जा भट्ट
- एकेश्वरवादी धर्मों की विस्तारवादी प्रवृत्ति : एक संक्षिप्त अवलोकन 35–37
  डॉ0 मंजू सिंह
- श्रीमद्भगवद्गीता में जीवन मूल्य का विवेचन : एक अध्ययन 38–41
  डॉ0 नारायण सिंह राव
- गणितीय धर्मशास्त्र में ईश्वर–सृष्टि का बोध 42–43
  डॉ0 नरेन्द्र देव शुक्ला
- 20वीं शताब्दी में डूंगरपुर में शिक्षा का विकास 44–51
  डॉ0 नरेश कुमार पाटीदार
- नरेश मेहता के काव्य में चित्रित प्रकृति एवं सांस्कृतिक बोध 52–56
  डॉ0 राखी उपाध्याय
- महाभारतकालीन अपराध एवं दण्डव्यवस्था 57–62
  डॉ0 संयोगिता
- संस्कृतभाषायाः महत्वम् 63–66
  डॉ0 त्रिलोक नाथ झा
- मुखं व्याकरणं स्मृतम् 67–69
  मनोज शर्मा
- वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रामायण के आदर्श पात्रों के जीवन मूल्यों का विवेचन : एक अध्ययन 70–73
  मिस्किन बानों

Scanned with CamScanner

- कालिदासीय मंगलाचरण : एक अनुशीलन — 74–77
  नीरज कुमार द्विवेदी
- काव्यशास्त्र — 78–79
  डॉ० इन्दिरा गुप्ता व निधि अग्रवाल
- स्वामी करपात्री जी की दृष्टि में अध्यात्म — 80–83
  पूजा मिश्रा
- भारतीय शिक्षाव्यवस्थायां व्यक्तित्वसंप्रत्ययस्यावश्यकता — 84
  प्रमोद कुमार शर्मा
- भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत — 85–88
  प्रेम सुन्दर प्रसाद
- स्त्रियों के अस्तित्व पर शास्त्रों का प्रभाव — 89–90
  राम शिव द्विवेदी
- संस्कृत साहित्य के अनुसार प्रतिनायक का लक्षण एवं स्वरूप — 91–93
  रिंकू यादव
- प्रो० बनमाली बिश्वाल के संस्कृत–कथासाहित्य में महिलाधिकार (स्त्रीशिक्षा अधिकार एवं कर्त्तव्य के विशेष सन्दर्भ में) — 94–96
  उत्तमा थारवान
- श्रीमद्भगवद्गीता में प्रेम साधना — 97–102
  डॉ० सुषमा जोशी
- वर्तमान शिक्षा एक व्यंग्यात्मक अध्ययन — 103–107
  गौरव गौतम
- कृषि विविधीकरण एवम् ग्रामीण विकास गेपालगंज जिले की एक भौगोलिक समीक्षा — 108–112
  रूबी कुमारी
- ख्याति विमर्श में भाट्ट मीमांसाभिमत विपरीतख्याति — 113–115
  श्याम शंकर
- आचार्य भामह का काव्यशास्त्रीय परम्परा में अवदान — 116–120
  डॉ० नवोनाथ झा
- परिभाषेन्दुशेखरस्थ – परिभाषाणामुपादेयत्वम् — 121–122
  अनिलकुमारपाण्डेयः
- संस्कृत वाङ्मय के महनीय आचार्य अभिनव गुप्त — 123–125
  डॉ० शशिनाथ झा
- प्रामाण्यवादः एक समीक्षात्मक अध्ययन — 126–128
  डॉ० सुधीर कुमार झा
- समसामयिक–परिप्रेक्ष्ये नदीनां महत्त्वम् — 129–130
  मोहित शुक्लः
- ईश्वर प्रदत्त भौतिकी सृष्टि का विवेचन — 131–132
  सोहनलाल मीना
- वैदिकवाङ्मयीयकृषिविज्ञानसमीक्षणम् — 133–138
  अखिलेशकुमारमिश्रः
- सांप्रत काल की आवश्यकता शिक्षा में आध्यात्मिकता — 139–142
  Dr. Ajay P. Lamba

Scanned with CamScanner

श्रीमद्भगवद्गीता में प्रेम साधना

डॉ0 सुषमा जोशी*

एक परमेश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है, वे ही मेरे सर्वस्व हैं– ऐसा समझकर, जरा भी स्वार्थ, अधिमान और कामना न रखकर एकमात्र भगवान् में ही अतिशय श्रद्धा से युक्त अनन्य प्रेम करना और भगवान से भिन्न किसी भी वस्तु में किंचित मात्र भी प्रेम न करना यह अनन्य प्रेम है। अनन्य प्रेम के साधन का स्वरूप और फलें इस प्रकार बताया गया है–

मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्।
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च।।
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्।
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते।।[1]

'निरन्तर मुझमें मन लगाने वाले और मुझमें ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभावसहित मेरा कथन करते हुए ही निरन्तर सन्तुष्ट होते है एवं मुझ वासुदेव में ही निरन्तर रमण करते हैं। उपर्युक्त प्रकार से ध्यान आदि द्वारा मुझमें निरन्तर रमण करने और प्रेमपूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्वज्ञान–रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझकों ही प्राप्त होते हैं।'

यहाँ भगवान् ने 9 वें श्लोक में अनन्य प्रेमी भक्त के लक्षणों के रूप में छः साधन बतलाये हैं और 10 वें श्लोक में उनका फल बतलाया है। अब इनके विषय में कुछ विस्तार से विचार किया जाता है।

मच्चित्ता : जैसें संसारी मनुष्य रात–दिन संसार में ही रचे–बसे रहते हैं, वैसे ही भगवान् के प्रेमी भक्त भगवान में ही रचे–बसे रहते हैं तथा जैसे संसारी मनुष्य हर समय मन से संसार का ही चिन्तन करते रहते हैं, वैसे ही भगवान् भक्त हर समय मन से भगवान का ही चिन्तन करते रहते हैं। भगवान् से मिलने से इच्छुक साधन भक्त मन से भगवान् का आह्वान करके भगवान् का दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप, पूजा, आदर, सत्कार और विनोद करते रहते हैं। सर्वप्रथम भक्त भगवान् श्रीशिव, श्रीविष्णु, श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि अपने ईष्टदेव का आह्वान करके चरणों से लेकर मस्तक तक वस्त्र–आभूषण–आयुध आदि के सहित उनके स्वरूप का श्रद्धा–प्रेम से चिन्तन करता है फिर मानसिक शरीर के द्वारा षोडश उपचारों से पूजन करता है। तत्पश्चात् आत्मीयतापूर्वक स्तुति–प्रार्थना करता है तथा मन से ही उनके साथ आमोद, से पूजन करता है तथा मन से ही उनके साथ आमोद, प्रमोद और विनोद करता हुआ आश्रम घर या वन में विचरण करता है। जहाँ–जहाँ भगवान् के चरण टिकते हैं, उस–उस भूमि मे भगवान् का प्रभाव प्रवेश कर जाता है। इसलिये उस भूमि की रज को परम पवित्र और कल्याणकारिणी हो गयी समझता है। जिस बिछौने, गद्दे आदि में मानों भगवान् के साथ भक्त मन से वार्तालाप करता है, उस शतरंगी और गद्दे आदि में मानों भगवान् के दिव्य गुण–प्रभाव के परमाणु प्रवेश कर गये, इसलिये उस शतरंगी गद्दे को छूने से उसके शरीर में रोमान्च हो जाते हैं तथा ह्रदय प्रफुल्लित होता रहता है। जैसे दो सखा आपस में प्रेम की बातचीत करते हैं, वैसे ही भगवान् के साथ दिव्य प्रेम की मन से ही बातचीत करता रहता है। प्रेम भरे नेत्रों से वे एक–दूसरे को देखते हैं। भगवान् के हृदय में और नेत्रों में समता, शान्ति, ज्ञान, प्रेम आदि अनन्त दिव्य गुण भरे पड़े हैं, भगवान मुझपर अनुग्रहपूर्ण दृष्टिपात करते हैं, जिससे वे गुण मेरे मन, बुद्धि इन्द्रिय, शरीर और रोम–रोम में ऐसे प्रवेश कर रहे हैं कि उनमें समता, शान्ति, ज्ञान, आनन्द तथा प्रसन्नता की सीमा ही नहीं रही। मानों मैं गुणों के सागर में डूबा हुआ हूँ– ऐसा उसे प्रत्यक्ष अनुभव होता है। भगवान् के नेत्रों की दृष्टि जहाँ–जहाँ पड़ती है, वे सब वस्तुएँ दिव्य अलौकिक कल्याणदायक हो जाती हैं ऐसा अनुभव होने लगता है, फिर मानों भगवान और भक्त दोनों तक साथ भोजन करने बैठे हैं तथा एक–दूसरे को

*संस्कृत विभाग, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल

Scanned with CamScanner

भोजन परोस रहे हैं। भगवान् के स्पर्श से वह भोजन दिव्य, अलौकिक रसमय, परम मधुर हो गया है। उस भोजन के करने से सारे शरीर में इतनी प्रसन्नता, आनन्द, शान्ति और तृप्ति हो रही है कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। भगवान् के अंग से जिस वस्तु का स्पर्श होता है, वह भी दिव्य रसमय, आनन्दमय, शान्तिमय, प्रेममय और कल्याणमय हो जाती है। भगवान् जिसको अपने मन में स्मरण कर लेते हैं, वह वस्तु भी परम शान्ति, परमानन्द और परम कल्याणदायिनी हो जाती है। भगवान् में दिव्य सुगन्ध आती है, वह नासिका के लिये अमृत के समान है श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान कहते है :–

साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः।
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदर्युक्तचेतसः।।[2]

अर्थात् भगवान कहते है कि जो पुरूष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अनन्तकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्रवाले पुरूष मुझे जानते हैं अर्थात् प्राप्त हो जाते हैं।

भगवान का रूप मोक्ष देने वाला है। भगवान् की वाणी बड़ी ही कोमल और मधुर है, वह कानों के लिये अमृत के समान है। भगवान् का दर्शन नेत्रों के लिए अमृत समान हैं। भगवान् के साकार–निराकार, सगुण–निर्गुण स्वरूप का जो तात्विक ज्ञान है, वह बुद्धि के लिये अमृत के समान है। इस प्रकार उनका दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप, चिन्तन, आमोद–प्रमोद आदि सभी रसमय, आनन्दमय, प्रेममय और अमृतमय हैं। भगवान् के नाम, रूप लीला और धाम सभी परम मधुर, दिव्य, अलौकिक तथा रसमय हैं। यों चिन्तन करते हुए वे प्रेमी भक्त अपने चित्र को सर्वथा भगवन्मय बना देते हैं। भगवान् के सिवा अन्य किसी भी पदार्थ में उनके मन की प्रीति और वृत्ति नहीं रहती; अतः वे भगवान् को एक क्षण भी नहीं भूल सकते। एक भगवान् को एक क्षण भी नहीं भूल सकते। एक भगवान् में ही इनका मन–तन्मय होकर निरन्तर लगा रहता है।

मद्गतप्राणा : वे प्रेमी भक्त उपर्युक्त भगवान् श्री शिव, श्री विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण आदि अपने इष्टदेव के साक्षात् दर्शन के लिये उनको अपना जीवन, धन और प्राण–सर्वस्व समझकर अपने जीवन को उसी को अर्पण कर देते हैं। फिर उनकी सारी चेष्टाएँ भगवान् के लिये ही होने लगती हैं। उनका जीवन भगवान् के लिये ही होता है। उन्हें क्षणमात्र का भी भगवान् का वियोग असह्य हो जाता है। उनको भगवद्दर्शन के बिना चैन नहीं पड़ता, न रात को नींद आती है और न दिन में भूख लगती हैं। भगवान् के सिवा कोई भी पदार्थ उन्हें अच्छा नहीं लगता। वे जल के बिना मछली की भाँति तड़फते रहते हैं। जैसे मछली के प्राण जलगत हैं, उसी प्रकार उन्हें प्राण भगवद्गत हो जाते हैं। वे गोपियों की तरह विरहाकुल, पागल और उन्मत से हुए भगवान् को ही खोजते–फिरते हैं।

इस प्रकार वे अपने जीवन–प्रमाण सबको भगवान के न्यौछावर कर देते हैं, उनका सब कुछ भगवान् को अर्पण हो जाता है। उन्हें, खाने, पीने, बोलने चलने आदि की भी सुध–बुध नहीं रहती। यक्ष, राक्षस, देवता, मनुष्य, पशु आदि किसी की भी परवा नहीं रहती। वे सबसे निर्भय होकर विचरते हैं, शास्त्रमर्यादा और लोकमर्यादा का भी उन्हें ज्ञान नहीं रहता। तन, मन, धन, जीवन, प्राण और सर्वस्व भगवान के अर्पण कर देने के कारण भगवान के सिवा अन्य किसी में भी उनकी प्रीति तथा ममता नहीं रहती। वे एकमात्र भगवान् पर ही निर्भर रहते हैं।

बोधयन्तः परस्परम : जैसे गोपियाँ भगवान् के प्रेम के तत्व को परस्पर एक दूसरी को कहती और समझती रहती थी, वैसे हीं वे भगवत्प्रेम में मग्न हुए प्रेमी भक्त अपने प्रेमी मित्रों के साथ भगवान् के नाम, रूप, लीला, धाम, प्रेम, गुण और प्रभाव की चर्चा करते हुए एक–दूसरे को उनका तत्व–रहस्य समझाते रहते हैं और अपने परम प्रिय भगवान् की लीला, चरित्र, महिमा तथा भगवान् के माधुर्य, रूप–लावण्य, वस्त्र, आभूषण, नाम व गुण प्रभाव आदि के सम्बन्ध में परस्पर वार्तालाप करते–करते उस विशुद्ध परम प्रेम तथा आनन्द में तन्मय एवं मुग्ध हो जाते हैं।

कथयन्तश्च माम् : इसी प्रकार वे भक्त भगवान् के प्रेमी भक्तों तथा अपने प्रिय सखाओं के सम्मुख भगवान् के नामों का कीर्तन और गुणों का गान करते रहते हैं एक भगवान के साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण स्वरूप के तत्वरहस्य का, भगवान् के चरित्र और दिव्य लीलाओं का भगवान् के नाम की महिमा का, भगवान् के नित्य परम धाम के गुण–प्रभाव–तत्व–रहस्य का तथा भगवान के दिव्य, अलौकिक, अनन्त नानाविध गुणों के तत्व–रहस्य का पुस्तक, व्याख्यान और पत्र व्यवहार आदि के द्वारा वर्णन करते रहते हैं। ऐसा करते हुए वे

Scanned with CamScanner

भगवत्प्रेम के आनन्द के विह्वल और मगन हो जाते हैं। फिर भी, इन सब का वर्णन करने से वे कभी अघाते ही नहीं।

नित्यं तुष्यन्ति च : वे भक्त ऊपर बतायी हुई बातों से ही हर समय संतुष्ट रहते हैं। इनसे बढ़कर किसी को भी आनन्ददायक नहीं समझते। वे भगवान् के तत्व–रहस्य को समझ–समझकर तृप्त और सन्तुष्ट करते हैं, पर शान्ति तथा परमानन्द के दिव्य रस में हर समय मग्न रहते हैं। वे आमोद–प्रमोदपूर्वक हर समय इतने प्रसन्नचित्त रहते हैं कि भारी–से–भारी आपत्ति पड़ने पर भी उस आनन्द की स्थिति से विचलित नहीं होते, वरन् अपने इष्टदेव के नाम, रूप लीला, गुण और प्रभाव का स्मरण करते हुए परम प्यारे इष्टदेव परमात्मा की प्रेममयी लीला और चरित्र को मन से ही देख–देखकर सदा परम संतुष्ट रहते हैं तथा भगवान् के परम मधुर स्वभाव, महिमा एवं रूप माधुरी के तत्व–रहस्य को समझकर परम आनन्द में मग्न रहते हैं।

रमन्ति च : वे परम प्रेमी भक्त भगवान् में ही सर्वथा रमण करते रहते हैं। अपने परम प्यारे भगवान् के दिव्य अलौकिक सुगन्ध आती रहती है, उनका नासिका से स्वाद लेना नासिका के द्वारा रमण हैं। भगवान् के प्रसाद को पाकर जिह्वा के द्वारा उसका स्वाद लेना जिह्वा के द्वारा रमण हैं। भगवान् के नेत्रों से नेत्र मिलाकर, उनके नेत्रों में जो एक अलौकिक दिव्य, प्रेम, रस और ज्ञानयुक्त ज्योति है। उसको देखते रहना नेत्रों के द्वारा रमण हैं। भगवान् के चरणों का हाथों से स्पर्श करना हाथों के द्वारा रमण है। भगवान् के नुपूर, वंशी आदि की ध्वनि को तथा उनकी प्रेमभरी कोमल मधुर वाणी को सुन–सुनकर स्वाद लेना कानों के द्वारा रमण हैं। भगवान् के गुण, प्रभाव, रूप लीला आदि का चिन्तन करना मन से भगवान् में रमण करना है तथा भगवान् के सगुण–निर्गुण, साकार–निराकार–स्वरूप के तत्व रहस्य को समझकर मुग्ध होते रहना बुद्धि के द्वारा उनमें रमण करना हैं। इस प्रकार भगवान का आघ्राण, प्रसाद–भाग, दर्शन, स्पर्श, भाषण–श्रवण, चिन्तन, मनन आदि सभी परम मधुर, रसमय, प्रेममय, अमृतमय और आनन्दमय है ऐसा समझकर वे प्रेमी भक्त अपने मन, बुद्धि और इन्द्रियों का भगवान् के साथ सम्बन्ध जोड़कर उनसे उनके दर्शन–भाषण आदि करने में ही अत्यन्त अनुपम रसास्वाद लेते हुए भगवान में ही नित्य–निरन्तर रमण करते रहते हैं। गोपियों का भगवान में अनन्य विशुद्ध दिव्य प्रेम था।

एवं व्रतः स्वप्रियानामकीर्त्या जतानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः।
हसत्यथो रोदिति रौति गायत्युन्मादवन्नृत्यति लोकबाध्यः।।[3]

यह श्लोक श्रीमद्भागवत से लिया गया है इसमें कहा है कि श्रीकृष्ण के श्रवण का ही जिसने व्रत ले रखा है, ऐसा पुरूष संसारी लोगों की कुछ भी परवाह न करता हुआ अपने प्यारे श्रीकृष्ण के नाम संकीर्तन में अनुरागवश कभी तो हँसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लता है, कभी गाता है, कभी थिरक–थिरककर नृत्य करने लगता है।

इसी प्रकार गोपियों का भी भगवान् के प्रति अनन्य विशुद्ध प्रेम था। उनके मन, प्राण और समस्त चेष्टाएँ एकमात्र अपने प्राणधन प्रेमास्पद भगवान् को ही अर्पित थी तथा वे भगवान् के गुणों का गान करती हुई उनके प्रेम में ही सदा मग्न रहती थीं। भागवतकार बतलाते हैं –

तन्मनस्कास्तदालापास्तद्विचेष्टास्तदात्मिकाः।
तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरूः।[4]

'गोपियों का मन श्रीकृष्णमय हो गया था। उनकी वाणी से श्रीकृष्णचर्चा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती थी। उनके शरीर से केवल श्रीकृष्ण के लिये और केवल श्रीकृष्ण परक चेष्टाएँ हो रही थीं। कहाँ तक कहें, उनकी आत्मा श्रीकृष्णमय हो रही थी। वे केवल श्रीकृष्ण के गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थीं तथा उनमें इतनी तन्मय हो रही थीं कि उन्हें अपने शरीर और घर की भी सुध–बुध नहीं रही।' गीता में श्रीकृष्ण ने कहा हैः–

वो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं व मयि पश्यति।
तस्याहं न प्रणष्यामि स च मे न प्रणष्यति।।[5]

अर्थात जो सम्पूर्ण भूतों में मुझ वासुदेव को व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अन्तर्गत देखता है, उसके लिये मैं कभी ओझल नहीं होता तथा मेरे लिये वह कभी अदृश्य नहीं होता। मेरी कृपादृष्टि से वह सर्वदा सुरक्षित रहता है।

भगवान् के नाम, रूप, लीला, धाम, गुण और प्रभाव का तत्व रहस्य समझकर श्रद्धा–विश्वास तथा अनन्य प्रेम–पूर्वक निरन्तर मन से चिन्तन, दर्शन, भाषण एवं चरण–स्पर्श करना ही भगवान् को प्रीतिपूर्वक विशुद्ध,

Scanned with CamScanner

निष्काम भाव से भजना है। इस प्रकार भगवान् को भजने वाले भक्त गान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, ऐश–आराम, भोग और त्रिलोकी के ऐश्वर्य को तथा मुक्ति को भी नहीं चाहते। वे केवल विशुद्ध प्रेम के लिये ही भगवान् को अनन्यभाव से भजते हैं –

न पारमेष्ठयं न महेन्द्राधिष्ण्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्।
न योगसिद्धिर्नपुनर्भवं वा मय्यर्पितात्मेच्छति मद्विनान्यत्।।

जिसने अपने को मुझे अपर्ण कर दिया है, वह मेरे सिवा न तो ब्रह्मा का पद चाहता है और न देवराज इन्द्र का। उसके मन में न तो सार्वभौम सम्राट् बनने की इच्छा होती है और न वह रसातल का ही स्वामी होना चाहता है तथा वह योग की बड़ी–बड़ी सिद्धियों और मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करता।' श्रीकृष्ण ने उद्धवजी से कहा कि –

निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनम्।
अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेत्यङ्घ्रिरेणुभिः।।

अर्थात् जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिन्तन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही चिन्तन–मनन में तल्लीन रहता है और जो राग–द्वेष छोड़कर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्मा के पीछे–पीछे मैं यह सोचकर निरन्तर घूमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूलि उड़कर मेरे शरीर पर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊँ।

तीनों लोकों के स्वामी परब्रह्म परमात्मा ने अपने भक्त को कितना आदर दिया है, कितना प्यार और सम्मान दिया है, यह सोचा भी नहीं जा सकता है। वाह रे प्रभु! आपके प्रेम की लीला अचिन्तनीय है:– **चेष्टा विभून्मः खलु दुर्विभाव्या।**

कभी–कभी भक्त समझता है कि मैं भी भगवान् का ध्यान करता हूँ, परन्तु सच बात तो यह है कि भगवान भी भक्त का ध्यान करते हैं। एक बार राजा युधिष्ठिर ने देखा कि भगवान् श्रीकृष्ण ध्यान में बैठे हुए हैं। भगवान् सारा संसार तो आपका ध्यान करता है, परन्तु आप किसका ध्यान कर रहे थे? भगवान् ने उत्तर दिया– युधिष्ठिर! मैं शर–शय्या पर पड़े हुए अपने भक्त भीष्म का ध्यान कर रहा था कि वे कैसे हैं?

इसलिये यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि भगवान् से हमारा रिश्ता दोतरफा है। हम उनका जिस प्रकार और जैसा ध्यान–भजन करते हैं, वैसा ही वे भी हमारा ध्यान–भजन करते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता ने श्रीभगवान् ने कहा है –

यो यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।
मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः।।[6]

अर्थात् जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूँ (फल देता हूँ) हे अर्जुन किसी भी ओर से मनुष्य अन्त में मेरे ही मार्ग में आ मिलते हैं।

मुझे भजने वाले भक्त व अनन्य विशुद्ध प्रेम करने वाले भक्त को भगवान् वह बुद्धियोगरूप विज्ञानसहित ज्ञान दे देते हैं, जिससे भगवान् के साकार–निराकार, सगुण–निर्गुण स्वरूप का तत्व रहस्य यथावत् समझ में आ जाता है और उसके फलस्वरूप उसे परम प्रेमास्पद भगवान् की प्राप्ति हो जाती है। भगवान की प्राप्ति होने के पश्चात् उसे केवल भगवान् का ही अनुभव रहता है। वह अपने–आपको भी भूल जाता है। होश आने के बाद उसकी सारी चेष्टाएँ भगवान् के ही मन और संकेत के अनुकूल कठपुतली की भाँति स्वाभाविक ही होती रहती हैं। फिर भगवान् की सारी चेष्टा भक्त के लिये और भक्त की सारी चेष्टा भगवान् के लिये ही होती है, उसमें परस्पर नित्य–नया प्रेम सदा–सर्वदा समान भाव से जागृत रहता है। परस्पर दोनों की चेष्टा एक–दूसरे को आह्लादित करने के लिये ही होती है। जो कि एक–दूसरों के लिये लीलारूप है। प्रेम, प्रेमास्पद और प्रेमी इनका नाम रूप अलग–अलग है, परन्तु वस्तुतः तीनों एक ही हैं, किन्तु वस्तुतः वे स्वर्ण ही हैं। इसी प्रकार परम दिव्य चिन्मय प्रेमस्वरूप परमात्मा ही प्रेमी, प्रेमास्पद और प्रेम नाम से व्यवहृत हुए हैं। भक्त की दुष्टि में तो भक्त प्रेमी, भगवान प्रेमास्पद और उनका सम्बन्ध ही प्रेम है तथा भगवान् की दृष्टि में भगवान् प्रेमी, भक्त की सारी चेष्टा भगवान के लिये लीला है। एक–दूसरे की चेष्टा एक–दूसरे की प्रसन्नता के लिये ही होती है।

कहा गया है कि सांसारिक विषयों में आसक्त–चंचल मन का निग्रह वैसा ही दुष्कर कर्म है जैसा वायु को रोक पाना। अनुभवशील आचार्यों का इस संदर्भ में यह मत है कि मन को बलात् नहीं रोका जा सकता, प्रेम के बन्धन में बंधकर वह स्वयं रूक जाता है। भ्रमर को देखिये, सूखे काष्ठ को भी काट देने की सामर्थ्य

Scanned with CamScanner

रखने वाला वह अपने आप को कमल पंखुड़ियों के भीतर कैद किये रहता है। क्यों भला? केवल प्रेम सम्बन्ध के कारण। अन्यथा पुखंड़ियों को काटकर वह कभी भी बाहर जा सकता है–

इसलिये परमानन्दकन्द भगवान् के प्रेम का आस्वाद यदि मन को दे दिया जाय तो वह निश्चित रूप से रूक जायेगा और रूककर वहीं लीन भी हो जायेगा, ऐसा बड़े–बड़े, अनुभवी आचार्यों का अभिमत है। परन्तु किसी को बिना जाने उससे प्रेम हो ही नहीं सकता, इसलिये भगवान् का माहात्मय जाने बिना उनसे भी प्रेम कैसा हो पायेगा? तो सर्वप्रथम भगवान् के माहात्म्य का ज्ञान नितान्त आवश्यक है। महाप्रभु भी वल्लभाचार्य जी ने इन मनोवैज्ञानिक तथ्य को इस प्रकार स्पष्ट किया है –

इस जन्म में अथवा किसी पूर्व जन्म में भगवदनुरागी भक्तों के संग के फलस्वरूप सर्वप्रथम हृदय में भगवन्निष्ठा का उदय होता है। निष्ठा का उदय होने पर फिर शनैः–शनैः आसक्ति में परिणत हो जाती है। गाढा आसक्ति का नाम ही भाव है, जिसे प्रेम की प्रथमावस्था माना गया है। निष्कर्ष यह है कि भगवान् के दिव्य स्वरूप, अलौकिक सामर्थ्य, अप्रतिम सौन्दर्य, अनन्य सदृश ऐश्वर्य प्रभूति अनन्त गुणगणनिलय का माहात्म्य जान लेने पर **परमान्दपरिप्लुप शुद्धं सत्वात्मिका चिन्तनवृत्ति** ही भाव है। भगवान को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा, उनकी सेवा की उत्कट लालसा एवं उनके सौहार्द–लाभ की प्रबल उत्कण्ठा से समुत्पन्न भाव चित्त को मसृण कर देते हैं। चित के सम्यक् रूप से मसृण (द्रवीभावसम्पन्न) हो जाने पर आनन्दोद्रेक से धनीभूत भाव ही परिमाणतः फिर प्रेमरूप में परिणत हो जाता है –

यद्यपि भावुक साधक के मन के अनुसार भावोदय में तारतम्य होना स्वाभाविक ही है, परन्तु भगवद्प्रेम में सांसारिक पदार्थों से विरति किंवा निःस्पृहता की भावना भावुक साधना में निरन्तर जाग्रत रहती है।

भगवद्प्रेमी भक्त कैसा हो? जो भक्त समस्त कार्य छोड़कर सर्वदा एकमात्र भगवान् का ही अवलम्बन करता है, एकमात्र भगवान् की सेवा–पूजा में तन–मन धन से निरन्तर नियुक्त रहता है, वे भक्त नमस्कार योग्य है। जो भगवान में समस्त लोक और समस्त लोकों में भगवान् का दर्शन करता है, जो सर्वत्र समान–बुद्धि रखता है और सर्वभूतों में प्रेम रखता है, वह भक्त नमस्कार योग्य है।

जिसको अपने और पराये का भेद नहीं है, जिसको इच्छा, द्वेष और अभिमान नहीं है तथा जो सर्वदा पवित्र एवं भगवान् में दत्तचित्त है, वह भक्त नमस्कार योग्य है। जिसका मन सम्पत्ति–विपत्ति में भगवान् को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाता, जो सर्वदा सत्यवादी एवं सदाचारपरायण है, वहीं भक्त नमस्कार योग्य है। गीता में भगवान् कहते हैं –

यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरूषोत्तमम्।
स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत।।[7]

अर्थात् हे भारत! ज्ञानी पुरूष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरूषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरूष सब प्रकार से निरन्तर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है।

गीता में ज्ञानयुक्त भगवत्प्रेम का वर्णन है। ज्ञानी भक्त सतत् ईश्वर का स्मरण करता है। वह ईश्वर से कभी पृथक नहीं होता है। वास्तव में स्वरूपतः हम न ईश्वर से पृथक हो सकते हैं और न ईश्वर हमसे पृथक् हो सकता है। अर्थात् परम कृपालु परमेश्वर यह देव–दुर्लभ मानवतम प्रभु का भजन करने का लक्ष्य से ही देता है।

भगवान् की लीला अपरम्पार है। भगवान् की सारी चेष्टा भक्त के लिये लीला है और भक्त की सारी चेष्टा भगवान् के लिये लीला है। एक–दूसरे की चेष्टा एक–दूसरे की प्रसन्नता के लिये ही होती है। वहाँ एक–दूसरे के साथ लज्जा, मान, भय और आदर–सत्कार किंचिन्मात्र भी नहीं रहते। वस्तुतः तो एक ही है अतः कौन, किसका, किससे, किसलिये लज्जा, मान, भय और आदर–सत्कार करे। दास्य और वात्सल्य भाव में तो आदर सत्कार और भय रहते हैं, कान्ता भाव में भी आदर सत्कार रहते हैं तथा सख्य में भी लज्जा रहती है किन्तु यहाँ तो परस्पर लज्जा, भय, मान और आदर सत्कार का किंचित्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता क्योंकि भगवान् की प्राप्ति होने के साथ ही दास्य, संख्य, कान्ताभाव, वात्सल्य, शान्त आदि सारे भावों का उस भक्त में समावेश हो जाता है। वह इन सारे भावों से अतीत केवल विशुद्ध चिन्मय परम प्रेमस्वरूप भगवान् को प्राप्त हो जाने के कारण इन भावों के ऊपर उठ जाता है। इस परम विशुद्ध दिव्य अलौकिक प्रेम की प्राप्ति रहस्यमय है। इनका कोई वाणी द्वारा वर्णन नहीं कर सकता।

Scanned with CamScanner

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. श्रीमद्‌भगवद् गीता दशम
2. श्रीमद्‌भगवद् गीता, अष्टम अध्याय श्लोक सं0 30
3. श्रीमद्‌भगवद् गीता, एकादश अध्याय श्लोक सं0 240
4. श्रीमद्‌भगवद् गीता, दशमाध्याय श्लोक सं0 30–44
5. श्रीमद्‌भगवद् गीता, पष्ठ अध्याय श्लोक सं0 30
6. श्रीमद्‌भगवद् गीता, चतुर्थ अध्याय श्लोक सं0 14
7. श्रीमद्‌भगवद् गीता, एकादश अध्याय श्लोक सं0 16
8. श्रीमद्‌भगवद् गीता, चतुर्थ अध्याय श्लोक सं0 11–18
9. श्रीमद्‌भगवद् गीता, चतुर्थ अध्याय श्लोक सं0 11
10. श्रीमद्‌भगवद् गीता, चतुर्थ अध्याय श्लोक सं0 19

सन्दर्भ :

1. गीता (10–9–10)
2. (श्रीमद्‌भगवद्गीता – 18 अध्याय का 30वाँ श्लोक)
3. (श्रीमद्‌भा0 11–2–40)
4. श्रीमद्‌भागवतमहापुराण
5. श्रीमद्‌भगवद्गीता
6. श्रीमद्‌भगवद्गीता
7. (गीता 15/11)

Scanned with CamScanner

S N: 290

आधुनिक संस्कृत साहित्य और प्रगतिशील रचनाकार

*डॉ. प्रदीप कुमार **
*गोकुल सिंह देऊपा ***

वैदिक–काल से आज तक संस्कृत भाषा में साहित्य का अविराम सृजन होता चला आ रहा हैं लगभग छः सहस्त्राब्दियों से पन्द्रह लाख वर्गमील के क्षेत्र में बसे हुए करोड़ों मनुष्यों ने कई पीढ़ियों तक इस साहित्य का सृजन किया है। आज तक गतिशील रहने वाला इतने विशाल जन समुह को आन्दोलित करने वाला यह साहित्य विश्व के अखिल साहित्यों से प्राचीनता, अविच्छिन्नता, व्यापकता और कलात्मकता में अनुपम हैं।[1]

साहित्य के सन्दर्भ में आधुनिक शब्द दो आशयों में प्रयुक्त किया जाता है। एक तो अधुनातना या समसामयिक लेखन की दृष्टि से जिसमें वर्तमान प्रवृत्तियाँ आती हैं और दूसरे इतिहास के व्यापक परिप्रेक्ष्य में। साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल शब्द केवल वर्तमान साहित्य के सन्दर्भ में ही प्रयुक्त नहीं होता बल्कि एक बड़े काल–खण्ड के अर्थ में आता है। उसी दृष्टि से संस्कृत साहित्य का आधुनिक काल लगभग गत 100 वर्षो में फैला हुआ माना जाना चाहिए।संस्कृत साहित्य के इस आधुनिक काल में जो प्रवृत्तियाँ विकसित हुई वे ही वर्तमान अर्थात् समसामयिक लेखन में भी परिलक्षित हो रही हैं। काव्यमाला जैसे श्रृंखलाओं में प्राचीन साहित्य तो मुद्रित हो ही रहा था पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से और उसके साथ ही स्वतन्त्र ग्रन्थों के रूप में भी नया लेखन भी विकसित हो रहा था। इस नये लेखन में अनेक प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं। शैलीगत और शिल्पगत इन नई प्रवत्तियाँ के साथ–साथ विषय वस्तु और कथा में जो नवीनता आई है वह भी आधुनिक साहित्य की उल्लेखनीय विशेषता है। प्राचीन साहित्य में पौराणिक और ऐतिहासिक कथावस्तु का आधार लेकर महाकाव्य, नाटक और उपन्यास लिखे जाते थे किन्तु आधुनिक युग में नये–नये राजनैतिक और सामाजिक विषयों पर इन सारी विधाओं में साहित्य लिखा गया है।[2] संस्कृत साहित्य का गहन प्रभाव से शिक्षा प्राप्त भारतीयों में एक नवीन जीवन पद्धति और विचारधारा का निर्माण हुआ और रचनात्मक–कार्य को एक नयी प्रेरणा मिली। विश्व साहित्य में प्रतिबिम्बित नयी व्यवस्था, बदलते राजनीतिक व सामाजिक सरोकार और घटनाओं से युवा संस्कृत–कवि परिचित और प्रभावित हुये। वहीं प्राचीन काव्य प्रभावित हुये। वहीं प्राचीन काव्य के संस्कार, रसात्मक बोध, भाषा के परिनिष्ठित रूप और शब्द की साधुता भी संस्कृत–कवि के रचना–कर्म में सर्वत्र विद्यमान रही। संस्कृत भाषा नये से नये वातावरण, जीवनानुभव और परिस्थितियों को व्यक्त करने में प्रवृत्त हुयी। यह प्रवृत्ति संस्कृत–सर्जनधारा का मुख्य अंश बन गयी। वर्तमान रचना का एक प्रतिमा यह माना जाता है। कि रचनाकार अपने समय के वैश्विक परिदृश्य को उसकी प्रामाणिकता से किस सीमा तक रूपायित कर रहा है। समसामयिक साहित्य इस प्रतिमान की कसौटी पर कसने को तत्पर है। नवीन राजनीतिक, सामाजिक चेतना ने संस्कृत–साहित्य के इतिहास में नवीन युग का सूत्रपात किया है। प्रवर्तमान समय को संस्कृत नवलेखन का स्वर्णिम युग कहा जा सकता है।[3]

हरिनारायण दीक्षित

हरिनारायण दीक्षित का जन्म सन् 1936 में जालौन (उत्तर प्रदेश) में हुआ। इन्होंने संस्कृत में अनेक काव्यों की रचना की है। 'श्रीमदप्पयदीक्षितचरितम्', 'मेनकाविश्वामित्रम्' तथा 'भीष्मचरितम्' आदि इनके प्रमुख काव्य हैं। प्रो० हरिनारायण दीक्षित ने अपनी कृतियों में राष्ट्र पर्यावरण, देश, धर्म, और समाज की अनुपम झाँकियाँ प्रस्तुत की हैं। 'देशोऽयं कुरुते प्रोन्नतिम्' नामक अपनी कविता में कवि ने अपना देश किस प्रकार उन्नति कर रहा है।

---

* डी.एस.बी. कैम्पस नैनीताल
** अर्थशास्त्र विभाग, एस.एस.जी. कैम्पस, अल्मोड़ा

उपकारीणि वनानि भूषणभूतानि च वसुधादेव्याः।
कृन्तन् कृतान्तसदृशो देशोऽयं कुरुते प्रोन्नतिम्।।
विश्वमंगलकामिनीं मैत्री–मुदिता–करुणोपदेशिनीम्।
जहत्स्वीयां संस्कृतिं देशोऽयं कुरुते प्रोन्नतिम्।।
परधर्मं परिपुष्णन् निजधर्माय च तिलाजिंलिं दत्त्वा।
गीतामधरीकुर्वन् देशोऽयं कुरुते प्रोन्नतिम्।।
जात्याधारं कृत्वा नमयन्नरानुन्नयंश्च शासने।
योग्यमयोग्यं कुर्वन् देशोऽयं कुरुते प्रोन्नतिम्।।[4]

प्रो0 दीक्षित ने देश में व्याप्त विसंगति का रोचक वर्णन किया है। समाज में व्याप्त जातिभेद, वर्णभेद, लिंगभेद, दहेजप्रथा तथा घूसखोरी की भर्त्सना करते हुए कहते है–

सुपाठनीयाः सुतवत्सताऽपि भेदो विधेयो न च तत्र कश्चन।
गार्हस्थ्ययानस्य कृते हयुभाविमावावश्यकौ स्तो रथचक्रसन्निभौ।।
पिता च पुत्रस्य विवाहकर्मणि काङ्क्षेद् वधूपक्षजनान्न यौतकम्।
न कल्पवर्तस्य धनस्य लब्धये विमानयेत्सज्जनतां च सग्दणान्।।
कार्यालयीया न च कर्मचारिणो लुभ्यन्तु मह्यन्तु न चापि कर्मणि।
प्रजार्तये नो नृपकर्मचारिता लक्ष्यं हि तस्या जनतोपसेवनम्।।[5]

प्रो0 दीक्षित ने अपनी कविताओं तथा काव्यों में मानव की संवेदनाओं के साथ अपने को एकमय किया है। लोगों द्वारा अपने जीवन में अवतरणीय है। परन्तु दुर्भाग्य है हम सब समक्ष अमृत होते हुए भी हम विष का ही वरण किया करते हैं।

राजेन्द्र मिश्र

कविराज अभिराज राजेन्द्र मिश्र का जन्म सन् 1942 मे हुआ। इन्होंने विद्वान् प्राध्यापक तथा कवि के रूप में स्पृहणीय प्रतिष्ठा प्राप्त की है। संस्कृत–साहित्य जगत् को इन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया है। इन्होंने महाकाव्य, खण्डकाव्य, नाटक, एकांकी, गीतसंग्रह, कथासंग्रह, के अतिरिक्त लोकगीत, गज़ल आदि विधाओं में काव्यों की रचना की है। इन्होंने अपनी कविताओं तथा काव्यों में समाज में व्याप्त कुरीतियों तथा समाज की बेढ़गी व्यवस्था का निरूपण किया है।

राजेन्द्र मिश्र द्वारा विरचित 'इक्षुगन्धा' नामक कृति में संकलित 'शतपर्विका' नामक कहानी सात बेटियों वाले पिता की दोहरी मानसिकता का सचित्र वर्णन प्रस्तुत करती है। इसमें एक पिता गोद लिये गये अपने नालायक, इकलौते पुत्र पर अपनी जान निछावर करता है पर अपनी लायक सेवापारायण सात बेटियों से चिढ़ता है। बेटी की शुश्रुषा अन्ततः उसका ह्रदय परिवर्तित कर देती है। इस कहानी के माध्यम से समाज में पुत्र–पुत्री में भेद करने की ओछी मानसिकता का निदर्शन कराते हुए लेखक ने इसे परित्याग का उपदेश दिया है। 'भग्नपंजरः' नामक कथा में इन्होंने एक विधवा की विरह–वेदना का ह्रदयविदारक दृश्य प्रस्तुत किया है। अपनी 'मधुपर्णी' नामक कृति में कवि राष्ट्र में व्याप्त स्वार्थलोलुपता से क्षुब्ध होता दिखाई पड़ता है कि राष्ट्र के रक्षक ही भक्षक बन गये हैं। किसी को राष्ट्र के मंगल की चिन्ता नहीं है। सब अपना पेट भरने में लगे हैं। गीत में कवि अपनी वेदना को बताते कहते है कि–

पश्य, पिपीलिका पर्वतायते, संजातं निखिलं पर्याकुलम्।
राष्ट्रमिदं हन्त मन्दुरायते, संजातं निखिलं पर्याकुलम्।।
नारम्भे नान्दी नान्तेऽपि भरतवाक्यम्
चरिते न च कथानायकानामौदात्त्यम्
राजनयो लटकमेलकायते, संजातं निखिलं पर्याकुलम्।
बण्डभण्डमूढधियां कृते सिद्धिसारम्,
अपावृतं मुक्तिमयं लोकतन्त्रद्वारम्।
मन्त्रिपदं कल्पपादपायते संजातं निखिलं पर्याकुलम्।।[6]

कवि ने अपनी कृतियों में जनमानस की संवेदनाओं के साथ–साथ राजनयिकों की स्वार्थपरता आदि का निरूपण किया है। कवि ने अपनी अनेक कृतियों तथा कविताओं में इस प्रकार की समस्याओं का निरूपण किया है।

भास्कराचार्य त्रिपाठी

भास्कराचार्य त्रिपाठी का जन्म सन् 1942 में इलाहाबाद में हुआ था। लक्ष्मीस्वयम्वरम्, अजातशती तथा मृत्कूटम् आदि इनकी रचनाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। त्रिपाठी जी ने अपनी कृति 'साकेतसौरभम्' के प्रस्तुत पद्य में आदिवासी लोगों की आर्तदशा का निरूपण इस प्रकार किया है–

अवाप्य देवदर्शनं क्षुधा तृषाऽपि कर्षिता
इहाद्रिवासिनः परं प्रमोदमाशु लेभिरे।
अरण्यवीथिकासु जीर्ण–शीर्ण–कीर्णपल्लवा
रुचासमं नवीनपुष्पसौरभा विलेभिरे।।[7]

कवि ने अपनी कृति 'निर्झरिणी' के एक पद्य में नारी–पुरुष की समानता पर बल देते हुए यह बतलाया है कि शास्त्रों में नारी सदैव पूज्यतमा के रूप में दर्शायी गयी है। अतः उसका हम सबको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह कुलरमणी है और कुल की शोभावृद्धि का कारण है। कवि कहता है–

प्रकृतिश्चिरकान्तिमयी महिता/लतिकायित–कोमलशीलवती।
वरभक्तियुता वरशक्तियुता।/नमिताननराजितरूपवती।
नवसर्गविधावरणी तरुणी/रमते परिवारमणी रमणी।।[8]

आचार्य ने अपनी कृतियों में सामाजिक चेतना का सन्देश प्रदान किया है।

पुष्पा दीक्षित

पुष्पा दीक्षित का जन्म सन् 1943 में हुआ। कवयित्री तथा सिद्धि प्राप्त कथावाचिका होने के साथ–साथ श्रीमती दीक्षित व्याकरणशास्त्र की विदुषी तथा शासकीय महाविद्यालय, विलासपुर की अवकाश प्राप्त प्राध्यापिका हैं। 'दूर्वा' पत्रिका में इनकी विविध लालित्यपूर्ण कविताएँ प्रकाशित होती रहती हैं। इनके गीतों में नारीहृदय की मर्मान्तक वेदना, कोमल भावाभिव्यक्ति और प्रेम की अनिर्वचनीय तन्मयता की अभिव्यक्ति होती है। इनके अनेक गीतों में प्रियतमा के प्रियतम के प्रति उपालम्भ वर्णित हैं। अग्निशिखा (1984), गीतिसंग्रह, वामनचरितम् (1997) महाकाव्य, सत्प्रेरणा (1995) नाटक तथा हा हा (1996) व्यंग्यकथासंग्रह आदि इनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियाँ हैं। राष्ट्र में व्याप्त असामंजस्य भारतीय संस्कृति तथा मर्यादाओं का चिंतन, स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार आदि का अवलोकन प्रो0 दीक्षित की इस कविता में किया जा सकता है–

समायान्ति स्वकं गेहं यदा विप्रास्तपोनिष्ठारः
समुत्थाय प्रहर्षैर्नाभिवन्दन्ते नरास्ते के?
महासंसारलीलावतचक्रैर्नाशिता लोकाः
धनार्थं यैः शवा निर्मथ्य लुच्यन्ते नरास्ते के?
कुलस्त्री चत्वरे यान्ती बलादाकृष्यते नीचैः
तथाप्येतान् सभामध्येऽनुमोदन्ते नरास्ते के?
न शब्दार्थो न रीतिर्नो रसो नैव ध्वनिः कश्चद्
अथो काव्यं स्वकीयं ये विकत्थन्ते नरास्ते के?[9]

कवयित्री ने अपनी विविध रचनाओं में समसामयिक सामाजिक स्थितियों का विवेचन किया है।

हरिदत्तशर्मा

हरिदत्त शर्मा का जन्म सन् 1948 में हाथरस (उत्तर प्रदेश) में हुआ है। सम्प्रति आचार्य शर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में आचार्य हैं। शर्मा जी का कवित्व उनकी उद्भट प्रतिभा का परिचायक है। बालगीतावली, निबन्धनिकुंजम्, गीतकन्दलिका, त्रिपथगा तथा उत्कलिका आदि कवि की प्रमुख रचनाएँ हैं। इन काव्यों में आचार्य ने राष्ट्र तथा समाज में व्यात भ्रष्टाचार एवं कुप्रथाओं के प्रति रोष व्यक्त किया है। 'शुचिपर्यावरणम्' कवि की पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने वाली सुन्दर

कविता है, जिसमें कवि ने वर्तमान में आधुनिक संयन्त्रों द्वारा दूषित हो रहे पर्यावरण की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है–

वायुमण्डलं भृशं दूषितं न हि निर्मलं जलम्।
कुत्सितवस्तुमिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलम्।।
करणीयं वहिरन्तर्जगति तु बहुशुद्धीकरणम्।
शुचि पर्यावरणम्।।
दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणम्। शुचिपर्यावरणम्।।[10]

गीतकन्दलिका नामक द्वितीय कृति में कवि निर्धनता को अभिशाप मानते हुए कहता है कि यह निर्धनता क्या–क्या नहीं करती, यह तो सभी समस्याओं की जन्मदात्री हैं। पाँच पुत्रियों वाला एक पिता दहेज–याचकों की किस–किस प्रकार की बातों को सुनता है। कवि की कविता इसका प्रमाण प्रस्तुत करती है–

अयि निर्दयनिर्धनतो! ब्रूहि
त्वया किं किं न कृतम्, त्वया किं किं न हृतम्
पिताऽहं पंचपुत्रीणां यदा वरशोधने यातः।
न रूप्यकलक्ष्यसंख्याकं विना वार्ताऽस्ति भो भ्रातः।।
प्रशीतक–दूरदर्शन–यान–यौतुकवस्तुर्नवनव्यैः
भरतु भवनं हि तेनोक्तं समैरधुनातनैर्द्रव्यैः।।
अयि निर्दय निर्धनते.................................।।[11]

इसी प्रकार 'त्रिपथगा' के अन्तर्गत 'वधूदहनम्' एकाकीं में दहेज के लिए वधू का वर पक्ष द्वारा जलाया जाना समाज के लिए महाऽभिशाप है, कवि ने इसकी स्पष्ट निन्दा की है। 'उत्कलिका' नामक कृति में भी कवि ने दहेज–प्रथा का मर्मान्तक चित्रण किया है।

कृष्ण चन्द्र त्रिपाठी

कृष्ण चन्द्र त्रिपाठी का जन्म सन् 1958 में इलाहाबाद में हुआ। सम्प्रति प्रो0 त्रिपाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् दिल्ली में भाषाविभाग में संस्कृत के आचार्य हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करते हुए गंगानाथ झा शोध संस्थान इलाहाबाद से पी–एच0डी0 की उपाधि प्राप्त की। संस्कृत–कविता में आपकी विशेष रूचि है तथा आपकी सदुक्तिशतकम् (1990), कथासागर (1991), प्रेरणालोक (1995), चतुर्व्यूहम् (2006), शाण्डिल्यशतकम् (2007), औचितशतकम् (2008) आदि महत्त्वपूर्ण रचनाएँ हैं। इनके अतिरिक्त अनेकों संस्कृत–कवितायें, ललित–निबन्ध तथा विभिन्न शोध–पत्र विभिन्न शोध–पत्र विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं शाण्डिल्य–शतकम् नामक कृति के अधोलिखित पद्यों में कवि ने प्रगतिशील तत्त्वों का जो मर्मस्पर्शी विवेचन किया है। उसका किसी काल में अपलाप नहीं किया जा सकता–

महान्तं प्राप्य सब्दुद्धेः सन्त्यजेन्न लघुजनम्।
यत्रास्ति सूचिकाकार्यं कृपाणः किं करिष्यति।।

कवि ने सभी वस्तुओं तथा प्राणिजन के महत्त्व को बतलाया है जो जिस स्थान तथा कार्य के समीचीन है उसका वहाँ पर महत्त्वपूर्ण स्थान है। द्वितीय पद्य भी इसी भाव को व्यक्त कर रहा है–

विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन्निरर्थकम्।
अश्वचेत् धावने वीरः भारस्य वहने खरः।।[12]

अर्वाचीन आचार्यों ने अपनी–अपनी काव्य रचनाओं में आधुनिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं का वर्णन कर प्रगतिशील काव्य के स्वरूप की सरसाभिव्यक्ति की और काव्य प्रगतिशील कविता के उत्कृष्ट उदाहरण हैं जिनमें विद्वान् आचार्यों ने राष्ट्रीय, सामाजिक चेतना का वर्णन करते हुए अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है।

सन्दर्भः

1. आचार्य गोविन्द चन्द्र पाण्डे, . 2,143
2. गोविन्द चन्द पाण्डेय : संस्कृत साहित्य समीक्षा–पत्रिका/सम्पादक, पृ.105, 106.
3. आचार्य बलदेव उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ. 619
4. हरिनारायण दीक्षित– देशोऽयं करुते प्रोन्नतिम्
5. हरिनारायण दीक्षित– भीष्मचरितम्, सर्ग, अष्टादशम्
6. राजेन्द्र मिश्र– मधुपर्णी, इक्षुगन्धा, शतपर्विका, भग्नपंजरः आदि
7. भास्कराचार्य त्रिपाठी– साकेतसौरभम्
8. भास्कराचार्य त्रिपाठी– निर्झरिणी
9. पुष्पा दीक्षित (कविता) दूर्वा 3.3, पृ. 68
10. हरिदत्तशर्मा– शुचिपर्यावरणम्
11. हरिदत्तशर्मा– गीतकन्दलिका
12. कृष्ण चन्द्र त्रिपाठी– शाण्डिल्यशतकम्

***

S N: 291

सतत विकास एवं ग्राम स्वराज की अवधारणा

*गोकुल सिंह देउपा **
*डॉ. प्रदीप कुमार ***

प्रस्तावना– भारत की आत्मा उसके ग्रामों में बसती है। भारत में ग्रामों एवं ग्रामीण शासन व्यवस्था का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। समय के साथ गांवों की स्थिति परिवर्तित होती रही है लेकिन मूल संरचना उसी रूप में बनी रही। भारत में औपनिवेशिक शासन ने ग्रामीण व्यस्था, संरचनात्मक ढांचे को बहुत क्षति पहुचाई। राष्ट्रीय आन्दोलन के समय भारत की आजादी के साथ ग्रामों के पुनर्निमाण एवं ग्रामोद्धार पर पर्याप्त जोर दिया गया था। इसमें महात्मा गांधी एक प्रमुख चिंतक थे। बीसवीं शदी में विश्व एवं भारत को नई दिशा प्रदान करने वाले महात्मा गांधी ने भारतीय ग्रामीण व्यवस्था के विषय में ग्राम स्वराज की अवधारणा प्रस्तुत की। जिसका प्रमुख उद्देश्य गॉवों को आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, लैंगिक समता एवं स्वालम्बन की स्थिति में लाकर ग्रामोद्धार करना था। जिससे ग्राम स्वराज के माध्यम से हिन्द स्वराज या देश के सम्पूर्ण विकास का लक्ष्य प्राप्त करना था।

हिन्दुस्तान संदर्भ में उन्होंने जिस स्वराज की कल्पना की थी, उसके केन्द्र में ग्राम एवं उनकी स्वायत्त पंचायती राज प्रणाली और उनका आर्थिक स्वालम्बन, सामाजिक समता स्थापित करना मुख्य ध्येय था। आपके अनुसार ग्रामों का विकास ही देश का विकास होगा। आपने एक ऐसे आदर्श राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की जिसमें समाज के अंतिम छोर पर खडे व्यक्ति तक उसकी हिस्सेदारी एवं उत्तरदायित्वा की समुचिम पहुॅच हो सके। आपने व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से समाज, समाज से ग्राम, ग्राम से राष्ट्र के विकास का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें साध्य एवं साधनों का चुनाव करते समय विशेष सावधानी रखी गयी थी। जो मुख्यतया सत्य, अहिंसा, सहयोग, समता, स्वालम्बन, स्वदेशी, खादी, स्वरोजगार, पंचायतीराज व्यवस्था पर आधारित थे।

महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा परम्परागत भारतीय ग्रामों के पुननिर्माण एवं ग्रामोद्धार करने पर आधारित है। जिसमें प्रत्येक ग्राम किसी भी प्रकार के बाह्य प्रभाव से मुक्त होगा। ग्राम स्वराज के विषय में आपने लिखा कि "ग्राम–स्वराज की मेरी कल्पना यह है कि वह एक ऐसा पूर्ण प्रजातन्त्र होगा, जो अपनी अहम जरूरतों के लिये अपने पडोसियों पर भी निर्भर नही करेगा, और फिर भी बहुतेरी दूसरी चीजों क लिये जिसमें दूसरों का का सहयोग अनिवार्य होगा वह परस्पर सहयोग से काम लेगा। इस प्रकार हर एक ग्राम का पहला काम यह होगा की वह अपनी जरूरत का तमाम अनाज और कपडे के लिये कपास खुद पैदा करेगा। उसके पास इतनी सुरक्षित जमीन होनी चाहिये कि जिसमें ढोर चर सकें और गॉव के बडों व बच्चें के लिये मनबहलाव के साधन और खेलकूद के मैदान वगैरह का बंदोवस्त हो सके। हर एक गॉव में गॉव की अपनी पाठशाला, नाटकशाला और सभाभवन रहेगा। पानी के लिए उसका अपना इंतजाम होगा वाटरवर्क्स होंगे जिसमें गॉव के सभी लोगों को शुद्ध पानी मिला करेगा। कुओं और तालाबों पर गांव का पूरा नियंत्रण रखकर यह काम किया जा सकता है। बुनियादी तालीम के लिये आखिरी दरजे तक शिक्षा सबके लिये लाजिमी होगी। जहॉ तक हो सकेगा गॉव के सारे काम सहयोग के आधार पर किये जायेंगे। जात पांत और कमागत अस्पृश्यता के जैसे भेद आज हमारे समाज में पाये जाते हैं वैसे इस ग्राम समाज में बिल्कुल नही रहेंगे।" (हरिजन सेवक पत्र 2 अगस्त 1942)

जिस ग्राम स्वराज के रास्ते महात्मा गॉधी हिन्द स्वराज की स्थापना करना चाहते थे उससे हमारे गॉव कोसों दूर होते जा रहे हैं। ग्रामीण विकास के नाम पर ग्रामों में शहरीकरण एवं मशीनीकरण को बढावा दिया जा रहा है। ग्रामों के विकास का जो मॉडल अपनाया गया है वह ग्रामों को शहरों के रूप में परिवर्तित कर शहरी संस्कृति एवं वैश्विक संस्कृति का अनुकरण कर रही है। कृषि एवं सहायक उद्योग, कुटीर उद्योग नष्टप्राय हो चुके है। अतः ग्रामीण जन भी अपनो दैनिक आधार भूत

---

* शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, एम.बी.पी.जी. कॉलेज, हल्द्वानी।
** संस्कृत विभाग, डी.एस.बी. कैम्पस, नैनीताल

आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वालम्बी नही रह गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों रोजगर के अवसर घटते जा रहे हैं। अतः रोजगार के लिये पलायन की समस्या बड रही है गॉव खाली होते जा रहे है। अतः ऐसे समय में गांधी द्वारा प्रस्तुत ग्राम स्वराज की अवधारणा एक समग्र समाधान हो सकता है।

ग्राम स्वराज की अवधारणा– ''ग्रामीण सभ्यता हमें विरासत में मिली है, हमारे देश की विशालता और उसकी विराट जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति तथा उसकी जलवायु सबको देखते हुए लगता है कि ग्रामीण सभ्यता ही इसके भाग्य में लिखी हुई है।'' (श्रीमन्नारायण गॉधी मार्ग की ओर गांधी शांति प्रतिष्ठान नई दिल्ली 1969)। ग्रामीण व्यवस्था प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक विरासतों के संग्रहालय, भारत की संचित ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर है। ''ग्राम की सेवा करने से ही सच्चे स्वराज की स्थापना होगी, यदि गाम नष्ट हो जायेंगे तो हिन्दुस्तान भी नष्ट हो जायेगा।'' (भट्टाचार्य प्रभातकुमार गांधी दर्शन प्रकाशक कॉलेज बुक डिपो, जयपुर प्र0सं0 1972–73) ग्राम की संरचना में विभिन्न जातियों एवं संस्थाओं को इस प्रकार स्थापित किया गया था, जैसे वह सभी किसी एक श्रृखला की कडियां हों सभी की स्थिति समान होती थी। किसी को भी विशेषाधिकार प्रदान नही किये गये थे। जीवन व्यापन करने के कियाकलापों में सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त थे।

स्वराज की अवधारणा– स्वराज को परिभाषित करते हुए आपने लिखा है ''स्वराज एक पवित्र शब्द है, वह एक वैदिक शब्द है, जिसका अर्थ है आत्मशासन आत्म–संयम है। यह अंग्रेजी शब्द इंडिपेंडेंस अकसर सब प्रकार की मर्यादाओं से मुक्त निरंकुश आजादी या स्वच्छन्दता का अर्थ देता है, वह अर्थ स्वराज शब्द में नहीं है।'' स्वराज की अवधारणा एवं विकास की योजनाएं 1909 में लिखित पुस्तक हिन्द स्वराज से प्रारम्भ करते हुए जीवन भर इसकी रूपरेखा प्रस्तुत करते रहे। शाब्दिक रूप से स्वराज का अर्थ होता है अपना शासन या स्वयं का शासन। इस स्वयं के शासन में कोई भी व्यक्ति किसी अन्य सत्ता से शासित न होकर स्वयं की सत्ता से शासित होगा या आत्मानुशाषी होगा। यह शासन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासन सत्ता कुछ लोगों द्वारा संचालित न होकर सम्पूर्ण समाज द्वारा सामूहिक रूप से संचालित होती है। अतः इस शासन प्रणाली में सत्ता का दुरूपयोग होने की संभावना न्यून होगी। इसका सीधा अर्थ आत्म–संयम या आत्म राज्य है।

महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज के मुख्य घटक–

ग्राम में पंचायती राज की स्थापना– वर्तमान समय में ग्रामों में पंचायतीराज प्रणाली को लागू किया गया है, जिसमें समाज के सभी जातियों एवं महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गयी है। लेकिन इस प्रणाली को लागू करते समय महात्मा गांधी की संकल्पना एवं अवधारणा को पूर्ण रूप से लागू नही किया गया। क्योंकि सीमित राजनैतिक स्वायत्ता प्राप्त होने मात्र से ग्राम स्वराज को प्राप्त नही किया जा सकता है। जब तक लोग एवं ग्राम स्वालम्बी नही हो जाते है वे अपने कार्यों हेतु दूसरों पर निर्भर रहेंगे। जो ग्राम स्वराज की महात्मा गांधी की अवधारणा से मेल नही खाती है। राज्य एवं केन्द्र सरकारों के साथ अंतराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से अनेक विकास येाजनाएं चलायी जा रही है। अतः अपनी जरूरतों के लिये ग्राम पंचायतें लोकल से लेकर ग्लोबल संस्थाओं पर निर्भर रहती है।

ग्राम में पंचायतों की स्थापना का उददेश्य ग्रामीणों को स्वायत्त शासन प्रदान कर स्वयं के विकास हेतु योजनाओं का निर्माण एवं कियान्वयन में सहभागी बनाना था। लेकिन इसने ग्रामीण परिवेश को सबसे बुरी तरह प्रभावित किया है। इन चुनावों में भ्रष्टाचार, शराब धनबल जनबल अनैतिक गतिविधियों ने लोगों के आपसी संबंधों का रसातल में पहुॅचाने का काम किया है। लोगों में परस्पर वैमनस्य पैदा हो रहा है, आपसी झगडे मारपीट एवं हत्यायें तक होने लगी है। जाति आधारित राजनीति से ग्रामों में बसने वाली जातियों का राजनैतिकरण हो रहा है। जिससे साम्प्रदायिक दंगों का खतरा निरन्तर बडता जा रहा है। जबकि वैश्विक ग्राम में पूंजी एवं संसाधनों के साथ तकनीक के तीव्र आवागमन की सुविधा होने से ग्रामीण विकास के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

सत्याग्रह, सहयोग एवं अहिंसा – महात्मा गांधी ने बताया कि सत्याग्रह और सहयोग के शस्त्र के साथ अहिंसा की सत्ता ही ग्रामीण समाज का शासन बल होगी। गॉव का शासन चलाने के लिये एक खास शासन चलाने के लिये नियमानुसार एक खास निर्धारित योग्यता वाले गांव के बालिग स्त्री–पुरूषों को अधिकार होगा कि वे अपने पंच चुन लें। इन पंचायतों को सब प्रकार की आवश्यक सत्ता और अधिकार रहेंगें। चूंकि इस ग्राम स्वराज में आज के प्रचलित अर्थों में सजा या दण्ड का कोई रिवाज

नही रहेगा। इसलिये पंचायत अपने एक साल के कार्यकाल में स्वयं ही धारा सभा, न्याय सभा और कार्यकारिणी सभा का सारा काम संयुक्त रूप से करेगी। इस ग्राम शासन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधार रखने वाला सम्पूर्ण प्रजातंत्र काम करेगा। व्यक्ति ही इस सरकार का निर्माता भी होगा उसकी सरकार और वह दोनों अहिंसा के वश होकर चलेंगे। (हरिजन सेवक पत्र 2 अगस्त 1942) प्राचीन भारतीय दर्शन अहिंसा परमो धर्म को अपनाने वाले महात्मा गांधी के जन्म दिवस 02 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अतः कहा जा सकता है कि गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को वैश्विक ग्राम में लागू किया गया है।

ग्राम स्वरोजगार और आर्थिक स्वालम्बन– महात्मा गांधी शिक्षा के साथ रोजगार को जोडना चाहते थे। प्रत्येक व्यक्ति के पास किसी न किसी प्रकार का कौशल अवश्य होना चाहिये जिससे वह अपना जीवन व्यापन कर पाये। आपने स्वयं लिखा था कि "देहात वालों में ऐसी कारीगरी एवं कला का विकास होना चाहिये जिससे बाहर उनकी पैदा की हुई चीजों की कीमत की जा सके। जब गांवों का पूरा–पूरा विकास हो जायेगा तो देहातियों की बुद्धि और आत्मा को संतुष्ठ करने वाली कला–कारीगरी के धनी स्त्री–पुरूषों की गांवों में कमी नही रहेगी। गांव में कवि होंगे, चित्रकार होंगे, शिल्पी होंगे, भाषा के पंडित और शोध करने वाले लोग भी होंगे। थोडे में, जिन्दगी की ऐसी कोई चीज नही होगी जो गांव में नही मिलेगी। आज हमारे गांव उजडे हुए और कूडे कचरे के ढेर बने हुये हैं। कल वहीं सुन्दर बगीचे होंगे आर ग्रामवासियों को ठगना या उनका शोषण करना असंभव हो जायेगा।" (हरिजन सेवक पत्र 10 नवम्बर 1946) । भारत के बडते व्यापार घाटे एवं बेरोजगारी को विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी बडाकर कम किया जा सकता है। अतः गांधी ग्राम में उपजी इन समस्याओं का समाधान वैश्विक ग्राम में खोजा जा सकता है।

कृषि का विकास – आजादी मिलने के पश्चात गांधी जी को अपनी ग्राम स्वराज संबंधी परिकल्पना को साकार रूप प्रदान करने का अवसर प्राप्त नही हो पाया था। आजादी बाद नियोजित विकास योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्र को उचित स्थान नही मिल पाया था। क्योंकि इन प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को वरीयता दी गयी। इसके बाद की योजनाओं में कृषि क्षेत्र को आबंटित राशि घटती जा रही है और भारी औद्योगिक विकास एवं मशीनीकृत उत्पादन को वडावा दिया जा रहा है। रासायनिक उरर्वरकों का प्रचलन, कषि यंत्रों का चलन होने से पशुओं की उपयोगिता घटती जा रही है।

कृषि या अन्य उद्योगों के लिये लोगों की बैंकिग संस्थाओं पर निर्भरता बडती जा रही है। दुधारू पशुओं की संख्या मवेशियों की संख्या घटती जा रही है। अभी तक के औद्योगिक विकास के मॉडल से स्पष्ट है कि जैसा इसके विषय में सोचा गया था कि इससे सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा तीव्र गतिक उत्पादन से वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता आम लोगों तक आसान एवं सस्ती मूल्यों में हो सकेगी। प्रतिस्पर्धा का लाभ आम नागरिकों को मिलेगा। ऐसा तो नही हो पाया। अतः इस पर नये सिरे से विचार करना होगा। किस प्रकार ग्रामों का विकास किया जा सकता है। लोग ऋण जाल से ग्रसित हो रहे हैं।

ग्रामीण विकास स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन : औद्योगिक विकास के मॉडल ने गांधी के परिकल्पित ग्राम स्वराज को मूर्त रूप देने की दिशा में प्रयास तो नहीं किया बल्कि जो ग्राम सदियों से चले आ रहे थे उनकी संरचना एवं क्रियाओं को नष्टप्राय कर दिया है। आज गांवों कुम्हार, बढई, लोहार, बुनकर, ठठेरा माल ढुलाई करने वाले मोची आदि सभी के उद्यम नष्ट प्राय हो चुके है। इनकी जगह बडे बहुदेशीय कम्पनियों में निर्मित सामान गांवों तक आसानी से अपनी पहुंच बनाने में सफल हो रहे हैं। जिसमें आधुनिक त्वरित परिवहन प्रणाली, सूचना तकनीक एवं ऑनलाइन शॉपिग जैसे कारक ग्राम की संरचना को परिवर्तित कर रहे हैं। ग्रामों में छोटे कस्बो में चलने वाली दुकानों में मुख्यतया चीन निर्मित सामाग्री बिकती है जिसमें स्वदेशी वस्तुओं की संख्या निरन्तर घटती जा रही है। ग्रामों में कचरे के ढेर पैदा हो रहे है जिसमें मुख्य कारक प्लास्टिक सामाग्री है जो कि बहुदेशीय कम्पनियों द्वारा उत्पादित सामाग्री कचरे का एकमात्र कारक है। पलायन को मजबूर हो रहे है। कृषि तथा संबंधित क्षेत्र कुटीर उद्योग में रोजगार के अवसर एवं जी.डी.पी. में अंश घटते जा रहे हैं। वर्तमान समय में केन्द्र सरकार साकार स्किल इंडिया मिशन के अन्तर्गत लोगों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। क्योंकि

जब तक लोग स्वालम्बी नहीं होंगे तब तक स्वालम्बी ग्रामों की संकल्पना को मूर्त रूप नही दिया जा सकता है।

सामाजिक समता– महात्मा गांधी ने समाज में प्रचलित कुरीतियों को घोर किया। इन सब कुरीतियों को अपने ग्राम स्वराज की स्थापना में प्रमुख बाधा माना था। आपने स्वयं लिखा था–"मेरे सपनों स्वराज्य में जाति धर्म के लिये कोई स्थान नही होगा।" आपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षित करने का समर्थन है। आपने लिखा है–"कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भारतीय स्वराज्य तो ज्यादा संख्या वाले समाज का यानी हिन्दुओ का ही राज्य होगा। इस मान्यता से ज्यादा बडी दूसरी गलती नही हो सकती। अगर यह सही सिद्ध हो तो अपने लिये मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं उसे स्वराज मानने से इंकार कर दूंगा और अपनी सारी शक्ति लगाकर उसका विरोध करूंगा। मेरे लिये हिन्द स्वराज का अर्थ सब लोगों का राज्य, न्याय का राज्य है।" (यंग इंडिया 16 अप्रैल 1931)

लैंगिक समता एवं महिला सशक्तिकरण : लैंगिक भेदभाव के विरूद्ध आपका मानना था कि अहिंसा की नींव पर रचे गये जीवन की रचना में जितना और जैसा अधिकार पुरूष को अपने भविष्य की रचना का है, उतना और वैसा ही अधिकार स्त्री को भी अपने भविष्य तय करने का है। ग्रामीण महिलाओं के विषय में आपने लिखा है कि "मैं भलीभॉति जानता हूँ कि गांवों में औरते अपने मर्दो के साथ वराबारी से टक्कर लेती है। कुछ मामलों मे उनसे बढी–चढी है और हुकुमत भी चलाती है। लेकिन हमें बाहर से देखने वाला कोई भी तटस्थ आदमी यही कहेगा कि हमारे समूचे समाज में कानून और रूढी की रू से औरतों को जो दर्जा मिला है, उसमें कई खामियां है और उन्हें जडमूल से सुधारने की जरूरत है।" आपने महिला एवं पुरूषों के समान अधिकारों की वकालत की थी।"स्त्रियों के अधिकारों के सवाल पर मैं किसी तरह का समझौता स्वीकार नही कर सकता मेरी राय में उन पर ऐसा कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिये जो पुरूषों पर न लगाया गया हो। पुत्रों और कन्याओं में किसी प्रकार का कोई भेद नही किया जाना चाहिये। उनके साथ पूरी समानता का व्यवहार किया जाना चाहिये।"

निष्कर्ष : गांधी जी ने कोई नवीन विचार या सिद्धान्त प्रस्तुत नही किया बल्कि आपका सम्पूर्ण जीवन ही सत्य एवं समस्याओं के व्यवहारिक समाधान खोजने के प्रयोगों की अविच्छिन्न श्रृखला है। गांधी ग्राम की अवधारणा को किसी राष्ट्र या क्षेत्र विशेष तक सीमित नही किया जा सकता है। क्योंकि इसकी निर्धारित शर्ते सभी समाजों एवं देशों के लिये चाहे एकल संस्कृति वाले हों या बहुल संस्कृति वाले हों सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करती है। क्योंकि ग्राम विकास से राष्ट्र विकास तथा राष्ट्रों के विकास से अंतराष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अतः संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि वैश्विक ग्राम गांधी ग्राम की अग्रिम अवस्था है।

सन्दर्भ :

- गांधी, महात्मा, हिन्द स्वराज 1909।
- हरिजन सेवक पत्र 2 अगस्त 1942
- हरिजन सेवक पत्र 10 नवम्बर 1946
- यंग इंडिया, 16 अप्रैल 1931
- यंग इंडिया 1 जून–1921 पृ. 170
  सम्पूर्ण गांधी वाङगमय, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार।
- भट्टाचार्य प्रभातकुमार गांधी दर्शन प्रकाशक कॉलेज बुक डिपो, जयपुर प्र0सं0 1972–73
- श्रीमन्नारायण, गॉधी मार्ग की ओर, गांधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली 1969)।
- Kumar, Anil, *Relevance of Gandhi in Globalised Era 2011* ISBN: 978-9380138-53-4
- Pandey, Ashutosh, *Relavance Of Gandhi In 21st Century2010* ISBN: 978-93-80031-89-7
- Kumar, Ravindra, *Mahatma Gandhi in the beginning of 21st Century* 2006 ISBN: 81-212-0898-X
- Singh, Prem, *Gandhian's Vision of world order*, 2010, ISBN: 978-8376-259-5
- Pabla, A.S. ,*Principles Of Gandhi*, 2011, ISBN:-978-81-7884-817-4
- Prasad, Ambika, *Life and philosophy of Mahatma Gandhi*, 2012,ISBN:978-81-7884-954-6

***

वेदों में राष्ट्रीय भावना

डॉ0 प्रदीप कुमार*

संस्कृत भाषा वाङ्मय का श्री गणेश वेदों के आविर्भाव के साथ ही हो जाता है। क्योंकि हमारी अतिप्राचीन चिन्तनधारा के कोष वेद ही है। हमारे ऋषियों ने वेदों में मानवजीवन के विविध पहलुओं की पर्याप्त मीमांसा प्रस्तुत की है। उनकी दृष्टि मानव के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पक्षों का ही मूल्यांकन नहीं करती, अपितु स्वेदशभक्ति, स्वदेशप्रेम, स्वराष्ट्रप्रेम के भावों को भी उजागर करती है। क्योंकि हमारे ऋषियों को यह तथ्य भली–भाँति विदित था कि अपनी सामूहिक सम्मानपूर्ण सत्ता बनाए रखने के लिए परम आवश्यक है कि अपनी धरती और देश की तन–मन–धन से सुरक्षा की जाय और यह तभी सम्भव है जबकि हम अपनी जन्मभूमि, अपनी धरती, अपने देश और अपनी राष्ट्रभूमि के प्रति निष्ठावान् रहे, उसकी उन्नति के लिए क्रियावान बनें, और उसके सम्मानित "अस्तित्व" की रक्षा के लिए सदैव संगठित एवं जागरूक रहें, अन्यथा अन्न–जल और धन–धान्य की समृद्धि से विख्यात इस देश को दूसरे देशो के निवासी अवश्य ही आक्रान्त कर डालेंगे। फलस्वरूप यहाँ के अपने लोग अपनी ही धरती पर अभावग्रस्त हो जाएंगे, और तब उनकी दशा ठीक उसी शिशु, की माता का स्तन्य से उसे धक्का देकर, कोई दूसरा शिशु पीने लग जाए, की दशा के समान दयनीय हो जायेगा। यही सब सोचकर भारतीय ऋषियों ने यहाँ के जब मानस में देश–प्रेम कि राष्ट्रप्रेम की अदम्य भावना को भरने के लिए वेदों में अनेक स्थलों पर अपने देश कि व अपनी मातृभूमि की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है, जिसे पढ़कर या सुनकर हमारे हृदय में अपने देश के लिए गौरव का भाव पनपता है।[1]

आधुनिक युग में भारत और यूरोप का सम्पर्क दोनों के लिये समान रूप महत्व का है। पुनर्जागरण के समय में यूरोपीय विचारधारा में निस्सन्देह सस्कृत साहित्य का गहन प्रभाव से शिक्षा प्राप्त भारतीयों में एक नवीन जीवन पद्धति और विचाराधारा का निर्माण हुआ। पश्चिमी–साहित्य व विचारधारा के प्रभावस्वरूप संस्कृत–साहित्य में नई अवस्था का प्रवेश होने लगा। संस्कृत में चलने वाले रचनात्मक–कार्य को एक नयी प्रेरणा मिली। विश्व साहित्य में प्रतिबिम्बत नयी व्यवस्था, बदलने राजनीतिक व समाजिक सरोकार और घटनाओं से युवा संस्कृत–कवि परिचित और प्रभावित हुए। वहीं प्राचीन काव्य परिचत और प्रभावित हुए, वहीं प्राचीन काव्य के संस्कार, रसात्मक बोध, भाषा के परिनिष्ठित रूप और शब्द की साधुता भी संस्कृत–कवि के रचना–कर्म में सर्वत्र विद्यमान रही। संस्कृत–भाषा नये से नये वातावरण, जीवनानुभव और परिस्थितियों को व्यक्त करने में प्रवृत्त हुयी। वर्तमान शताब्दी ने संस्कृत में साहित्य की आधुनिक प्रवृत्तियों से परिचय प्राप्त किया, वह युग पुनर्जागृति का युग था काव्यमाला जैसे श्रृंखलाओं में प्राचीन साहित्य तो मुद्रित हो ही रहा था। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से और उसके साथ ही स्वतन्त्र ग्रन्थों के रूप में भी नया लेखन भी विकसित हो रहा था। इस नये लेखन में अनेक प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं। शैलीगत और शिल्पगत इन नई प्रवृत्तियों के साथ–साथ विषय वस्तु और कथ्य में जो नवीनता आई है वह भी आधुनिक साहित्य की उल्लेखनीय विशेषता है। प्राचीन साहित्य में पौराणिक और ऐतिहासिक कथावस्तु का आधार लेकर महाकाव्य, नाटक और उपन्यास लिखे जाते थे, किन्तु आधुनिक युग में नये–नये राजनैतिक और सामाजिक विषयों पर इन सारी विधाओं में साहित्य लिखा गया है।[2]

अनेक सहस्त्राब्दियों से अपनी गौरवमयी यात्रा करता हुआ संस्कृत–काव्य आज इक्कीसवीं शताब्दी तक पहुँचा है। उन्नीसवीं शताब्दी से आरम्भ कर आज तक का लगभग दो सौ वर्षों का काल संस्कृत–साहित्य का आधुनिक काल है। इस कालखण्ड में संस्कष्त का सर्जनात्मक साहित्य महाकाव्य, लघुकाव्य, गीतिकाव्य, नाटक, उपन्यास, कथासाहित्य, लघुकथा, एकांकी, रूपक आदि विभिन्न धाराओं

*डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल।

में प्रस्फुटित होकर प्रवाहित हुआ है। संस्कृत–काव्य में अपने युग का प्रतिविम्वित पर्याप्त रूप से परिलक्षित होता है, परन्त्रता के विरूद्ध 1875 में हुआ विप्लव प्रथम विश्वयुद्ध की उथल–पुथल और फिर भारत में अंग्रेजी–सत्ता के विरूद्ध चल रहे भीषण स्वतन्त्रता संग्राम का पूरा प्रभाव संस्कृत–सर्जना पर पड़ा। शिवाजी, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, विवेकानन्द, दयानन्द, गुरूगोविन्द सिंह, महात्मा गाँधी, सुभाषचन्द्र बोस, पटेल नेहरू, जैसे स्वतन्त्रता–संग्रह के सेनानायकों के उदात्त चरितों और क्रियाकलापों ने संस्कृत साहित्य सर्जन के लिये प्रभूत विषयवस्तु प्रदान की। एक ओर साम्राज्यवाद एवं अधिनायकवाद के विरूद्ध बिगुल बजाता रहा तो दूसरी और राष्ट्रभक्ति का शंखनाद भी होता रहा है। स्वातन्त्रयोत्तर संस्कृत–साहित्य स्वतन्त्रतापूर्व वैश्विक परिदृश्य की पृष्ठभूमि पर रचा गया है। इस साहित्य में एक और राष्ट्रभक्ति हिलोरे लेती हुई दिखाई पड़ती है तो दूसरी ओर भारतदेश के सामाजिक जीवन की समस्याओं और कुप्रभावों पर साहित्यकारों की लेखनी चलती दिखाई पड़ती है। कुरीतिग्रस्तता, दहेजप्रथा, नारी उत्पीड़न, शोषण, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, विवाद, आतंकवाद जैसी सामाजिक समस्याओं को संस्कृत साहित्यकारों ने विषय बनाया है तो जीवन की विसंगतियों एवं विडम्बनाओं को भी रेखाकिंत किया है। साथ ही राजनीति के खोखलेपन एवं राजनेताओं के आडम्बरों पर तीखे व्यंग्य भी लिखे हैं। स्वतन्त्रता–संग्राम राष्ट्रप्रेम एवं सामाजिक समस्याओं को लेकर सर्वाधिक रूपक लिखे गए। बड़े नाटकों के अतिरिक्त एकांकी–रूपकों एवं रेडियो–रूपकों की बाढ़ आ गई। धीरे–धीरे अर्थोपक्षेपक जैसे पारम्परिक नाट्य प्रयोग विलुप्त होते गए, भाषा में सरलता–सहजता आ गई और शैली युगधर्मानुरूप नवीन रूप धारण कर प्रस्तुत हुई।[3]

संस्कृत–कथाओं की वर्तमान शैली को विकसित करने में विश्वसाहित्य की अप्रतिम देन है। अलिफलैला की कहानियाँ, शंखशदी की गुलिस्तां की कथाओं, टालस्टाय की कथाओं का प्रभाव, बांग्ला कथा और अन्य भारतीय भाषाओं पर पड़ने के साथ ही संस्कृत कथा पर भी पड़ा। आधुनिक कथा–लेखक अपने परिवेश से सर्वाधिक प्रभावित है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में सर्वत्र विश्व–साहित्य का प्रभाव दृष्टिगत होता है। वर्तमान कथा–साहित्य में न केवल देश अपितु पूरे विश्व की प्रतिच्छाया प्रतिबिम्बित हो रही है। कथ्य और शिल्प, दोनों दृष्टियों से नयी चेतना, नया स्वर, नये भाव प्राप्त करती इन कथाओं में अन्य भाषायी शिल्पों और भावों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। वर्तमान गद्य–साहित्य में आत्मकथा, संस्मरण, पत्र रेखाचित्र, डायरी आदि विविध स्वतन्त्र विधाओं के साथ–साथ इनकी शैली का प्रभाव और कथा–साहित्य पर परिलक्षित होता है। पूर्वदीप्ति–प्रणाली, चेतना–प्रवाह–प्रणाली पाश्चात्य साहित्य की दी देन है। वर्तमान रचना का एक प्रतिमा यह माना जाता है कि रचनाकार अपने समय के वैश्विक परिदृश्य को उसकी प्रामाणिकता से किस सीमा तक रूपायित कर रहा है। समसामयिक साहित्य इस प्रतिमान की कसौटी पर कसने को तत्पर है। यूरोपीय संपर्क और नवीन राजनीतिक सामाजिक चेतना ने संस्कृत–साहित्य के इतिहास में नवीन युग का सूत्रपात किया है।[4] अपने देश को, अपनी धरती को अर्थात् अपनी जन्मभूमि को माता मानने की भावना हमें सर्वप्रथम वेदों में ही उपलब्ध होती है। इसी प्रकार अपनी जन्मभूमि को अपनी मातृभूमि कहकर सम्बोधित करने की शिक्षा भी हमें वेदों से ही मिलती हैं। फलस्वरूप भारतवर्ष की धरती पर जन्म लेने वाले सभी प्रकार के हम भारतीयों में एक रागात्मक सुदृढ बन्धुता का उदय होता है, जिससे प्रेरित होकर हम लोग छोटे–बड़े (ज्येष्ठत्व, कनिष्ठत्व और मध्यमत्व) का भेदभाव भूलकर और सबको एक ही धरती माता की गोद से उत्पन्न हुआ (पृश्निमातरः) मानकर अपनी मातृभूमि के विकास एवं रक्षा कार्यों में सर्वात्मना जुटे रहने में ही अपने आपको गौरवान्वित समझते है।[5]

सन्दर्भ :

1. संस्कृत–साहित्य में राष्ट्रिय भावना, डॉ0 हरिनारायण दीक्षित, पृ0 59
2. संस्कृत साहित्य का इतिहास, आचार्य बलदेव उपाध्याय, पृ0 619
3. दृग् भारती, आचार्य गोविन्दचन्द्र पाण्डेय, पृ0 150, 151
4. संस्कृत साहित्य का इतिहास, आचार्य बलदेव उपाध्याय, पृ0 620
5. संस्कृत–साहित्य में राष्ट्रिय भावना, डॉ0 हरिनारायण दीक्षित, पृ0 60

सतत विकास एवं ग्राम स्वराज की अवधारणा

*गोकुल सिंह देउपा **
*डॉ. प्रदीप कुमार ***

प्रस्तावना– भारत की आत्मा उसके ग्रामों में बसती है। भारत में ग्रामों एवं ग्रामीण शासन व्यवस्था का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। समय के साथ गांवों की स्थिति परिवर्तित होती रही है लेकिन मूल संरचना उसी रूप में बनी रही। भारत में औपनिवेशिक शासन ने ग्रामीण व्यस्था, संरचनात्मक ढांचे को बहुत क्षति पहुचाई। राष्ट्रीय आन्दोलन के समय भारत की आजादी के साथ ग्रामों के पुनर्निमाण एवं ग्रामोद्धार पर पर्याप्त जोर दिया गया था। इसमें महात्मा गांधी एक प्रमुख चिंतक थे। बीसवीं शदी में विश्व एवं भारत को नई दिशा प्रदान करने वाले महात्मा गांधी ने भारतीय ग्रामीण व्यवस्था के विषय में ग्राम स्वराज की अवधारणा प्रस्तुत की। जिसका प्रमुख उद्देश्य गॉवों को आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, लैंगिक समता एवं स्वालम्बन की स्थिति में लाकर ग्रामोद्धार करना था। जिससे ग्राम स्वराज के माध्यम से हिन्द स्वराज या देश के सम्पूर्ण विकास का लक्ष्य प्राप्त करना था।

हिन्दुस्तान संदर्भ में उन्होंने जिस स्वराज की कल्पना की थी, उसके केन्द्र में ग्राम एवं उनकी स्वायत्त पंचायती राज प्रणाली और उनका आर्थिक स्वालम्बन, सामाजिक समता स्थापित करना मुख्य ध्येय था। आपके अनुसार ग्रामों का विकास ही देश का विकास होगा। आपने एक ऐसे आदर्श राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की जिसमें समाज के अंतिम छोर पर खडे व्यक्ति तक उसकी हिस्सेदारी एवं उत्तरदायित्वा की समुचिम पहॅुच हो सके। आपने व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से समाज, समाज से ग्राम, ग्राम से राष्ट्र के विकास का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें साध्य एवं साधनों का चुनाव करते समय विशेष सावधानी रखी गयी थी। जो मुख्यतया सत्य, अहिंसा, सहयोग, समता, स्वालम्बन, स्वदेशी, खादी, स्वरोजगार, पंचायतीराज व्यवस्था पर आधारित थे।

महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा परम्परागत भारतीय ग्रामों के पुननिर्माण एवं ग्रामोद्धार करने पर आधारित है। जिसमें प्रत्येक ग्राम किसी भी प्रकार के बाह्य प्रभाव से मुक्त होगा। ग्राम स्वराज के विषय में आपने लिखा कि "ग्राम–स्वराज की मेरी कल्पना यह है कि वह एक ऐसा पूर्ण प्रजातन्त्र होगा, जो अपनी अहम जरूरतों के लिये अपने पडोसियों पर भी निर्भर नही करेगा, और फिर भी बहुतेरी दूसरी चीजों क लिये जिसमें दूसरों का का सहयोग अनिवार्य होगा वह परस्पर सहयोग से काम लेगा। इस प्रकार हर एक ग्राम का पहला काम यह होगा की वह अपनी जरूरत का तमाम अनाज और कपडे के लिये कपास खुद पैदा करेगा। उसके पास इतनी सुरक्षित जमीन होनी चाहिये कि जिसमें ढोर चर सकें और गॉव के बडों व बच्चें के लिये मनबहलाव के साधन और खेलकूद के मैदान वगैरह का बंदोवस्त हो सके। हर एक गॉव में गॉव की अपनी पाठशाला, नाटकशाला और सभाभवन रहेगा। पानी के लिए उसका अपना इंतजाम होगा वाटरवर्क्स होंगे जिसमें गॉव के सभी लोगों को शुद्ध पानी मिला करेगा। कुओं और तालाबों पर गांव का पूरा नियंत्रण रखकर यह काम किया जा सकता है। बुनियादी तालीम के लिये आखिरी दरजे तक शिक्षा सबके लिये लाजिमी होगी। जहॉ तक हो सकेगा गॉव के सारे काम सहयोग के आधार पर किये जायेंगे। जात पांत और क्रमागत अस्पृश्यता के जैसे भेद आज हमारे समाज में पाये जाते हैं वैसे इस ग्राम समाज में बिल्कुल नही रहेंगे।" (हरिजन सेवक पत्र 2 अगस्त 1942)

जिस ग्राम स्वराज के रास्ते महात्मा गॉधी हिन्द स्वराज की स्थापना करना चाहते थे उससे हमारे गॉव कोसों दूर होते जा रहे हैं। ग्रामीण विकास के नाम पर ग्रामों में शहरीकरण एवं मशीनीकरण को बढावा दिया जा रहा है। ग्रामों के विकास का जो मॉडल अपनाया गया है वह ग्रामों को शहरों के रूप में परिवर्तित कर शहरी संस्कृति एवं वैश्विक संस्कृति का अनुकरण कर रही है। कृषि एवं सहायक उद्योग, कुटीर उद्योग नष्टप्राय हो चुके है। अतः ग्रामीण जन भी अपनो दैनिक आधार भूत

---

* शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, एम.बी.पी.जी. कॉलेज, हल्द्वानी।
** संस्कृत विभाग, डी.एस.बी. कैम्पस, नैनीताल

आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वालम्बी नही रह गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों रोजगर के अवसर घटते जा रहे हैं। अतः रोजगार के लिये पलायन की समस्या बड रही है गॉव खाली होते जा रहे है। अतः ऐसे समय में गांधी द्वारा प्रस्तुत ग्राम स्वराज की अवधारणा एक समग्र समाधान हो सकता है।

ग्राम स्वराज की अवधारणा– ''ग्रामीण सभ्यता हमें विरासत में मिली है, हमारे देश की विशालता और उसकी विराट जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति तथा उसकी जलवायु सबको देखते हुए लगता है कि ग्रामीण सभ्यता ही इसके भाग्य में लिखी हुई है।'' (श्रीमन्नारायण गॉधी मार्ग की ओर गांधी शांति प्रतिष्ठान नई दिल्ली 1969)। ग्रामीण व्यवस्था प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक विरासतों के संग्रहालय, भारत की संचित ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर है। ''ग्राम की सेवा करने से ही सच्चे स्वराज की स्थापना होगी, यदि गाम नष्ट हो जायेंगे तो हिन्दुस्तान भी नष्ट हो जायेगा।'' (भट्टाचार्य प्रभातकुमार गांधी दर्शन प्रकाशक कॉलेज बुक डिपो, जयपुर प्र0सं0 1972–73) ग्राम की संरचना में विभिन्न जातियों एवं संस्थाओं को इस प्रकार स्थापित किया गया था, जैसे वह सभी किसी एक श्रृखला की कडियां हों सभी की स्थिति समान होती थी। किसी को भी विशेषाधिकार प्रदान नही किये गये थे। जीवन व्यापन करने के कियाकलापों में सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त थे।

स्वराज की अवधारणा– स्वराज को परिभाषित करते हुए आपने लिखा है ''स्वराज एक पवित्र शब्द है, वह एक वैदिक शब्द है, जिसका अर्थ है आत्मशासन आत्म–संयम है। यह अंग्रेजी शब्द इंडिपेंडेंस अकसर सब प्रकार की मर्यादाओं से मुक्त निरंकुश आजादी या स्वच्छन्दता का अर्थ देता है, वह अर्थ स्वराज शब्द में नहीं है।'' स्वराज की अवधारणा एवं विकास की योजनाएं 1909 में लिखित पुस्तक हिन्द स्वराज से प्रारम्भ करते हुए जीवन भर इसकी रूपरेखा प्रस्तुत करते रहे। शाब्दिक रूप से स्वराज का अर्थ होता है अपना शासन या स्वयं का शासन। इस स्वयं के शासन में कोई भी व्यक्ति किसी अन्य सत्ता से शासित न होकर स्वयं की सत्ता से शासित होगा या आत्मानुशाषी होगा। यह शासन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासन सत्ता कुछ लोगों द्वारा संचालित न होकर सम्पूर्ण समाज द्वारा सामूहिक रूप से संचालित होती है। अतः इस शासन प्रणाली में सत्ता का दुरूपयोग होने की संभावना न्यून होगी। इसका सीधा अर्थ आत्म–संयम या आत्म राज्य है।

महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज के मुख्य घटक–

ग्राम में पंचायती राज की स्थापना– वर्तमान समय में ग्रामों में पंचायतीराज प्रणाली को लागू किया गया है, जिसमें समाज के सभी जातियों एवं महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गयी है। लेकिन इस प्रणाली को लागू करते समय महात्मा गांधी की संकल्पना एवं अवधारणा को पूर्ण रूप से लागू नही किया गया। क्योंकि सीमित राजनैतिक स्वायत्ता प्राप्त होने मात्र से ग्राम स्वराज को प्राप्त नही किया जा सकता है। जब तक लोग एवं ग्राम स्वालम्बी नही हो जाते है वे अपने कार्यों हेतु दूसरों पर निर्भर रहेंगे। जो ग्राम स्वराज की महात्मा गांधी की अवधारणा से मेल नही खाती है। राज्य एवं केन्द्र सरकारों के साथ अंतराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से अनेक विकास येाजनाएं चलायी जा रही है। अतः अपनी जरूरतों के लिये ग्राम पंचायतें लोकल से लेकर ग्लोबल संस्थाओं पर निर्भर रहती है।

ग्राम में पंचायतों की स्थापना का उददेश्य ग्रामीणों को स्वायत्त शासन प्रदान कर स्वयं के विकास हेतु योजनाओं का निर्माण एवं कियान्वयन में सहभागी बनाना था। लेकिन इसने ग्रामीण परिवेश को सबसे बुरी तरह प्रभावित किया है। इन चुनावों में भ्रष्टाचार, शराब धनबल जनबल अनैतिक गतिविधियों ने लोगों के आपसी संबंधों का रसातल में पहुँचाने का काम किया है। लोगों में परस्पर वैमनस्य पैदा हो रहा है, आपसी झगडे मारपीट एवं हत्यायें तक होने लगी है। जाति आधारित राजनीति से ग्रामों में बसने वाली जातियों का राजनैतिकरण हो रहा है। जिससे साम्प्रदायिक दंगों का खतरा निरन्तर बडता जा रहा है। जबकि वैश्विक ग्राम में पूंजी एवं संसाधनों के साथ तकनीक के तीव्र आवागमन की सुविधा होने से ग्रामीण विकास के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

सत्याग्रह, सहयोग एवं अहिंसा – महात्मा गांधी ने बताया कि सत्याग्रह और सहयोग के शस्त्र के साथ अहिंसा की सत्ता ही ग्रामीण समाज का शासन बल होगी। गॉव का शासन चलाने के लिये एक खास शासन चलाने के लिये नियमानुसार एक खास निर्धारित योग्यता वाले गांव के बालिग स्त्री–पुरूषों को अधिकार होगा कि वे अपने पंच चुन लें। इन पंचायतों को सब प्रकार की आवश्यक सत्ता और अधिकार रहेंगें। चूंकि इस ग्राम स्वराज में आज के प्रचलित अर्थों में सजा या दण्ड का कोई रिवाज

नही रहेगा। इसलिये पंचायत अपने एक साल के कार्यकाल में स्वयं ही धारा सभा, न्याय सभा और कार्यकारिणी सभा का सारा काम संयुक्त रूप से करेगी। इस ग्राम शासन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधार रखने वाला सम्पूर्ण प्रजातंत्र काम करेगा। व्यक्ति ही इस सरकार का निर्माता भी होगा उसकी सरकार और वह दोनों अहिंसा के वश होकर चलेंगे। (हरिजन सेवक पत्र 2 अगस्त 1942) प्राचीन भारतीय दर्शन अहिंसा परमो धर्म को अपनाने वाले महात्मा गांधी के जन्म दिवस 02 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अतः कहा जा सकता है कि गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को वैश्विक ग्राम में लागू किया गया है।

ग्राम स्वरोजगार और आर्थिक स्वालम्बन– महात्मा गांधी शिक्षा के साथ रोजगार को जोडना चाहते थे। प्रत्येक व्यक्ति के पास किसी न किसी प्रकार का कौशल अवश्य होना चाहिये जिससे वह अपना जीवन व्यापन कर पाये। आपने स्वयं लिखा था कि "देहात वालों में ऐसी कारीगरी एवं कला का विकास होना चाहिये जिससे बाहर उनकी पैदा की हुई चीजों की कीमत की जा सके। जब गांवों का पूरा–पूरा विकास हो जायेगा तो देहातियों की बुद्धि और आत्मा को संतुष्ठ करने वाली कला–कारीगरी के धनी स्त्री–पुरूषों की गांवों में कमी नही रहेगी। गांव में कवि होंगे, चित्रकार होंगे, शिल्पी होंगे, भाषा के पंडित और शोध करने वाले लोग भी होंगे। थोडे में, जिन्दगी की ऐसी कोई चीज नही होगी जो गांव में नही मिलेगी। आज हमारे गांव उजडे हुए और कूडे कचरे के ढेर बने हुये हैं। कल वहीं सुन्दर बगीचे होंगे आर ग्रामवासियों को ठगना या उनका शोषण करना असंभव हो जायेगा।" (हरिजन सेवक पत्र 10 नवम्बर 1946) । भारत के बडते व्यापार घाटे एवं बेरोजगारी को विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी बडाकर कम किया जा सकता है। अतः गांधी ग्राम में उपजी इन समस्याओं का समाधान वैश्विक ग्राम में खोजा जा सकता है।

कृषि का विकास – आजादी मिलने के पश्चात गांधी जी को अपनी ग्राम स्वराज संबंधी परिकल्पना को साकार रूप प्रदान करने का अवसर प्राप्त नही हो पाया था। आजादी बाद नियोजित विकास योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्र को उचित स्थान नही मिल पाया था। क्योंकि इन प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को वरीयता दी गयी। इसके बाद की योजनाओं में कृषि क्षेत्र को आबंटित राशि घटती जा रही है और भारी औद्योगिक विकास एवं मशीनीकृत उत्पादन को वडावा दिया जा रहा है। रासायनिक उरर्वरकों का प्रचलन, कषि यंत्रों का चलन होने से पशुओं की उपयोगिता घटती जा रही है।

कृषि या अन्य उद्योगों के लिये लोगों की बैंकिग संस्थाओं पर निर्भरता बडती जा रही है। दुधारू पशुओं की संख्या मवेशियों की संख्या घटती जा रही है। अभी तक के औद्योगिक विकास के मॉडल से स्पष्ट है कि जैसा इसके विषय में सोचा गया था कि इससे सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा तीव्र गतिक उत्पादन से वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता आम लोगों तक आसान एवं सस्ती मूल्यों में हो सकेगी। प्रतिस्पर्धा का लाभ आम नागरिकों को मिलेगा। ऐसा तो नही हो पाया। अतः इस पर नये सिरे से विचार करना होगा। किस प्रकार ग्रामों का विकास किया जा सकता है। लोग ऋण जाल से ग्रसित हो रहे हैं।

ग्रामीण विकास स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन : औद्योगिक विकास के मॉडल ने गांधी के परिकल्पित ग्राम स्वराज को मूर्त रूप देने की दिशा में प्रयास तो नहीं किया बल्कि जो ग्राम सदियों से चले आ रहे थे उनकी संरचना एवं क्रियाओं को नष्टप्राय कर दिया है। आज गांवों कुम्हार, बढई, लोहार, बुनकर, ठठेरा माल ढुलाई करने वाले मोची आदि सभी के उद्यम नष्ट प्राय हो चुके है। इनकी जगह बडे बहुदेशीय कम्पनियों में निर्मित सामान गांवों तक आसानी से अपनी पहुंच बनाने में सफल हो रहे हैं। जिसमें आधुनिक त्वरित परिवहन प्रणाली, सूचना तकनीक एवं ऑनलाइन शॉपिग जैसे कारक ग्राम की संरचना को परिवर्तित कर रहे हैं। ग्रामों में छोटे कस्बो में चलने वाली दुकानों में मुख्यतया चीन निर्मित सामाग्री बिकती है जिसमें स्वदेशी वस्तुओं की संख्या निरन्तर घटती जा रही है। ग्रामों में कचरे के ढेर पैदा हो रहे है जिसमें मुख्य कारक प्लास्टिक सामाग्री है जो कि बहुदेशीय कम्पनियों द्वारा उत्पादित सामाग्री कचरे का एकमात्र कारक है। पलायन को मजबूर हो रहे है। कृषि तथा संबंधित क्षेत्र कुटीर उद्योग में रोजगार के अवसर एवं जी.डी.पी. में अंश घटते जा रहे हैं। वर्तमान समय में केन्द्र सरकार साकार स्किल इंडिया मिशन के अन्तर्गत लोगों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। क्योंकि

जब तक लोग स्वालम्बी नहीं होंगे तब तक स्वालम्बी ग्रामों की संकल्पना को मूर्त रूप नही दिया जा सकता है।

सामाजिक समता– महात्मा गांधी ने समाज में प्रचलित कुरीतियों को घोर किया। इन सब कुरीतियों को अपने ग्राम स्वराज की स्थापना में प्रमुख बाधा माना था। आपने स्वयं लिखा था–''मेरे सपनों स्वराज्य में जाति धर्म के लिये कोई स्थान नही होगा।'' आपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षित करने का समर्थन है। आपने लिखा है–''कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भारतीय स्वराज्य तो ज्यादा संख्या वाले समाज का यानी हिन्दुओ का ही राज्य होगा। इस मान्यता से ज्यादा बडी दूसरी गलती नही हो सकती। अगर यह सही सिद्ध हो तो अपने लिये मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं उसे स्वराज मानने से इंकार कर दूंगा और अपनी सारी शक्ति लगाकर उसका विरोध करूंगा। मेरे लिये हिन्द स्वराज का अर्थ सब लोगों का राज्य, न्याय का राज्य है।'' (यंग इंडिया 16 अप्रैल 1931)

लैंगिक समता एवं महिला सशक्तिकरण : लैंगिक भेदभाव के विरूद्ध आपका मानना था कि अहिंसा की नींव पर रचे गये जीवन की रचना में जितना और जैसा अधिकार पुरूष को अपने भविष्य की रचना का है, उतना और वैसा ही अधिकार स्त्री को भी अपने भविष्य तय करने का है। ग्रामीण महिलाओं के विषय में आपने लिखा है कि ''मैं भलीभॉति जानता हूँ कि गांवों में औरते अपने मर्दो के साथ वराबारी से टक्कर लेती है। कुछ मामलों मे उनसे बढी–चढी है और हुकुमत भी चलाती है। लेकिन हमें बाहर से देखने वाला कोई भी तटस्थ आदमी यही कहेगा कि हमारे समूचे समाज में कानून और रूढी की रू से औरतों को जो दर्जा मिला है, उसमें कई खामियां है और उन्हें जडमूल से सुधारने की जरूरत है।'' आपने महिला एवं पुरूषों के समान अधिकारों की वकालत की थी।''स्त्रियों के अधिकारों के सवाल पर मैं किसी तरह का समझौता स्वीकार नही कर सकता मेरी राय में उन पर ऐसा कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिये जो पुरूषों पर न लगाया गया हो। पुत्रों और कन्याओं में किसी प्रकार का कोई भेद नही किया जाना चाहिये। उनके साथ पूरी समानता का व्यवहार किया जाना चाहिये।''

निष्कर्ष : गांधी जी ने कोई नवीन विचार या सिद्धान्त प्रस्तुत नही किया बल्कि आपका सम्पूर्ण जीवन ही सत्य एवं समस्याओं के व्यवहारिक समाधान खोजने के प्रयोगों की अविच्छिन्न श्रृखला है। गांधी ग्राम की अवधारणा को किसी राष्ट्र या क्षेत्र विशेष तक सीमित नही किया जा सकता है। क्योंकि इसकी निर्धारित शर्तें सभी समाजों एवं देशों के लिये चाहे एकल संस्कृति वाले हों या बहुल संस्कृति वाले हों सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करती है। क्योंकि ग्राम विकास से राष्ट्र विकास तथा राष्ट्रों के विकास से अंतराष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अतः संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि वैश्विक ग्राम गांधी ग्राम की अग्रिम अवस्था है।

सन्दर्भ :

- गांधी, महात्मा, हिन्द स्वराज 1909।
- हरिजन सेवक पत्र 2 अगस्त 1942
- हरिजन सेवक पत्र 10 नवम्बर 1946
- यंग इंडिया, 16 अप्रैल 1931
- यंग इंडिया 1 जून–1921 पृ. 170
  सम्पूर्ण गांधी वाङगमय, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार।
- भट्टाचार्य प्रभातकुमार गांधी दर्शन प्रकाशक कॉलेज बुक डिपो, जयपुर प्र0सं0 1972–73
- श्रीमन्नारायण, गॉधी मार्ग की ओर, गांधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली 1969)।
- Kumar, Anil, *Relevance of Gandhi in Globalised Era 2011* ISBN: 978-9380138-53-4
- Pandey, Ashutosh, *Relavance Of Gandhi In 21st Century2010* ISBN: 978-93-80031-89-7
- Kumar, Ravindra, *Mahatma Gandhi in the beginning of 21st Century* 2006 ISBN: 81-212-0898-X
- Singh, Prem, *Gandhian's Vision of world order*, 2010, ISBN: 978-8376-259-5
- Pabla, A.S. ,*Principles Of Gandhi*, 2011, ISBN:-978-81-7884-817-4
- Prasad, Ambika, *Life and philosophy of Mahatma Gandhi*, 2012,ISBN:978-81-7884-954-6

***

S N: 297

MAH/MUL/03051/2012
ISSN-2319 9318

Vidyawarta UGC Jr.No.62759 UGC Approved Refereed Journal

Vidyawarta®

International Multilingual Research Journal

Issue-23, Vol-01 January to March-2018

Editor
Dr.Bapu G.Gholap

www.vidyawarta.com

Scanned with CamScanner

38

२१ वीं सदी में बुक्सा जनजाति की महिलाएं : शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मिथक अथवा वास्तविकता

हेम चन्द
शोध छात्र, समाजशास्त्र

डा. रेनू प्रकाश
असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग,
सोबन सिंह जीना परिसर, अल्मोड़ा,
कु. वि. वि. नैनीताल

****

जैसा कि सर्वविदित है कि परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। परिवर्तन के बिना किसी भी समाज में विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। वैज्ञानिक जागरूकता एवं आधुनिकीकरण के दौर में आज प्रत्येक राष्ट्र उन्नति के दौर में अग्रसर होना चाहता है वहीं बुक्सा जनजातीय समाज आज भी स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल तक पहुँच व स्वच्छता के लिए शौचालय के अभावों से आज भी यह समाज संघर्षशील व अभावग्रस्त हैं। किसी भी समाज की उन्नति एवं विकास के लिए उस समाज के लोगों का शिक्षित होना, जागरूक होना, उत्तम स्वास्थ्य के साथ ही साथ रोजगार व स्वरोजगार के लिए संसाधनों तक पहुँच का होना एक अनिवार्य अंग माना गया है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा व्यक्ति अन्य समाज के लोगों के समकक्ष अपने को एवं अपने समाज के लोगो को स्थापित कर सकता है। शिक्षा की कमी के कारण इस समाज के लोगों को राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। वैश्वीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज प्रत्येक राष्ट्र अपने को अग्रणी व सशक्त बनाना चाहता है। वहीं भारत भी वैश्वीकरण की ओर अग्रसर होना चाहता है लेकिन भारत की उन्नति एवं विकास में योगदान प्रदान करने वाली जनजातीय समाज की महिलाएं विशेषकर बुक्सा महिलाएं आज भी अपने अधिकारों के लिए प्रयत्नशील बनीं हुई हैं। जहाँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आज विभिन्न प्रकार के कानून, अधिनियम व प्रावधान बनाये गये। वहीं राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भूमिका को अग्रणी करने के लिए राज्य स्तर पर व केन्द्र स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सीटें आरक्षित की जा रहीं हैं, लेकिन बुक्सा जनजातीय समाज की महिलाएं अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण इसका लाभ प्राप्त नहीं कर पा रही हैं । प्रस्तुत शोध पत्र में बुक्सा जनजातीय समाज की महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल तक पहुँच व स्वच्छता की दृष्टि से घर–घर में शौचालय के मिथक अथवा वास्तविकता के विषय में अध्ययन किया गया।

जनजाति की अवधारणाः

१ डी. एन. मजूमदार (१९५८:३६५) ने भौगोलिक आधार पर भारत की जनजातियों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया है–१. उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, २. मध्य क्षेत्र और ३. दक्षिणी क्षेत्र।

२ बी के राय बर्मन (१९७२:५) ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को ऐतिहासिक, नृजातीय व सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धों के आधार पर ५ क्षेत्रीय समूह में बांटा है– १. उत्तर पूर्वी भारत जिसके अन्तर्गत उत्तर–पूर्व–फ्रंटियर–एंजेसी (एन ई एफ ए) नागालैण्ड मणिपुर और त्रिपुरा आते है। २. उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी उपहिमालय क्षेत्र जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों (अब उत्तराखण्ड) को सम्मिलत किया जाता है। ३. मध्य और पूर्वी भारत जिसके अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल, बिहार, उडीसा, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश को सम्मिलित किया जाता है। ४. दक्षिण भारत जिसके अन्तर्गत मद्रास, केरल तथा मैसूर आते हैं और ५.

Scanned with CamScanner

पश्चिमी भारत, जिसके अन्तर्गत राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र को सम्मिलित किया जाता है।

३ बी एस गुहा (१९४४) ने भारत में रहने वाली जनजातियों को तीन विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त किया है—

१. उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिसके अन्तर्गत लेह, शिमला, लुसाई पहाडिया, पूर्वी कश्मीर, पूर्वी पंजाब, हिमांचल प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश, आसाम की पहाडियां आदि को शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियों गद्दी, गुज्जर, लाम्बा, थारु, भोटिया, जौनसारी, नागा, कूकी, खासी, खम्पा, कनोटा आदि प्रमुख है।

२. मध्य क्षेत्र जिसके अन्तर्गत बंगाल, उ बिहार, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिण राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरी बम्बई और उड़ीसा को सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियों में बिरहोर, संथाल, हो, खरिया, भुआन, बैगा, गोंड कोल, कोटा, कोरवा, भील, मुसहर, भुइयां, मुण्डा हैं।

३. दक्षिणी क्षेत्र के अन्तर्गत हैदराबाद, कुर्ग, मैसूर, ट्रिवनकोर, कोचीन, आन्ध्र प्रदेश, बिहार और मद्रास है इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातीय समुदाय इरुला, नैचू, टोडा, कादर, पलियान, मलायम, कोटा, कुरम्बा आदि हैं।

साहित्य पर्यावलोचन —

भारत में जनजातीय अध्ययनों का आरम्भ सन् १७७४ में सर विलियम द्वारा 'एषियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल' के प्रकाशन से माना जाता है। इन्होने भारत में प्रकृति और मनुष्य के अध्ययन हेतु सोसायटी का अध्ययन क्षेत्र निर्धारित कर शोधार्थियों एवं प्रकाशकों का मार्ग प्रशस्त किया। भारत में जनजातियों के विषय में अध्ययन करने वाले विचारकों में राय[४] को प्रथम भारतीय लेखक होने का श्रेय प्राप्त है। उन्होंने उड़ीसा जनजाति के 'भुइयों' पर विस्तश्त निबन्ध प्रकाशित किया।[५]

जनजातियों का अध्ययन करने वाले नृतत्वशास्त्रियों में डाल्टन(१८७२), रिजले (१८९१ तथा १९०५), ओमैल (१९३२ तथा १९३४), हीरा लाल तथा रसेल (१९१६), आर बी ब्रेनवीज (१९०७) इत्यादि सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त जे एच हट्टन[६] एशोविन[७] एवं ग्रिगसन[८] के नाम विशेष रुप से महत्वपूर्ण है।

सन् १९३० एवं १९४० के मध्य अनेक शोधार्थियों द्वारा मानवशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में जनजातीय अध्ययन करने का क्रम आरम्भ किया गया। इन अध्ययनकर्ताओं में डी एन मजूमदार[९], वेरियर एल्विन[१०], डी फोर्ड[११], धुरिये[१२] के नाम प्रमुख हैं। इसके पश्चात् एस सी दुबे[१३], आर एन सक्सेना[१४], एल पी विद्यार्थी[१५] तथा आर डी सनवाल[१६] ने भी मानव शास्त्रीय पद्धतियों की सहायता से विभिन्न जनजातियों का विवरणात्मक पक्ष प्रस्तुत किया।

उत्तर प्रदेश में जनजातीय अध्ययनों का प्रारम्भ इलियट (१८६९)[१७] के अध्ययन से माना जा सकता है। जिसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न मानव समूहों के अतिरिक्त कुछ जनजातीय समूहों जैसे— जौनसारी, थारु, बुक्सा, भोटिया आदि का संक्षिप्त उल्लेख मिलता है। सन् १९८५ में नैसफील्ड[१८] ने कलकत्ता से प्रकाशित एक शोध पत्रिका में उत्तर प्रदेश की थारु एवं बुक्सा जनजाति की संस्कृति एवं धार्मिक प्रस्थिति पर एक विस्तृत लेख प्रकाशित किया। जिसके फलस्वरुप उत्तर प्रदेश को पहली बार जनजातियों के मानचित्र पर स्थान दिया गया। इसी क्रम में स्टीवर्ड[१९], एटकिन्सन[२०],रिजले[२१], विलयम क्रुक[२२] नं विल[२३] ने थारु , बुक्सा, भोटिया तथा वनरावत जनजातियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में ग्रियर्सन[२४], एल डी जोशी[२५] आदि ने उत्तर प्रदेश की जनजातियों पर विभिन्न अध्ययन करके महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रस्तुत की। यद्यपि उनके अध्ययन का क्षेत्र भारत की अनेक अन्य जनजातियों तक विस्तृत था। ब्रिटिश अधिकारी ब्लट[२६], टर्नर[२७]ने भी उत्तर प्रदेश के जनजातीय समुदायों में थारु एवं बुक्सा जनजाति को सम्मिलित करते हुए इनकी जनांकिकीय विशेषताओं पर प्रकाश डाला। थारु एवं बुक्सा जनजाति का उद्धरण सर्वप्रथम अब्दुल फजल द्वारा रचित ग्रन्थ आईने— ए— अकबरी[२८] से प्राप्त होता है। इस ग्रन्थ में थारु , बुक्सा जनजाति के निवास का उल्लेख भू— राजस्व के सन्दर्भ में किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रधान एच डी [२९], कार्वे[३०], हेमन्डौर्फ[३१] ने प्रदेश की जनजातियों पर महत्वपूर्ण

Scanned with CamScanner

[illegible] किया। भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात् जब जनजातियों के विकास को एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया तब उत्तर प्रदेश में भी अनेक [illegible] इन वर्गों को जनजातियों का विभिन्न [illegible] किया जाने लगा। इस क्रम में [illegible] मजूमदार, एम.एन. श्रीनिवास, [illegible], [illegible] बी.एस. बिष्ट ने थारु एवं बुक्सा जनजाति के विभिन्न पक्षों पर व्यापक अध्ययन किये। एस.के. [illegible], अमीर हसन, के. [illegible] ने भी थारु एवं बुक्सा जनजाति पर [illegible] सर्वेक्षण किये तथा सर्वेक्षण में इस समुदाय के विवाह सम्बन्धी एवं आर्थिक पक्षों को अध्ययन के आधार के रूप में लिया। महिलाओं के सन्दर्भ में [illegible], ए.के. गुप्ता, इन्द्रजीत कुमार, [illegible] एवं दीपा नाथूर का कार्य भी उल्लेखनीय रहा है। इसके अतिरिक्त पत्र पत्रिकाओं तथा अनेक समाचार पत्रों में भी थारु एवं बुक्सा जनजाति का उल्लेख मिलता है।

बुक्सा जनजाति

बुक्सा शब्द की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों/शोधकर्ताओं ने अनेक किवदन्तियों का उल्लेख किया। बोक शब्द से बोक्सा तथा कालान्तर में बुक्सा शब्द का सम्बन्ध इस जनजाति के अप्रवास काल के सन्दर्भ में भी परिलक्षित होता है। इस सम्बन्ध में सबसे प्राचीन उल्लेख आइन–ए–अकबरी में मिलता है। जिसके अन्तर्गत अकबर के शासन के तराई क्षेत्र में बुक्सार क्षेत्र (वर्तमान में ऊधमसिंह नगर से किच्छा [illegible]) का उल्लेख मिलता है। जिसे अकबर ने कुमाऊँ के राजा रुद्रचन्द को पंजाब के एक सफल युद्ध में अपनी वीरता प्रदर्शित करने के फलस्वरूप प्रदान किया था।

उत्तर प्रदेश के नैनीताल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल एवं बिजनौर जनपदों का तराई क्षेत्र प्राचीन काल से ही बुक्सा जनजाति का निवास स्थान रहा है। शारीरिक बनावट के आधार पर एक औसत बुक्सा की औसत लम्बाई (५' ४" से ५' ८") लिये हुए तथा गठीले व मजबूत शरीर वाला दिखाई देता है। बुक्सा स्त्री व पुरुष दोनों ही के चमड़े का रंग, गेहुंआ या गहरा काला होता है। चेहरा चौड़ा, तिरछी आँखें, चपटी नाक, मोटे होंठ और काले बाल। मजूमदार (१९४४ : ३७) ने मानवमितीय एवं रक्त परीक्षण के आधार पर बुक्सा जनजाति को थारुओं के ही समान मंगोल प्रजातीय उत्पत्ति को प्रमाणित किया है। अमीर हसन (१९६९: २५) ने इन्हें सबसे अधिक हिन्दूकृत जनजातियों में से एक माना है।[१८] अनेक प्रकार के अन्धविश्वास जादू–टोने भी बोक्सा जनजाति में प्रचलित है।[१९] बुक्सा जनजाति की भाषा बुक्साड़ी है।[२०] किन्तु अनेक समुदायों से सम्पर्क तथा इनके सांस्कृतिक विकास के साथ–साथ बुक्साड़ी भाषा के शब्दकोश में ब्रज, हिन्दी, उर्दू एवं कुमाउँनी शब्दों का समावेश होता रहा है।[२१] बोक्सा जनजाति को मुख्यत: ५ उपजातियों में विभक्त किया जा सकता है– १. जदुवंशी, २. पंवार, ३. राजपूत, ४. राजवंशी, ५. तुनवार। इन सब उपजातियों में सगोत्रीय विवाह निषिद्ध है।[२२]

शोध अभिकल्प एवं पद्धति शास्त्र

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य अन्वेषणात्मक है। अत: शोध पत्र हेतु इस अध्ययन में अन्वेषणात्मक एवं विवेचनात्मक शोध अभिकल्प का उपयोग किया गया है। अत: अध्ययन के अन्तर्गत ऊधमसिंह नगर जनपद के बाजपुर विकास खण्ड में निवास करने वाली बुक्सा जनजाति महिलाओं पर एक समाजशास्त्रीय अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत अध्ययन को निदर्श पर आधारित किया गया है। प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर बाजपुर ब्लॉक में कुल ५७ ग्राम पंचायतें स्थित है। जिसमें कुल जनसंख्या लगभग १,३७,३२९ है जिसमें कुल पुरुष लगभग ७१,३७९ एवं महिला जनसंख्या लगभग ६५,९५० है। इन समुदायों में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या लगभग १४,३२५ है[२३] जिसमें लगभग पुरुष जनसंख्या–८,१२५ एवं महिलाओं की संख्या–६,२०० है। महिलाओं की संख्या अधिक होने के कारण अध्ययन क्षेत्र में समग्र रूप से इन्हें सम्मिलित नही किया जा सकता था। अत: अध्ययन हेतु दैव निदर्शन पद्धति का उपयोग कर निदर्श चयन का निर्णय लिया गया। निदर्श पूर्णतया प्रतिनिधित्व पूर्ण रहे इसलिए निर्णय लिया गया कि इन दोनों श्रेणियों से

Scanned with CamScanner

MAH MUL/03051/2012 ISSN: 2319 9318 UGC Approved Sr.No.62759 Vidyawarta® | Jan. To March 2018 Issue-23, Vol-01 | 0172

निदर्श के रूप में ३१० महिलाओं का चयन लॉटरी पद्धति द्वारा किया गया। प्रस्तुत शोध पत्र मुख्य रूप से प्राथमिक आँकड़ों पर आधारित है तथा आंकड़ें एकत्र करने के लिए मुख्य रूप से साक्षात्कार अनुसूची तथा आवश्यकतानुसार असहभागी अवलोकन पद्धति का उपयोग किया गया ।

बुक्सा जनजातीय महिलाओं की शिक्षा — मिथक अथवा वास्तविकता

किसी भी शोध की व्याख्या से पूर्व उत्तरदाताओं की स्थिति एवं उनका पार्श्व चित्र एवं पृष्ठभूमि को देखना एक परम्परा है एक आवश्यकता भी ऐसा माना जाता है कि उससे शोध की समस्या को विभिन्न आयामों/ परिप्रेक्ष्यों से देखने में सहायता प्राप्त होती है। आयु एक ऐसा चर होता है कि जो व्यक्ति के विचारों एवं उनके सोचने समझने की प्रक्रिया में एक विशेष योगदान देता है। प्रस्तुत शोध में सभी आयु समूह के उत्तरदाताओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। जैसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट होता है—

सारणी संख्या— १.१

उत्तरदाताओं की आयु

आयु (वर्षों में)	18–25	25–32	32–39	39–46	46–53	53–60	60 से अधिक	योग
आवृत्ति	69	51	68	52	35	33	2	310
प्रतिशत	22.26%	16.45%	21.94%	16.77%	11.29%	10.65%	0.64%	100%

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाता (२२.२६ प्रतिशत) १८ से २५ वर्ष की आयु समूह के हैं इसके विपरीत सबसे कम उत्तरदाता (०.६४ प्रतिशत) ६० वर्ष से अधिक आयु समूह के हैं। सारणी से स्पष्ट होता है कि ३२—३९ वर्ष के उत्तरदाताओं का प्रतिषत भी अच्छा खासा है। अतः उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि शोध में अधिकांश उत्तरदाता ४६ वर्श से कम आयु के हैं।

शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति के विचारों को परिवर्तित कर देती है जिससे व्यक्ति के सोचने समझने का दायरा विकसित हो जाता है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन तथा उनकी परिस्थितियों को भी परिवर्तित कर सकती है। निम्न सारणी में उत्तरदाताओं का साक्षरता के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है—

सारणी संख्या— १.२

उत्तरदाताओं की साक्षरता का स्तर

साक्षरता का स्तर	निरक्षर	साक्षर	योग
आवृत्ति	193	117	310
प्रतिशत	62.26%	37.74%	100%

उपरोक्त सारणी के आधार पर स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता(६२.२६ प्रतिशत) निरक्षर हैं इसके विपरीत (३७.७४ प्रतिशत) उत्तरदाता साक्षर है। उपरोक्त सारणी के आधार पर कहा जा सकता है कि सरकारी/ गैर सरकारी योजनाओं के बाद भी इतनी बडी संख्या में महिलाओं का निरक्षर होना एक दुखद घटना है। जहाँ एक ओर सम्पूर्ण विश्व महिला सशक्तिकरण की बात करता है साथ ही महिलाओं को आगे बढाने के लिए कई योजनायें चलाई जा रही हैं कई योजनाओं का शुभारम्भ हो रहा है ऐसी स्थिति में बुक्सा जनजाति की महिलाओं का निरक्षर होना वास्तव में जनजातीय समाज में असंतुलन की स्थिति पैदा करता है। शिक्षागत आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण निम्न सारणी में प्रस्तुत किया गया है—

सारणी संख्या— १.३

शिक्षा के स्तर के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

सरकारी चिकित्सकीय सुविधाओं का लाभ	हाँ	नहीं	योग
आवृत्ति	228	82	310
प्रतिशत	73.56%	26.45%	100%

नोट— उपरोक्त सारणी में केवल साक्षर महिलाओं को ही सम्मिलित किया गया है।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता (४२.७३ प्रतिशत) प्राथमिक स्तर तक शिक्षित है जबकि सबसे कम उत्तरदाता (१०.२६ प्रतिशत) इन्टर तथा स्नातक तक शिक्षित हैं। उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि बुक्सा जनजाति समाज में साक्षरता का स्तर संतोषजनक नहीं है। शिक्षा के महत्व का इस समाज में जागरूकता का पूर्णतः अभाव है। जिसका मुख्य कारण यह हो सकता है कि इस समाज में आज भी निर्धनता बहुताय पाई जाती है।

सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति को देखने के लिए यह आवश्यक होता है कि व्यक्ति की

Scanned with CamScanner

व्यवसायगत परिस्थितियों को देखा जाये। शत प्रतिशत उत्तरदाताओं की व्यवसायगत स्थिति प्राथमिक है। अध्ययन में पाया गया है कि अधिकांश उत्तरदाता कृषि, पशुपालन तथा दैनिक मजदूरी आदि से अपनी आजीविका चलाते हैं। जबकि इन उत्तरदाताओं में द्वितीयक (सरकारी / गैर सरकारी नौकरी) एवं तृतीयक (स्वयं का व्यवसाय) का पूर्णत: अभाव पाया गया इसका प्रमुख कारण यह हो सकता है कि यह जनजाति अभी भी गरीबी से नीचे जीवन यापन कर रही है। पूँजी के अभाव में इस समुदाय में साक्षरता की दर न्यूमनतम होने के कारण ये न तो नौकरी की पाबंदी और ना ही किसी व्यवसाय को अपना पाते हैं।

वास्तव में सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण व्यक्ति की आर्थिक परिस्थितियाँ करती हैं। अत: अध्ययन में उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति की व्याख्या महत्वपूर्ण हो जाती है। सामान्यत: किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का निर्धारण उसके परिवार की सम्पूर्ण आय के आधार पर किया जाता है। अत: प्रस्तुत सारणी उत्तरदाताओं के परिवार की मासिक आय का विवरण प्रस्तुत करती है–

सारणी संख्या – १.४

उत्तरदाताओं के परिवार की मासिक आय के आधार पर वर्गीकरण

मासिक आय	2000 से कम	2000 से 4000	4000 से 6000	6000 से 8000	8000 से 10000	10000 से अधिक	योग
आवृत्ति	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	[illegible]
प्रतिशत	94.52%	4.19%	1.29%	-	-	-	100%

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं (९४.५२ प्रतिशत) के परिवार की मासिक आय २००० से भी कम है जबकि सबसे कम उत्तरदाताओं (१.२९ प्रतिशत) के परिवार ४०००–६००० में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि बुक्सा जनजाति आज भी निर्धनता में अपना जीवन यापन कर रही है। चूँकि अध्ययन में पाया गया है कि बुक्सा जनजाति की महिलाओं में आज भी साक्षरता का दर काफी निम्न है। अत्यधिक निर्धनता के कारण इस समाज में महिला शिक्षा को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया जिस कारण बुक्सा जनजाति में साक्षरता का स्तर निम्न रहा। किन्तु अध्ययन में यह जानना आवश्यक है कि हमारे उत्तरदाता महिलाओं की शिक्षा को क्यों आवश्यक मानती हैं। निम्नांकित सारणी महिलाओं के इसी तथ्य को स्पष्ट करती हैं।

सारणी संख्या– १.५

महिला शिक्षा की आवष्यकता के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के मत

महिला शिक्षा की आवश्यकता	[illegible]	[illegible]	अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए	सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए	अन्य	योग
आवृत्ति	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
प्रतिशत	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100%

सारणी के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं (३७.७४ प्रतिशत) का मानना है कि वर्तमान में महिला शिक्षा, महिला की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक है। इसके विपरीत ४.१९ प्रतिशत उत्तरदाता महिला शिक्षा को अन्य कारणों (सर्वांगीण विकास, आर्थिक रूप से सुदृढ होना तथा सामाजिक प्रतिष्ठा) को प्रमुख मानती हैं। अत: संक्षेप में सारणी के आधार पर कहा जा सकता है कि इस जनजातीय समाज की महिलाओं द्वारा महिला शिक्षा को इसलिए आवश्यक माना गया है कि महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। सम्भवत: इसका मुख्य कारण इस समाज की अत्यधिक निर्धनता को माना जा सकता है। चूँकि महिलायें परिवार की आय को बढाने के लिए अपना पूर्ण योगदान देती है। अत: उनका मानना है कि शिक्षित होकर वह अन्य श्रोतो से भी धन उपार्जन कर सकती हैं।

भारत में जनजातियों को शोषण से बचाने के लिए कई प्रकार के संवैधानिक अधिकार प्रदान किये गये जनजातियों से सम्बन्धित सभी प्रावधानों में उन्हें प्रदत्त संरक्षणात्मक वैशिष्ट्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है। इसके अलावा स्वतन्त्रता परवर्ती अवधि में जनजातीय आबादी वाले सभी राज्यों ने कानून बनायें, जिनका उद्देश्य न केवल जनजातीय समुदायों से गैर जनजातीय समुदायों को भूमि का हस्तांतरण रोकना था बल्कि उनकी भूमि उन्हें वापस भी दिलाना था। कुछ राज्यों में गैर– जनजातीय लोगों के हितों के संरक्षण के लिए अधिनियमों में संशोधन भी किये गए। [५४] शत प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि वर्तमान समय में लड़कियों

Scanned with CamScanner

को स्कूल/कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजना अनिवार्य है। अत: कहा जा सकता है कि अधिकांश निरक्षर बुक्सा जनजाति की महिलाएं ''महिला शिक्षा'' के पक्ष में हैं। जिससे वह एक आधुनिक एवं बेहतर जीवन स्तर को प्राप्त कर सकें।

बुक्सा जनजाति की महिलाओं का स्वास्थ्य एवं स्वच्छता (शौचालय) — मिथक अथवा वास्तविकता

२१ वीं शताब्दी में वैश्वीकरण के इस युग में व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पहलू में परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आधुनिकता के इस समाज में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के साथ– साथ मुख्य रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक उन्नति को विकास का एक मुख्य आधार माना गया है। जैसा कि हम जानते हैं महिलाओं के बिना किसी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। उत्तराखण्ड में महिलायें सामाजिक एवं आर्थिक जीवन की धुरी मानी जाती हैं। भारत सरकार के अधिकृत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं एवं बच्चों की उन्नति हेतु अनेक प्रकार का सरकारी एवं गैर सरकारी अनेक नियमों, अधिनियमों एवं कानूनों का निर्माण किया है। किन्तु अनेकों कानूनों के निर्माण के परिणामस्वरूप भी महिलाओं को इसका आंशिक लाभ ही प्राप्त हो पाया है। एक प्रकार से महिलायें परिवार की रीढ. की हड्डी के समान होती है। केन्द्रीय स्थिति होने के कारण परिवार के समस्त दायित्वों का निर्वहन उन्हीं के द्वारा किया जाता है। किन्तु यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि अनेकों कानूनों, अधिनियम बनाने के बावजूद भी बुक्सा जनजाति की महिलायें बदलते परिवर्तनशील परिवेश से सामन्जस्य कर पाई हैं।

आयु व्यक्ति के सोचने एवं समझने की शक्ति को विकसित करता है। ऐसा माना जाता है कि परिपक्व आयु हमारे कर्त्तव्यों एवं अधिकारों के निर्वहन में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करती है। अत: अध्ययन में यह जानना आवश्यक है कि लडके और लडकी की विवाह सम्बन्धी आयु के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के मत क्या है। निम्नांकित सारणी उत्तरदाताओं के इसी मत को स्पष्ट करती है–

सारणी संख्या– २.१

विवाह की सही आयु लडके की २१ और लडकी की १८ के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के मत

विवाह की आयु लडके की 21 और लडकी की 18	हाँ	नहीं	योग
आवृत्ति	310	-	310
प्रतिशत	100%	-	100%

प्रस्तुत सारणी के आधार पर कहा जा सकता है कि शत प्रतिशत उत्तरदाताओं ने विवाह के लिए लडके की आयु २१ तथा लडकी की आयु १८ वर्ष को स्वीकार किया है। उत्तरदाताओं का मानना है कि इस आयु में लडके व लडकी विवाह के लिए शारीरिक व मानसिक तौर पर तैयार हो जाते हैं। तथा अपने कत्तव्यों एवं अधिकारों का निर्वहन भली प्रकार से कर सकते हैं।

वर्तमान समय में सामाजिक तौर पर छोटा परिवार सुखी परिवार की अवधारणा को स्वीकार कर लिया गया है। एक या दो बच्चों वाले परिवार को आदर्श परिवार माना जाता है। अत: इस सन्दर्भ में महिलाओं के विचारों को जानना आवश्यक है कि वह परिवार सीमित रखने के लिए परिवार नियोजन के साधनों को अपनाना उचित मानते हैं या नहीं प्रस्तुत सारणी में इसी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

सारणी संख्या– २.२

परिवार नियोजन के साधनों को अपनाये जाने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के मत

परिवार नियोजन के साधन अपनाना	हाँ	नहीं	योग
आवृत्ति	108	202	310
प्रतिशत	34.84%	65.16%	100%

जैसा कि सारणी से स्पष्ट होता है सर्वाधिक उत्तरदाताओं (६५.१६ प्रतिशत) नें यह स्वीकार किया है कि परिवार को सीमित करने सम्बन्धी किसी भी प्रकार के परिवार नियोजन के साधनों को उनके द्वारा नहीं अपनाया जाता। इसके विपरीत ३४.८४ प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जो परिवार नियोजन के साधनों को अपनाते हैं। सारणी के द्वारा एक आश्चर्यजनक तथ्य स्पष्ट होता है कि आज भी इस जनजातीय समाज में

Scanned with CamScanner

परिवार नियोजन के साधनों को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया जाता। यह तथ्य अनौपचारिक वार्तालाप द्वारा स्पष्ट हो सका। परिवार नियोजन के साधनों को नहीं अपनाने का मुख्य कारण शायद अशिक्षा एवं अज्ञानता हो सकती है। क्योंकि इन समुदाय में आज भी बच्चे भगवान के रूप में माने जाते है। कई समाजों मे पुत्र प्राप्ति को मुक्ति का साधन माना जाता है साथ ही पुत्र प्राप्ति के लिए कई बार महिला के साथ अमानवीय व्यवहार भी किया जाता है। किन्तु हमारे उत्तरदाता इन बात के अपवाद है।

संवैधानिक तौर पर ग्रामीण समाज के विकास के लिए सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक प्रकार की योजनाओं को लागू एवं क्रियान्वित किया गया है, जिनसे ग्रामीण समाज की जीवन शैली को सुविधाजनक एवं लाभकारी बनाया जा सके। इस सन्दर्भ में निम्नांकित सारणी के आधार पर इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है—

सारणी संख्या— २.३

स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सरकारी चिकित्सकीय सुविधाओं के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के मत

सरकारी चिकित्सकीय सुविधाओं का लाभ	हाँ	नहीं	योग
आवृत्ति	229	82	311
प्रतिशत	73.55%	26.45%	100%

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं (७३.५५ प्रतिशत) ने यह स्वीकार किया है कि वह स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सरकारी चिकित्सा सुविधाओं का लाभ प्राप्त करते है। इसके विपरीत २६.४५ प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जो इन सरकारी चिकित्सकीय सुविधाओ का लाभ नहीं करते। अतः स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समाज में इन योजनाओं का उचित प्रकार से लाभ के लिए सरकार द्वारा बनाए गए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वास्थ्य विभाग उत्तराखण्ड सरकार कार्ड से लाभ लिया जाता है। अशिक्षा के कारण स्वास्थ्य सम्बन्धी सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ ये जनजातीय महिलायें नहीं ले पाती हैं।

संवैधानिक तौर पर अनेकों योजनाओं के बाद भी बक्सा समाज आज भी इन लाभों से वंचित है। इसका प्रमुख कारण शायद यह हो सकता है कि आज भी यह समाज गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। जिनका प्रमुख उद्देश्य केवल अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण सामाजिक परिवर्तन को न यह देख पाते हैं और न ही जानने की कोशिश करते है। इसी श्रृंखला में यह जानना भी आवश्यक है कि उत्तरदाताओं को केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न योजनाओं में से सर्वाधिक लाभकारी योजना कौन सी लगती है। निम्नांकित सारणी इसी बात को स्पष्ट करती है—

सारणी संख्या— २.४

सरकारी योजनाओं में सर्वाधिक उपयोगी योजना के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं में मत

केन्द्र सरकार / राज्य सरकार की उपयोगी योजना	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
आवृत्ति	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
प्रतिशत	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]

सारणी के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं (४३.२२ प्रतिशत) ने यह स्वीकार किया है कि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा बनाई गई सरकारी योजनाओं में सबसे अधिक उपयोगी योजना खाद्य सुविधाओं सम्बन्धी योजना है जिसमें प्रमुख रूप से न्यूनतम दरों में राशन(गेहूँ, चावल आदि) उपलब्ध हो जाता है। इसके विपरीत १.९४ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने चिकित्सकीय सुविधाओं को उपयोगी सुविधा माना है, साथ ही उत्तरदाताओं के एक बडे वर्ग ने कृषि ऋण (३० प्रतिशत) को भी उपयोगी योजना माना है। सारणी से स्पष्ट होता है कि निर्धनता एवं अशिक्षा के कारण अधिकांशतः उत्तरदाताओं को केवल मूलभूत आवश्यकताओं सम्बन्धी सुविधा ही उपयोगी लगती है।

प्राचीन काल से ही ऐसा माना जाता है कि जनजातीय समुदाय स्वास्थ्य रक्षा के लिए पारम्परिक रीति रिवाजों (जादू— टोना, झाड़— फूँक, घरेलू उपचार आदि) पर ज्यादा विश्वास करते है हमारे अध्ययन में यह मिथ्य पाया गया। जैसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट होता है—

Scanned with CamScanner

सारणी संख्या— २.५

बीमारी के इलाज में प्राथमिकता के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के मत

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	योग
आवृत्ति	–	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
प्रतिशत	–	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं (८२.१० प्रतिशत) ने बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल को प्राथमिकता दी है। इसके विपरीत ४.२० प्रतिशत उत्तरदाता बीमारी के ईलाज के लिए स्थानीय दवा व झाड –फूंक पर विश्वास करते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि इस सन्दर्भ में बुक्सा जनजाति के समाज में बदलते परिवेश का प्रभाव पडा है। क्योंकि पारम्परिक ईलाज के स्थान पर सर्वाधिक उत्तरदाता अस्पताल एवं चिकित्सकीय दवाओं को प्राथमिकता दे रही हैं।

आर्थिक और सामाजिक स्वरूप के सन्दर्भ में देखें तो आज भी जनजातीय समाज में बड़े पैमाने पर निर्धनता है। योजना आयोग के मुताबिक जनजातीय समाज की आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। ऐसा देखा गया है कि जनजातीय समाज आज भी मूलभूत सुविधाओं जैसे— आवास, भोजन तथा ईंधन के लिए दिन—रात कड़ी मेहनत कर रही हैं। सुविधा के नाम पर न तो इनके पास पीने का स्वच्छ पानी है ना ही शौचालय, जो विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। अत: आवश्यक है कि अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के स्वास्थ्य के मौजूदा हालात और सरकारी योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जाए। अत: अध्ययन में यह आवश्यक हो जाता है कि उत्तरदाताओं से इस सन्दर्भ में सूचनाएं हासिल की जाए कि वह इन योजनाओं से लाभ प्राप्त करती हैं कि नहीं।

सारणी संख्या—२.६

विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से लाभ प्राप्त करने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के मत

विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से लाभ प्राप्त करते हैं	हाँ	नहीं	योग
आवृत्ति	[illegible]	–	[illegible]
प्रतिशत	100%	–	100%

जैसा कि सारणी से स्पष्ट होता है कि शत प्रतिशत उत्तरदाता सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं (सुरक्षित मातृत्व जननी एवं सुरक्षा योजना तथा जनसंख्या स्थिरीकरण) का लाभ प्राप्त करना चाहती हैं। अनौपचारिक वार्तालाप से स्पष्ट हुआ कि अधिकांश उत्तरदाता सरकारी सुविधाओं के रूप में वह ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि अज्ञानता वश एवं समयाभाव के कारण वह इन सुविधाओं के बारे में नहीं जान पाती।

सारणी संख्या—२.७

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

[illegible]	हाँ	नहीं	योग
आवृत्ति	[illegible]	[illegible]	[illegible]
प्रतिशत	11.94%	88.06%	100%

सारणी के आधार पर कहा जा सकता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता (८८.०६ प्रतिशत) महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाती हैं। जिसमें मुख्य रूप से वृद्ध महिला पोषण योजना (वृद्ध महिलाओं का नि:शुल्क भोजन)/ गौरा देवी कन्या धन योजना/ गंगा गाय योजना/ तीलू रौतेली पेंशन योजना/ निराश्रित एवं अविवाहित महिलाओं का भरण—पोषण अनुदान योजना/ विधवा पुर्नविवाह/ अन्य। जबकि केवल ११.९४ प्रतिशत उत्तरदाता ही इन योजनाओं का लाभ उठाती हैं जिसमें मुख्य रूप से गौरा देवी कन्या धन योजना तथा विधवा पेंशन योजना मुख्य है।

अत: सारांश में कहा जा सकता है कि अधिकांश उत्तरदाता महिलाओं से सम्बन्धित किसी प्रकार की भी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाती हैं जिसका प्रमुख कारण शायद अज्ञानता, अशिक्षा हो सकती है।

अनुसूचित जनजाति के स्वास्थ्य के सन्दर्भ में सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से कई योजनाओं का शुभारम्भ किया, सभी योजनाओं में प्राय: अनुसूचित जाति की महिलाओं के विकास को एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में चिन्हित किया है। सरकार ने १९८३ में घोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के भीतर तत्काल प्रभाव से अनुसूचित जनजातियों के लिए खास तौर पर

Scanned with CamScanner

MAH MUL/03051/2012
ISSN: 2319 9318
UGC Approved Sr.No.62759
Vidyawarta®
Jan. To March 2018
Issue-23, Vol-01

नीतिगत घोषणाएं की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने १९८१ में अलग से जनजाति विकास योजना सेल बनाया। जिसमें इस समाज के लिए घोषित योजनाओं की देखरेख और सही तरीके से लागू कराने की गारण्टी दी जा सके। ५५ इन योजनाओं के होने के बावजूद भी जनजातीय समाज की महिलाओं में कोई विशेष प्रभाव दृष्टिगत नहीं होता क्योंकि अध्ययन में अधिकांश उत्तरदाता इन योजनाओं के प्रति अनभिज्ञ पाये गये। जैसा कि निम्न सारणियों के द्वारा स्पष्ट होता है—

सारणी संख्या—२.८

पारिवारिक शौचालय के निर्माण एवं नियमित उपयोग के लिए प्रोत्साहन राशि के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के मत

परिवार में शौचालय की स्थिति	हाँ	नहीं	योग
आवृति	81	229	310
प्रतिशत	26.13%	73.87%	100%

सारणी से स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं (७३.८७ प्रतिशत) ने यह अस्वीकार किया है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत व्यैक्तिक पारिवारिक शौचालय के निर्माण एवं नियमित उपयोग के लिए प्रोत्साहन राशि का उन्हें भुगतान किया गया है। जबकि २६.१३ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस तथ्य को स्वीकार किया है। कहने का आशय यह है कि शिक्षा के अभाव में अधिकांश उत्तरदाताओं को इस प्रकार की किसी भी योजना के बारे में जानकारी नहीं होती। केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जनजातियों के उत्थान के लिए बनाई गई सम्पूर्ण योजनाएं धरातल तक पहुँच ही नहीं पाती।

सारणी संख्या—२.९

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारण्टी योजना (मनरेगा) में रोजगार प्राप्त करने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के मत

मनरेगा से रोजगार प्राप्ति	हाँ	नहीं	योग
आवृति	06	304	310
प्रतिशत	1.94%	98.06%	100%

सारणी के अनुसार सर्वाधिक उत्तरदाताओं (९८.०६ प्रतिशत) को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारण्टी योजना (मनरेगा) के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का कोई भी रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है जबकि १.९४ प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस प्रकार की योजनाओं से रोजगार प्राप्त हुआ है। यह बड़े दुर्भाग्य का विशय है कि सरकार द्वारा विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेषकर जनजातीय समाज एवं जनजातीय महिलाओं की निर्धनता को दूर करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू किया है किन्तु अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण इन समुदायों को उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए।

निष्कर्ष —

स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता(६२.२६ प्रतिशत) निरक्षर हैं इसके विपरीत ३७.७४ प्रतिशत उत्तरदाता साक्षर है। सारणियों के आधार पर कहा जा सकता है कि सरकारी/ गैर सरकारी योजनाओं के बाद भी इतनी बडी संख्या में महिलाओं का निरक्षर होना एक दुखद घटना है। जहाँ एक ओर सम्पूर्ण विश्व महिला सशक्तिकरण की बात करता है साथ ही महिलाओं को आगे बढाने के लिए कई योजनायें चलाई जा रही हैं कई योजनाओं का शुभारम्भ हो रहा है ऐसी स्थिति में बुक्सा जनजाति की महिलाओं का निरक्षर होना वास्तव में जनजातीय समाज में असंतुलन की स्थिति पैदा करता है। ४२.७३ प्रतिशत प्राथमिक स्तर तक शिक्षित है जबकि सबसे कम उत्तरदाता (१०.२६ प्रतिशत) इन्टर तथा स्नातक तक शिक्षित हैं। बुक्सा जनजाति समाज में साक्षरता का स्तर संतोषजनक नहीं है। जिसका मुख्य कारण यह हो सकता है कि इस समाज में आज भी निर्धनता बहुताय पाई जाती है। सर्वाधिक उत्तरदाताओं (९४.५२ प्रतिशत) के परिवार की मासिक आय २००० से भी कम है। बुक्सा जनजाति आज भी निर्धनता में अपना जीवन यापन कर रही है। चूंकि अध्ययन में पाया गया है कि बुक्सा जनजाति की महिलाओं में आज भी साक्षरता का दर काफी निम्न है। अत्यधिक निर्धनता के कारण इस समाज में महिला शिक्षा को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया, जिस कारण बुक्सा जनजाति में साक्षरता का स्तर निम्न रहा। शत प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार

Scanned with CamScanner

MAH MUL/03051/2012 ISSN: 2319 9318 UGC Approved Sr.No.62759 Vidyawarta® Jan. To March 2018 Issue-23, Vol-01 0179

लन्दन,१९३९

१०. एल्विन वेरियर, द वेगा, जॉन मरे एण्ड क लन्दन,१९३९

११. फोर्ड, डी हैविटेट, इकोनॉमी एण्ड सोसाइटी मैथियन एण्ड क लन्दन, १९५०

१२. धुरिये, जी एस, द एवोरिजिनल्स : सो काल्ड एण्ड दियर यूचर, गोखले इन्स्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनोमिक्स, पूना १९४३.

१३. दुबे, एस सी, द कमार, यूनिवर्सल पब्लिशर्स, लखनऊ,१९५१

१४. सक्सेना, आर एन, सोशल इकॉनोमी ऑफ ए पोली– जैन्डर्स पीपुल एशिया पब्लिशिंग हाउस बाम्बे, १९६२.

१५. विद्यार्थी, एल पी, कल्चरल कन्टर्स ऑफ ट्राइवल बिहार, पन्थ पुस्तक, कलकत्ता १९६५.

१६. सनवाल, आर डी, चेन्जेज इन कॉस्ट्स इन रुरल कुमायूँ पी एच डी थिसिस, यूनिवर्सिटी ऑफ लन्दन १९६६.

१७. इलिएट, एच एम, रेसेज ऑफ नार्थ–वैस्टर्न प्रॉविन्सेस, खण्ड–१, १८६९, देहली.

१८. नैस फील्ड, जे सी, डिस्क्रिप्सन ऑफ दी मैनर्स, इन्डस्ट्रीज एण्ड रिलीजन ऑफ दी थारुज एण्ड वोक्सा ट्राइब ऑफ अपर इण्डिया, कलकत्ता रिव्यू खण्ड–गगग १ १८८५.

१९. स्टीवर्ड, जे एल, जनरल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, पार्ट–१८६५.

२०. एटकिन्सन, ई टी, द हिमालयन डिस्ट्रिक्स ऑफ नार्थ– वेस्टर्न प्रॉविन्सेस ऑफ इण्डिया, खण्ड– कॉस्मो पब्लिकेशन, न्यू देलही १९७८.

□□□

39

गोरखपुर जनपद मे टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु मोटर साइकिल के विपणन प्रकृति का अध्ययन

डॉ. संजय कुमार त्रिपाठी
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग
दिग्विजयनाथ पी.जी.कालेज, गोरखपुर

****

सारांष – मोटर साईकिल केवल आपके व्यक्तित्व का बखान नही करती है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। मोटर साईकिलों की सवारी करने वाली की दुनिया ही अलग होती है। यह एक ऐसा मीटर है जिससे आपकी प्रगति मापी जा सकती है। जब कोई मोटर साईकिल रेस, यात्रा और ऐसे ही किसी अन्य आयोजनों में हिस्सा लेता है तो यह बेहतर साबित होती है। अब मोटर साईकिल जीवन यापन की शैली से जुड़ गयी है। इन मोटर साईकिल को पसन्द करने वाले लोगों का समाज में एक खास स्थान है और वे मोटर साईकिल की सवारी से जुड़ी कई खास बातों के कारण आम लोगों से अलग है। इन दिनों मोटर साईकिल के प्रति लोगों का झुकाव अधिक है। कालेज जाने वाले युवाओं से लेकर कम उम्र के नौकरी पेशा लोगों के साथ–साथ अधेड़ और यहां तक कि युवतियां भी मोटर साईकिल चलाती दिखायी देती है। इस प्रकार से हर कोई मोटर साईकिल का सवारी करता नजर आता है।

परिचय –

भारत में मोटर साईकिल का इतिहास अंग्रेजों के जमाने का है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज सेना ने सर्वप्रथम मोटर साईकिल का इस्तेमाल किया था। गोरखपुर में अस्सी दशक के शुरू में एनफील्ड और राजदूत जैसे कुछ मोटर साईकिल सड़क पर थी।

Scanned with CamScanner

S N: 298

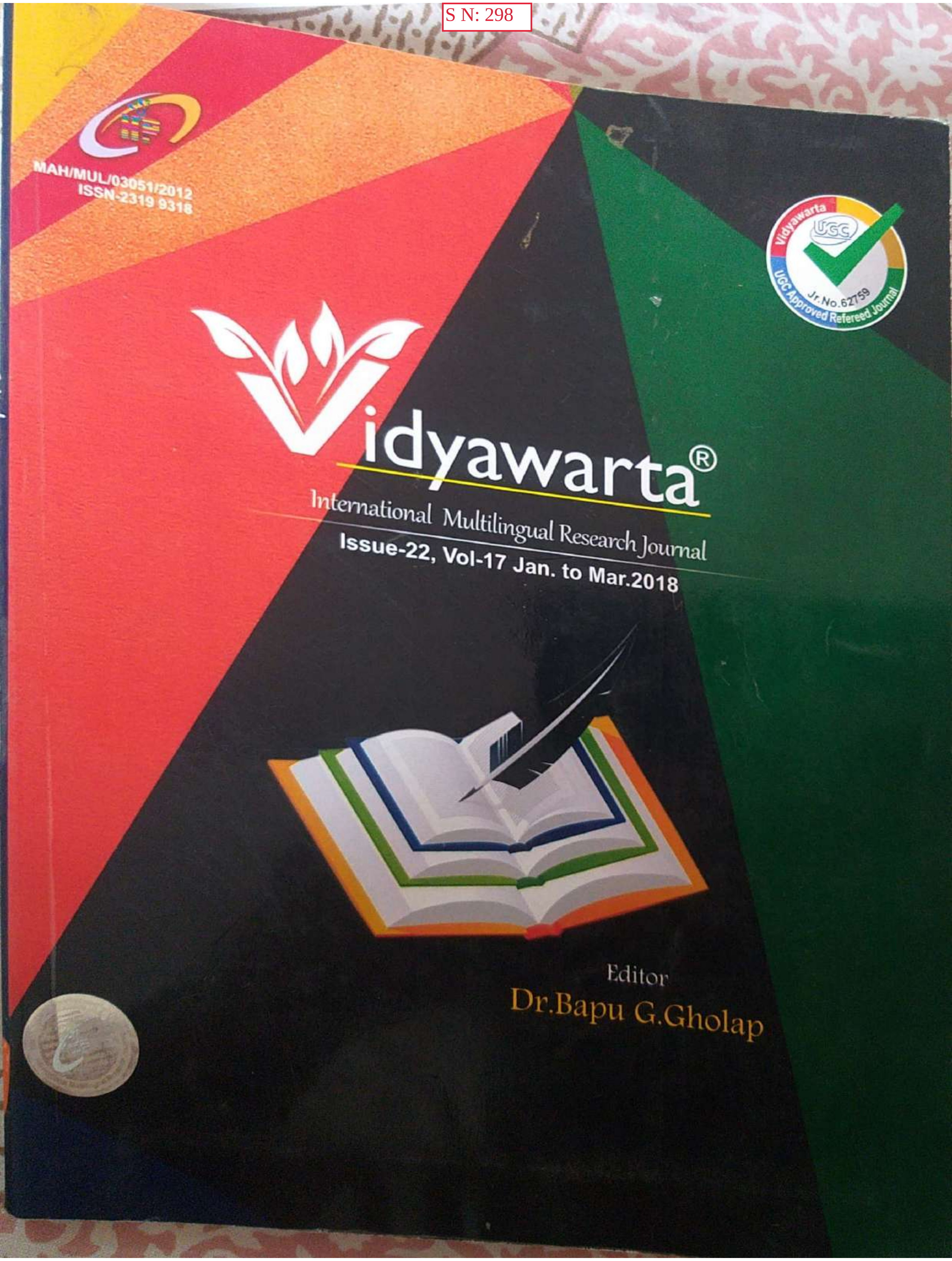

Scanned with CamScanner

31

बाल श्रम : एक प्रमुख समस्या (चौखुटिया विकास खंड तथा मासी क्षेत्र में विशेष संदर्भ में)

डॉ. रेनू प्रकाश,
असिस्टेंट प्रोफेसर, एस. एस. जे. परिसर, अल्मोड़ा
पूजा मेहरा, (लघु शोध एम.एस.डब्लू.)

****

प्रस्तावना

यह एक वास्तविक तथ्य है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति उनके भावी कर्णधारों में निहित होती है। ये कर्णधार उस समाज एवं राष्ट्र की भावी ताकत होने के साथ–साथ उसके भविष्य की एक प्रमुख आधारशिला का भी निर्माण करते हैं। सामाजिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को एक बेहतर जीवन स्तर जीने के लिए संवैधानिक रूप से कई मानवाधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसके अभाव में कोई भी व्यक्ति एक उत्तम जीवन का निर्वाह नहीं कर सकता। बाल अधिकारों के संदर्भ में यदि बात की जाए तो १९२४ ई. में लीग ऑफ नेषन ने जिनेवा कन्वेंसन में बच्चों के अधिकारों को स्वीकार किया। जिसको १९४९ ई. में संयुक्त राष्ट्र संघ ने समर्थन भी किया। २ अक्टूबर १९८९ ई. में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने बाल अधिकारों का कन्वेंसन पारित किया जिसे २ सितंबर, १९९० ई. से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया। इस कन्वेंसन का अनुच्छेद २४ बच्चे की उच्चतम स्वास्थ्य की देखभाल पर बल देता हैं अनुच्छेद ३२ स्पष्ट करता है कि बच्चों को आर्थिक शोषण एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कार्य, शिक्षा में बाधक कार्य, मानसिक, धार्मिक, नैतिक या सामाजिक विकास में बाधक कार्यों से सुरक्षा का अधिकार होगा।[१]

यद्यपि बाल अधिकारों से संबंधित विभिन्न प्रकार के संवैधानिक एवं असंवैधानिक नियमों एवं कानूनों को देश में समय–समय पर लागू एवं क्रियान्वित किया जाता है। किंतु इसके पश्चात् भी हमारे देष में बालश्रम एक प्रमुख समस्या के रूप में उभर कर हमारे सामने आ रहा है। वास्तव में बालश्रम की समस्या कोई नवीन समस्या नहीं है बल्कि यह समस्या प्राचीन काल से चली आ रही है। ''१४ वर्श से कम आयु के बच्चों द्वारा किए गए जाने वाला वह श्रम जिसका उद्देश्य धनोपार्जन तथा परिवार का पालन–पोषण करना है, बालश्रम कहलाता है।'' जनसंख्या वृद्धि तथा निर्धनता ऐसे दो प्रमुख कारण हैं जो बालश्रम को बढ़ावा देते हैं। भारत में बालश्रम का एक प्रमुख कारण आर्थिक समस्या भी हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक निर्धन परिवार अपनी आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने १४ वर्ष से भी कम आयु के बच्चे को विभिन्न कार्यों में लगाकर धनोपार्जन करवाते हैं। भारत सरकार की २०११ की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक देश में ४३.५ लाख बाल मजदूर हैं जबकि गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब ५ करोड़ बच्चों से बाल मजदूरी करायी जा रही है। यूनीसेफ की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में दुनिया के करीब १२ फीसदी बाल मजदूर रहते हैं जो एक चिंताजनक आंकड़ा है।[२]

बाल मजदूरी (निषेध और नियमन) अधिनियम १९८६ के अनुसार एक बच्चा जो १४ साल की उम्र से कम हो किसी उद्योग, कल–कारखानों में धनोपार्जन के लिए कार्य कर रहा है। बाल श्रमिक कहलाता है। भारत में बाल श्रम की तीव्रता को इस आधार पर भी समझा जा सकता है कि बाल श्रम प्रायः सस्ता पड़ता है, क्योंकि इन्हें बहुत कम मजदूरी पर रखा जाता है। साथ ही अपने विरूद्ध होने वाले किसी भी प्रकार के शोषण व अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने में ये सक्षम नहीं होते हैं। ''हेलन आर सेकर'' के अनुसार ''कामगार बच्चों को एक तो कम वेतन दिया जाता है, दूसरे कई बार उन्हें अपने माता–पिता द्वारा लिए गए कर्ज के बदले में काम करना पड़ता है। बाल मजदूर विभिन्न प्रकार के होते हैं यथा–वैतनिक/अवैतनिक, बाल मजदूर, बधुवा बाल मजदूर, परिवार के साथ

काम करने वाले बच्चे खुद का रोजगार चला रहे बच्चे, घरेलू कार्यों/औद्योगिक कार्यों में लगे बच्चे और प्रवासी/अप्रवासी बाल मजदूर।''[3]

यूनेस्को ने भारत को उन देशों में शामिल कर दिया है। जो सबको शिक्षा देने का लक्ष्य अभी पूरा नहीं कर पाए हैं। यूनेस्को के अनुसार सबके लिए शिक्षा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बाल मजदूरी है। बालश्रम से संबंधित अधिकांश बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों के है और उनमें भी लगभग ६०: ९० वर्ष से कम आयु के हैं।[4]

अत: कहा जा सकता है कि औद्योगिकरण के इस वर्तमान युग में बालश्रम एक विकराल रूप धारण कर रहा है। यद्यपि भारत में बालश्रम की प्रथा काफी समय से चली आ रही है और इस समस्या को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास भी किए जा रहे हैं। किंतु आज भी बाल श्रमिकों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है।

उद्देश्य—

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम की प्रमुख समस्याओं तथा बाल श्रमिकों की वर्तमान वास्तविक दशाओं को स्पष्ट करना है।

शोध प्रारूप—

प्रस्तुत अध्ययन अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया तथा मासी क्षेत्र में कार्यरत बाल श्रमिकों पर आधारित है। प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर ज्ञात हुआ कि इस क्षेत्र में कुल २०० बाल श्रमिक कार्यरत हैं। संख्या अधिक होने के कारण इन्हें समग्र रूप में सम्मिलित नहीं किया जा सकता था अत: विदर्श के रूप में देव निदर्शन पद्धति का उपयोग कर लाटरी पद्धति द्वारा २०: का चयन किया गया। अत: प्रस्तुत अध्ययन कुल ४० अध्ययन इकाइयों पर आधारित है।

प्रस्तुत अध्ययन मुख्य रूप से प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है तथा आंकड़े एकत्रित करने के लिए साक्षात्कार अनुसूची तथा असहभागी अवलोकन पद्धति का उपयोग किया गया है।

उपलब्धियां—

प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं—

१. सर्वाधिक उत्तरदाता ;५६.०९: १२ से १४ वर्ष की आयु समूह के है।

२. ६५.८५ प्रतिषत उत्तरदाता एकाकी परिवार में निवास करते हैं।

३. ५१.२१ प्रतिशत उत्तरदाता निरक्षर हैं। जबकि ४८.७८ प्रतिशत उत्तरदाता साक्षर हैं, जिसके अधिकांशत: केवल ५वीं तक शिक्षित हैं।

४. ५६.०९ प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि बढ़ती हुई महंगाई के कारण वह कार्य करने को विवश हैं।

५. ४८.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार की मासिक आय ६००० रू. है।

६. ४८.७८ प्रतिशत उत्तरदाता घोड़ा, खच्चर चलाकर, पत्थर तोड़कर तथा कूड़ा व कबाड़ बीनकर अपने परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। जबकि ४१.४६ प्रतिशत उत्तरदाता दूसरे के खेतों में कार्य करके अपने परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान करते हैं।

७. ५३.६६ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि अत्यधिक निर्धनता एवं बढ़ती हुई महंगाई के कारण वह शिक्षा से वंचित हो रहे हैं।

८. कार्य के घंटों के संदर्भ में ५३.६५: उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि वह अधिकतक ३ से ६ घंटे कार्य करते हैं जबकि ४६.३५ प्रतिशत उत्तरदाता लगभग पूरे दिन में ६—८ घंटे तक कार्य करते हैं।

९. ९७.५६ प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि अपने द्वारा कमाए गए धन के पूरे हिस्से को वह अपने परिवार की आवश्यकताओं पर ही खर्च करते हैं।

१०. ८०.४८ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कार्य स्थल में किसी प्रकार के भी शोषण व हिसा को अस्वीकार किया है।

११. ८२.९२ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि उन्हें सही समय पर तथा भरपेट भोजन प्राप्त नहीं होता है।

निष्कर्ष—

संपूर्ण विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि अध्ययन में कार्यरत सर्वाधिक बाल श्रमिक १२ से १४ वर्ष की आयु समूह के हैं जो एकाकी परिवार में निवास करते हैं साक्षरता के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उत्तरदाता निरक्षर हैं जबकि जो उत्तरदाता साक्षर हैं वह

Scanned with CamScanner

भी केवल कक्षा ०५ तक ही शिक्षित है। उत्तरदाताओं के परिवार की मासिक आय लगभग ६००० रू. हैं जो परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं हैं। परिवार की मासिक आय में उत्तरदाताओं की आय भी सम्मिलित है जो अनिष्चित है अर्थात इन उत्तरदाताओं को साल भर काम नहीं मिल पाता। जब उन्हें काम मिलता है तभी कार्य कर पाते हैं। अधिकांश उत्तरदाताओं के आय का प्रमुख स्रोत घोड़े/खच्चर चलाकर मजदूरी, दूसरों के खेतों में मजदूरी, सड़क के कामों में पत्थर तोड़कर की आय को बढ़ाने में सहयोग प्रदान करते हैं। उत्तरदाताओं का मानना है कि अत्यधिक निर्धनता एवं बढ़ती हुई महंगाई के कारण वह कार्य करने को विवश है। जिसके परिणामस्वरूप वह शिक्षा से भी वंचित हो जाते हैं। कार्य के घंटों के संदर्भ में अधिकांश उत्तरदाता पूरे दिन में ३ से ६ घंटे तथा ६ से ८ घंटे तक लगातार कार्य करते हैं। अपने द्वारा कमाए गए धन का पूरा हिस्सा वह अपने परिवार की आवश्यकताओं पर खर्च करते हैं। कार्यस्थल में अन्य व्यक्तियों द्वारा किसी भी प्रकार के हिंसा एवं शोषण को उत्तरदाताओं द्वारा अस्वीकार किया गया है, किंतु यह एक दुखद तथ्य है कि अधिकांश बच्चों को सही समय पर तथा भरपेट भोजन प्राप्त नहीं होता है।

सुझाव

१. जन जागरुक अभियान चलाकर बाल श्रम की भयावहता के बारे में जनता को जागरुक करना होगा, तभी इस समस्या को कम किया जा सकता है।

२. बाल श्रमिकों को शिक्षा के सुअवसर प्रदान करने के लिए नई–नई नीतियों तथा उनकी परिस्थितियो के अनुसार संवैधानिक योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए।

३. रोजगार परक शिक्षा के माध्यम से भी बाल श्रम को कम किया जा सकता है। जिससे कम उम्र के बच्चे हस्तषिल्प या छोटे–छोटे कुटीर उद्योग ध ंधों के माध्यम से अर्थोपार्जन कर सके।

४. अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों से संबंधित तथा जहरीले रसायनों से युक्त कारखानों में बाल श्रमिक रखना पूर्णतया प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। ऐसे कारखानों में कार्यरत बाल श्रमिक पाए जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान होना चाहि।

५. बाल श्रमिकों को भयावह कार्यस्थलों से निकालकर शैक्षणिक पुनर्वास के साथ–साथ आर्थिक सुदृढ़ता भी प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे वह पुनः उस दलदल में न फंसे।

६. ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जाए जहाँ १४ वर्ष से कम उम्र के बच्चे धनोपार्जन में लगे हैं, साथ ही इन बाल श्रमिकों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करके इस समस्या को कम किया जा सकता है।

संदर्भ सूची :–

१. डॉ. अशोक सिंह भदोरिया, ''मानवाधिकार संरक्षण एवं बाल श्रम'' राधा कमल मुखर्जी : चिंतन परंपरा जुलाई–दिसंबर २०१६, समाज विज्ञान विकास संस्थान, बरेली, पे.न. ९०

२. कैलाश सत्यार्थी ''सुरक्षित बचपन से ही होगा सशक्त भारत का निर्माण'' योजना, अप्रैल २०१७, पे..न. २५,

३. हेलन आर सेकर ''बाल श्रम कानून में सुधार'' योजना अप्रैल २०१७, पे.न. २९

४. विनीत कुमार सिन्हा ''बालश्रम समस्या एवं समाधान ''नैनो हिंदी निबंध, कुमार बुक सेंटर, दिल्ली, पृ. ९

❑❑❑

Scanned with CamScanner

S N: 300

MAH/MUL/03051/2012
ISSN-2319 9318

Vidyawarta®

International Multilingual Research Journal

Issue-22, Vol-17 Jan. to Mar.2018

Editor
Dr.Bapu G.Gholap

Scanned with CamScanner

25

हिन्दू मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन (बागेश्वर नगर के सन्दर्भ में)

कु. सरिता,
शोध छात्रा समाजशास्त्र, एस. एस. जे. परिसर अल्मोड़ा।

डॉ. रेनू प्रकाश,
असिस्टैन्ट प्रोफेसर समाजशास्त्र, एस. एस. जे. परिसर अल्मोड़ा।

****

प्रस्तावना :

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य हिन्दू मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना है। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, जिसमे अलग–अलग जाति के लोग रहते है, जिनकी अपनी भाषायें और संस्कृति होती है। सभी धर्मावलम्बी यहाँ अपने तौर तरीके से रीति–रिवाजों और परम्पराओं का पालने करते हुए अपने धार्मिक मूल्यों के अनुसार अपना जीवन निवर्हन करते है। भारत में अगर महिलाओं के सन्दर्भ में बात की जाये, तो महिलाओं की दशा अत्यन्त उच्च मानी जाती थी।

पौराणिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आयी।[१] धर्म मानव समाज का एक ऐसा सर्वव्यापक शाश्वत एवं स्थायी तत्व हैं, जिसे समझने में असफल रहेगे। धर्म मानव का अलौकिक शक्ति से सम्बन्ध जोडता है। धर्म का सम्बन्ध मानव की भावनाओं श्रद्धा एवं भक्ति से है। धर्म के सम्बन्ध में यह विश्वास किया जाता यह केवल मानव के आन्तरिक जीवन को ही प्रभावित नहीं करता वरन् उसके सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। सामान्य अर्थ में विश्वास के लिए किया जाता है। ''धर्म आध्यातमिक शक्ति में विश्वास है''।[२] भारतीय समाज सदा से ही धर्मपरायण समाज रहा है और संसार में अपनी इसी विशेषता के कारण उसका आदर रहा है। धर्म ही भारतीय समाज का सर्वोच्च आदर्श माना गया है। धर्म में विश्वास करते हुए यह माना जाता है, कि मनुष्य के सभी क्रियाकलापों का अन्तिम लक्ष्य धर्म संचय करना है। इस प्रकार धर्म मानव जीवन एवं समाज की अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्था रही है। प्रत्येक समाज चाहे वह आदिम हो अथवा सभ्य, ग्रामीण हो अथवा नगरीय, धर्म की महत्वता अवश्य ही पाई जाती है। धर्म शब्द 'धृ' धातु से बना है जिसका अर्थ है – धारण करना' बनाये रखना अथवा पुष्टि करना। इसका तात्पर्य है कि जो तत्व सम्पूर्ण संसार के जीवन को धारण करता है। जिसके बिना संसार में व्यक्ति की स्थिति सम्भव नहीं होती तथा जिसमें सभी कुछ संयमित और सुव्यवस्थित बना रहता है। प्रत्येक धर्म का आधार किसी शक्ति पर विश्वास है, और यह शक्ति मानव शक्ति से अवश्य ही श्रेष्ठ है, परन्तु केवल विश्वास सम्पूर्ण धर्म नहीं है। विश्वास का एक भावात्मक आधार भी होता है, जैसे उस शक्ति के सम्बन्ध में भय या उसके दण्ड का भय साथ ही उस शक्ति के प्रति श्रद्धा, भक्ति या प्रेम–भाव भी धर्म के आवश्यक अंग है। ''धर्म'' में मनुष्य से श्रेष्ट उन शक्तियों की सन्तुष्टि या आराधना है जिनके सम्बन्ध में यह विश्वास किया जाता है, कि वे प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखलाती और नियन्त्रित करती है।[३]

इस प्रकार हम कह सकतें हैं, कि मानव जीवन एवं समाज में धर्म का स्थान अत्यन्त महवत्वपूर्ण है। धर्म व्यक्ति के व्यक्तित्व, समाजीकरण, वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनैतिक आदि समस्त पहलुओं से घनिष्ट रुप से सम्बन्धित है। धर्म के द्वारा ही मनुष्य सदाचार, परोपकार, सहिश्णुता, प्रेम, श्रद्धा, सत्यता आदि सद्गुणों का विकास भी करता है। "धर्म" पवित्र वस्तुओं सें सम्बन्धित अनेक विश्वासों तथा आचरणों की वह व्यवस्था है, जो अपने सम्बन्धित लोगों को एक नैतिक सम्प्रदाय से जोडती है।[४]

Scanned with CamScanner

यदि वर्तमान समय में स्त्री की स्थिति देखें तो इसमें संदेह नहीं कि कोई इसलिए उनकी अनदेखी करें कि वे स्त्री है। बावजूद इसके अभी भी विचारो में, संस्कारों में उन्हें यथेष्ट समकक्षता प्राप्त करने में देरी है।[५]

अध्ययन के उद्देश्य:

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य हिन्दू मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक स्थिती का एक तुलनात्मक अध्ययन करना है।

शोध अभिकल्प :

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य अन्वेषणात्मक है। अत: शोध हेतु इस अध्ययन में अन्वेषणात्मक एवं विवेचनात्मक शोध अभिकल्प का उपयोग किया जायेगा। अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण से भिन्न परिप्रेक्ष्यों जैसे– सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक सन्दर्भ में हिन्दू तथा मुस्लिम महिलाओं के जीवन स्तर का अध्ययन करके उसकी एक समाजशास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत अध्ययन को समग्र एवं निर्दश दोनो पर आधारित है। अध्ययन बागेश्वर नगर के वार्ड न. ६ घटबगड़ बाल्मीकी गोमती बस्ती बागेश्वर पर आधारित प्राथमिक सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि इस वार्ड में कुल २२९ महिलाएं है। जिसमें २०२ हिन्दू महिलाएं तथा २७ मुस्लिम महिलाए है। अत: मुस्लिम महिलाओं की संख्या कम होने के कारण अध्ययन हेतु इन्हें समग्र रूप में सम्मिलित किया गया है। हिन्दू महिलाओं की संख्या अधिक होने के कारण इन्हें समग्र रूप में सम्मिलित नहीं किया जा सकता।

अत: अध्ययन हेतु दैव निदर्शन पद्धति का उपयोग कर निदर्श चयन का निर्णय लिया गया अत: निदर्श के रूप में १२.५ प्रतिशत का चयन किया गया तथा यह चयन लौटरी पद्धति द्वारा किया गया। इस प्रकार अध्ययन में कुल ५२ (२७ मुस्लिम महिलाएं और २५ हिन्दू महिलाएं) महिलाओं को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन कुल ५२ अध्ययन इकाईयों पर आधारित है।

प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक आकड़ों पर आधारित है तथा आंकडों को एकित्रत करने के लिए मुख्य रूप से साक्षात्कार अनुसूची तथा आवश्यकता अनुसार असहभागी अवलोकन पद्धति का उपयोग किया गया है।

अध्ययन के आधार पर प्राप्त निष्कर्श :

१. हिन्दू धर्म की सर्वाधिक उत्तरदाता ३२ से ३९ आयु समूह की है। जबकि मुस्लिम धर्म कि सर्वाधिक उत्तरदाता २५ से ३२ आयु समूह के है।

२. शैक्षणिक स्तर के आधार पर हिन्दू धर्म के ३४ प्रतिशत उत्तरदाता इंटर तथा स्नातक स्तर तक शिक्षित है। जबकि मुस्लिम धर्म की महिलाओं में ३७. ७ प्रतिशत उत्तरदाता स्नातक स्तर तक शिक्षित है।

३. हिन्दू धर्म की सर्वाधिक उत्तरदाताओं (३६ प्रतिशत) के परिवार की मासिक आय १०,००० से अधिक है। इसके विपरीत २९.६ प्रतिशत मुस्लिम धर्म के उत्तरदाताओं के परिवार की मासिक आय ४००० से ६००० के बीच है।

४. ईश्वर पर विश्वास करने के सन्दर्भ में हिन्दु तथा मुस्लिम दोनों धर्म की शत् प्रतिशत उत्तरदाता ईश्वर पर विश्वास करती है।

५. धार्मिक उत्सवों में सहभागिता के सन्दर्भ में हिन्दू धर्म की ८४ प्रतिशत तथा मुस्लिम धर्म की ८५. १ प्रतिशत उत्तरदाता धार्मिक उत्सवों में सहभागिता करते है।

६. मुस्लिम धर्म की ९२.५ प्रतिशत हिन्दू धर्म की ५२ प्रतिशत महिलाएं कभी–कभी ही धार्मिक पुस्तकों को पढती है।

७. ५६ हिन्दू प्रतिशत महिलाएं कभी–कभी धार्मिक स्थलों में जाती है। जबकि ५९ प्रतिशत मुस्लिम उत्तरदाता विशेष अवसरों में धार्मिक स्थलों में जाती है।

८. धर्म को स्वीकार करने के सन्दर्भ में ७६ प्रतिशत हिन्दू उत्तरदाता तथा ३३.३ प्रतिशत मुस्लिम उत्तरदाता आत्मा की शुद्धि के लिए धर्म को स्वीकार करते है।

९. हिन्दू धर्म के ८८ प्रतिशत उत्तरदाता तथा मुस्लिम धर्म की ८५.१ प्रतिशत उत्तरदाता अपने जीवन में भाग्य और कर्म दोनो को सामान्य रूप से महत्वपूर्ण मानते है।

१०. पुर्नजन्म पर विश्वास के सन्दर्भ में हिन्दू धर्म की उन उत्तरदाताओं का प्रतिशत सामान्य (४०

Scanned with CamScanner

प्रतिशत) है, जो पुर्नजन्म पर या तो विश्वास नहीं करती या कभी–कभी करते है। जबकि मुस्लिम धर्म की ७४ प्रतिशत उत्तरदाता पुर्नजन्म पर विश्वास नहीं करते है।

११. धार्मिक कियाकलापों की पूर्ण जिम्मेदारी एक महिला की होती है, के विशय में ८४ प्रतिशत हिन्दु उत्तरदाताओ ने इस संबंध में अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की है। जबकि ७०.३ प्रतिशत मुस्लिम धर्म के उत्तरदाता इस मत से असहमत है।

१२. धार्मिक नियमों के पालन पर पारिवारिक सदस्यो द्वारा दवाब दिया जाने के सन्दर्भ में हिन्दू धर्म की ४८ प्रतिशत उत्तरदाता मानती है कि कभी–कभी पारिवारिक सदस्यों द्वारा इस प्रकार का दवाव डाला जाता है। जबकि ५५.५ प्रतिशत मुस्लिम उत्तरदाता इस प्रकार का कोई दबाव महसूस नहीं करते है।

१३. धार्मिक नियमों का पालन कट्टरता पूर्वक किये जाने के सन्दर्भ में हिन्दू धर्म की ५६ प्रतिशत उत्तरदाता तथा मुस्लिम धर्म के ४४ प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है, कि इस प्रकार के धार्मिक नियमों का कट्टरता पूर्वक पालन किये जाने पर उन्हें कभी–कभी बाध्य किया जाता है।

सम्पूर्ण अध्ययन की विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि हिन्दू तथा मुस्लिम धर्म की दोनो धर्मो का शत प्रतिशत उत्तरदाता ईश्वर शक्ति पर विश्वास करती है। इसी प्रकार दोनों धर्म की अधिकांश उत्तरदाता धार्मिक उत्सवों में निरन्तर सहभागिता करती है। तुलानात्मक रूप से देखा जाए तो मुस्लिम धर्म की उत्तरदाता हिन्दू धर्म की उत्ततरदाताओं से अधिक धार्मिक नियमों में बंधी हुई है। धर्म के स्वरूप को स्वीकार करने के सन्दर्भ में दोनों धर्मो की अधिकांश उत्तरदाताओ द्वारा आत्मा की शुद्धि के लिए इस के स्वरूप को स्वीकार किया गया है। दोनों धर्मो के सर्वाधिक उत्तरदाता भाग्य और कर्म दोनो को अपने जीवन में सामान्य रूप से महत्वपूर्ण मानते है। पुर्नजन्म के प्रश्न पर हिन्दू धर्म के उत्तरदाताओं का प्रतिशत मुस्लिम धर्म के उत्तरदाताओं से अधिक है, जो पुर्नजन्म पर विश्वास करते है। अध्ययन में उन मान्यताओं का खण्डन होता है। जिसमे यह माना जाता है, कि धार्मिक कियाकलापों की पूर्ण जिम्मेदारी एक महिला की ही होती है। इसी प्रकार धार्मिक नियमों के पालन में अनिवार्यता के सन्दर्भ में अध्ययन में पाया गया है कि धार्मिक नियमों का पालन किसी भी धर्म में अनिवार्य रूप से कभी–कभी पालन करना आवश्यक है।

अत: संक्षेप मे कहा जा सकता है कि आधुनिकीकरण एवं पश्चिमिकरण के इस युग में जहाँ महिलाओं के नित नये विकास के बारे में नयी–नयी योजनाओं का विकास हो रहा है। वहाँ आज भी भारतीय महिलायें आज भी धार्मिक नियमों एवं परम्पराओं में बधी हुई है। शायद इस का मुख्य कारण हमारी संस्कृति एवं सभ्यता है। जो महिलाओं को धार्मिक मान्यताओं को मानने के लिए बाध्य करती है। अत: उपरोक्त संन्दर्भ में यह कहा जा सकता है, कि महिलाओं में वैचारिक स्वतन्त्रता आना अनिवार्य है जो उनकी तर्क शक्ति को एक नई दिशा दे सके। जिसके लिए उचित शिक्षा एवं उचित वातावरण का होना आवश्यक है जिसके लिए महिलाओं को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा,। जैसे कि अध्ययन में स्पष्ट होता है। कि दोनों धर्मो की महिलाओं के धार्मिक सोच एवं परम्पराओं के पालन के तुलनात्मक रूप से कोई विशेष अन्तर नहीं दिखाई देता अत: वर्तमान आधुनिक समाज में यह आवश्यक है कि उनकी सोच में परिवर्तन हो तभी महिलाये धार्मिक रूप से भी सशक्त विचारधाराओं को अपना पायेगी।

सन्दर्भ सूची

१ छापड़िया, मनोज, ''स्त्री शिक्षा एवं सामाजिक गतिशीलता,''सीरियल्स पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, २००८ पृ. सं. ९३–९४।

२ टायलर, ई.बी.–''प्रीमिटिव कल्चर'' (१९२४) पृ. सं. ४२४

३ फ्रेजर, जेम्स– "The Golden bough," New York, Macmillan Press,(1922) P.N- 459.

4 Durkheim Emile-"Theelementary forms of Religious life" New York, Free Press, (1912) P.N.47.

५ राकेश द्विवेदी, ''महिला सशक्तिकरण चुनौतियाँ एवं रणनीतियाँ'' पूर्वाशा प्रकाशन भोपाल पे. न.–५६

Scanned with CamScanner

21

S N: 301

PEER REVIEWED

ISSN 0974-0074

राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा

(National Refereed Journal of Social Sciences)

IMPACT FACTOR 3.514

वर्ष 20 अंक 1

जनवरी–जून, 2018

समाज विज्ञान विकास संस्थान

बरेली (उ.प्र.)

Scanned with CamScanner

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074

कार्यरत महिलाओं में तनाव उत्पन्न करने वाली कार्यगत परिस्थितियाँ : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

□ डॉ. रेनू प्रकाश

वर्तमान युग महिला सशक्तीकरण का युग माना जाता है। महिला सशक्तीकरण का सीधा संबंध महिलाओं की सामाजिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता, स्वावलंबन तथा आत्मनिर्भरता से लगाया जा सकता है। वास्तव में आज महिलाएं केवल घर की चारदिवारी तक ही सीमित नहीं रह गयी हैं बल्कि घर के बाहर प्रत्येक क्षेत्र में अपनी एक स्पष्ट भागीदारी भी सुनिश्चित कर रही हैं। आज महिलाएं घर से बाहर निकल कर विभिन्न क्षेत्रों में अर्थोपार्जन करने के साथ-साथ अपने समस्त पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन भी पूर्ण सफलता के साथ संपन्न कर रही हैं इसलिए उनकी परस्पर क्रिया का क्षेत्र काफी विस्तृत हो जाता है जिसके फलस्वरूप वे अपनी तुलना समाज में अन्य लोगों तथा कार्यस्थल के सहयोगियों के साथ करने लगती हैं। यदि वह स्वयं को उनकी तुलना में अभावग्रस्त समझती हैं तो उसके अंदर सापेक्ष अभावबोध की भावना आ जाती है। सामान्यतः परंपरागत रूप से महिलाओं की गृहणी की भूमिका को प्रमुख केंद्र माना जाता है। चूंकि कार्यरत महिलाओं को परिवार एवं कार्यालय दोनों ही स्थानों पर अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करना होता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि उन्हें अपनी विभिन्न भूमिकाओं के मध्य भूमिका संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ता है। परंपरागत समाजों के संदर्भ में ऐसी मान्यता रही है कि ऐसी व्यवस्था में महिलाओं का सदैव शोषण होता है अर्थात् एक महिला जो घर से बाहर निकल कर कार्य करती है उसे कई प्रकार के मानसिक तनावों से होकर गुजरना पड़ता है। कार्यगत परिस्थितियों में सापेक्ष अभावबोध, भूमिका संघर्ष तथा शोषण की स्थिति का सामना प्रायः सभी कार्यरत महिलाओं को करना पड़ता है, जो सर्वाधिक मानसिक तनाव उत्पन्न करता है। परंपरागत समाजों में महिला की परस्पर क्रिया का क्षेत्र सीमित था तब संभवतः महिलाएं मानसिक तनाव का सामना प्रायः नहीं करती थीं। परंतु वर्तमान समय में आधुनिकता, शिक्षा के बढ़ते सुअवसर तथा आर्थिक दबाव व आर्थिक आत्म-निर्भरता के कारण घर की चारदीवारी से बाहर निकल कर कार्य करना आवश्यक हो गया है। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त तीनों स्थितियों का आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है क्योंकि परिवर्तन तथा विकास की प्रक्रिया के साथ ही ये समस्याएं भी विकसित होने लगती हैं।

> आधुनिक भारत में महिलाओं की प्रस्थिति तथा भूमिकाओं के बारे में प्रचलित परम्परागत मान्यताओं में तीव्र गति से परिवर्तन आ रहा है, जो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर भी हो रहा है। अनेक ऐसे कारणों जिसमें मुख्य रूप से आधुनिकीकरण तथा शिक्षा के बढ़तें अवसरों ने महिलाओं को आर्थिक निर्भरता प्रदान की है। वर्तमान समय में महिलाओं द्वारा घर से बाहर निकल कर धनोपार्जन करना एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में परिलक्षित हो रहा है, जिसमें महिलायें आर्थिक मजबूरीवश तो कार्य करती ही हैं साथ ही कई महिलायें एक उपयोगी और उच्चतर रहन सहन वाला सामाजिक जीवन जीने के लिए भी अनेक क्षेत्रों में कार्य करती हैं। अतः ऐसी स्थिति में एक महिला जो घर से बाहर निकल कर कार्य करती है उसे कई प्रकार के मानसिक तनावों से होकर गुजरना पड़ता है। कार्यगत परिस्थितियों में सापेक्ष अभावबोध, भूमिका संघर्ष तथा शोषण की स्थिति का सामना प्रायः सभी कार्यरत महिलाओं को करना पड़ता है, जो सर्वाधिक मानसिक तनाव उत्पन्न करता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तीनों स्थितियों का आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है क्योंकि परिवर्तन तथा विकास की प्रक्रिया के साथ ही ये समस्याएं भी विकसित होने लगती हैं।

अवधारणाओं का स्पष्टीकरण एवं साहित्य सर्वेक्षणः

□ असिस्टेंट प्रोफेसर, एस०एस०जे० परिसर, अल्मोड़ा, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

Scanned with CamScanner

एक कार्यरत महिला का कार्यक्षेत्र चूंकि विस्तृत होता है। वह घर से बाहर जाकर कार्य करती है इसलिए विभिन्न व्यक्तियों के संपर्क में आने के कारण वह अपनी तुलना अन्य लोगों से करती है। यदि वह अपने को उनकी तुलना में अभावग्रस्त महसूस करती है तो उसके अंदर सापेक्ष अभावबोध की भावना आ जाती है, सापेक्ष अभावबोध समाज में पाए जाने वाली वह भावना है जो हमारे आपसी संबंधों के मध्य एक तनाव की स्थिति लाती है। सापेक्ष अभावबोध की अवधारणा सर्वप्रथम स्टाफर एवं उनके साथियों द्वारा द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अपनी पुस्तक ''अमेरिकन सोल्जर'' में अमेरिकी सैनिकों के संदर्भ में प्रस्तुत की गई।''[१]

सापेक्ष अभावबोध की व्याख्या सामान्यतः संदर्भ समूह व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में की जाती है। संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हाइमैन ने सन् १९४२ में अपनी पुस्तक ''द साइकोलॉजी आफ स्टेट्स'' में किया था। संदर्भ समूह की अवधारणा को विकसित करने में राबर्ट मर्टन का विशेष योगदान है। हाइमैन के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार प्रतिमान और उसकी स्थिति का विश्लेषण केवल जिस समूह का वह सदस्य है के जान लेने से ही नहीं किया जा सकता। वास्तव में व्यक्ति अन्य समूहों जिन्हें वह अपना आदर्श मानता है और उनसे अपने व्यवहार की तुलना एवं मूल्यांकन करता है। साथ ही ये उसके व्यवहार पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं।[२]

इस संदर्भ में मर्टन का कहना है कि सामान्यतया संदर्भ समूह का उद्देश्य होता है- मूल्यांकन एवं आत्ममूल्यांकन की उन प्रक्रियाओं के निर्धारकों एवं परिणामों को व्यवस्थित करना जिनमें व्यवित एवं समूहों के मूल्यों अथवा मानकों को एक तुलनात्मक संदर्भ के रूप में लेता है।[३]

इस संदर्भ में इन्दिरा चौहान ने अपने अध्ययन में पाया कि ''एक कार्यालय में समान पदों में पदोन्नति के अवसरों में कमी, अधिकारियों द्वारा पक्ष लेने तथा बराबरी न होने के कारण समान पद के लोगों के संबंध काफी प्रभावित होते हैं।[४]

अतः सापेक्ष अभावबोध वह धारणा है जो व्यक्तियों या समूहों के मध्य तुलनात्मक दृष्टिकोण विकसित करती हैं। तुलना समान स्थिति या समान श्रेणी के व्यक्तियों अथवा ऐसे व्यक्तियों के साथ स्थायी संबंध हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। दो या दो से अधिक भूमिकाओं के मध्य जब विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है तब भूमिका संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। भूमिका संघर्ष की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति विभिन्न पद मर्यादाओं को धारण करके अपने जीवन में विरोधी भूमिकाओं का सामना करता है। एक कार्यरत महिला के संदर्भ में यदि भूमिका संघर्ष की स्थिति को देखा जाए तो उसका कार्यक्षेत्र घर तथा कार्यस्थल दोनों होने के कारण दोनों प्रकार की भूमिकाओं के उत्तरदायित्व का निर्वाह उसे अकेले करना पड़ता है अतः ऐसी स्थिति में भूमिका संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस संदर्भ में मृदुला का कथन है कि ''भारतीय समाज एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है जिसके कारण समाज में पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों के बीच एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विशेषकर समाज में महिलाओं को नई जिम्मेदारियों के कारण घर और बाहर दोहरी भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है। परिवार की बढ़ती आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप बढ़ते आर्थिक दबाव के कारण नौकरी करने को बाध्य होना पड़ता है।[५]

कार्यरत महिलाओं के समायोजन की समस्या के संदर्भ में कृष्णा चक्रवर्ती ने लिखा है कि अक्सर महिलाओं को यह कहते हुए पाया गया है कि एक कार्यरत महिला घर और बाहर के कार्यों का निर्वाह भली प्रकार से नहीं कर पाती उनको इन दोनों में से एक का चुनाव करना ही पड़ता है। अन्यथा कार्य करने की स्थिति में वैवाहिक और मातृत्व के रूप में सुखी रहना बहुत मुश्किल है। साथ ही एक महिला से ही धार्मिक कार्यों को संरक्षित और जारी रखने की उम्मीद की जाती है।[६]

महिलाओं की स्थिति तथा भूमिका में कई परिवर्तन तो आए हैं, परंतु इन परिवर्तनों में कोई भी संरचनात्मक या विचारात्मक परिवर्तन नहीं आए हैं। अतः यह स्थिति एक महिला के लिए विशेष रूप से कष्टकारी हो जाती

Scanned with CamScanner

है, वह घर से बाहर कार्य तो अवश्य करती है परंतु साथ ही उन्हें परंपरागत स्त्रीत्व के प्रतिरूप में भी बंधना पड़ता है।[७]

शोषण एक सार्वभौमिक धारणा है, शोषण किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध कार्य करना या व्यवहार करना है। महिलाओं के संबंध में यदि शोषण की प्रक्रिया देखा जाए तो हमारे समाज में महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में प्राचीन काल से लेकर आज तक शोषण का शिकार हो रही हैं। डी० पाल के अनुसार "सामाजिक और आर्थिक विकास में सहभागिता के बावजूद एक महिला का स्तर असंतोषजनक है। इसका प्रमुख कारण है हमारे समाज में महिला के प्रति सामाजिक व्यवहार मानव द्वारा बनाए गए नियम और सामाजिक चलन जो उसके निम्न स्तर, बुरे व्यवहार और उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार हैं।[८]

संरचनात्मक हिंसा को Elise Bouldling परिवार के संरचनात्मक आदर्शों से जुड़ा मानती हैं। सांस्कृतिक आदर्श तथा मूल्य, साथ ही राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं एक विशेष समाज में निर्धारित करती हैं कि कौन हिंसा करेगा और कौन इसे सहेगा। समाज में कुछ व्यक्ति समाज की सुविधाओं से दूसरे के सापेक्ष अधिक वंचित रहते हैं। संरचनात्मक हिंसा से ही शारीरिक हिंसा की उत्पत्ति होती है। महिलाएं दोनों ही (संरचनात्मक और व्यवहारिक) महसूस करती हैं।[९]

ऐसा माना जाता है कि भूमिका तथा स्थिति परिवर्तन के साथ ही अनेक समस्याएं भी विकसित होती रहती हैं। पारिवारिक व्यवस्था में शोषण के साथ ही कार्यस्थल में भी अनेकों प्रकार की समस्याओं और शोषण का सामना करना पड़ सकता है। अनेकों अध्ययन इस बात की पुष्टि भी करते हैं।

अतः सार रूप में कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में एक महिला जो किसी भी कारणवश कार्यरत है या अर्थोपार्जन कर रही है। सदैव एक प्रकार के मानसिक तनाव से ग्रसित रहती है जिसमें महिला को सापेक्ष अभावबोध, भूमिका संघर्ष एवं शोषण का सामना करना ही पड़ता है। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त तीनों स्थितियों का आना तथा इस तीनों स्थितियों से उत्पन्न मानसिक तनाव उत्पन्न होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानी जा सकती है।

अध्ययन की प्रासंगिकता : जैसा कि यह सर्वविदित है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है जिससे कोई भी समाज अछूता नही रह सकता अर्थात स्थिर समाज की कल्पना नही की जा सकती। परिवर्तन के कारण ही महिलाओं का आजीविका हेतु व्यवसाय एवं धनोपार्जन करना सम्भव हुआ। वास्तव में यह आवश्यकता तथा परिवर्तन दोनों का ही सम्मिलित परिणाम है। आर्थिक रूप से सशक्त होने तथा धनोपार्जन के क्षेत्र में आने वाली महिलाओं का कोई एक विशेष समरूप समूह नही है। परिवार की आर्थिक मदद के साथ अपनी योग्यता एवं कुशलता को सिद्व करने के लिए भी महिलायें कार्यक्षेत्र में आती हैं। किन्तु महिलायें किसी भी रूप में कार्यक्षेत्र में आई हों उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। प्रस्तुत अध्ययन नैनीताल के नगरीय क्षेत्र में राजकीय कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं पर आधारित है, जिसमें घर तथा कार्यालय दोहरे उत्तरदायित्व के मध्य कार्य करने वाली महिलाओं में सर्वाधिक मानसिक तनाव उत्पन्न करने वाली कार्यगत् परिस्थितियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे-जैसे सरल समाज जटिल समाज में परिवर्तित होता है वैसे ही समस्यायें अधिक विकराल रूप ले लेती है। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत अध्ययन का महत्व यह है कि इतने वर्षो के पश्चात कार्यरत महिलाओं में इस प्रकार की मानसिक तनाव प्रकट करने वाली परिस्थितियों में वृद्धि हुई है या कमी, साथ ही इसकी गहनता क्या है। इसी निरन्तरता में मानसिक तनाव उत्पन्न करने वाली प्रमुख परिस्थितियां शोध के महत्वपूर्ण विषय हो सकते हैं।

शोध प्रारूप : प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य सर्वाधिक मानसिक तनाव उत्पन्न करने वाली कार्यगत परिस्थितियों (सापेक्ष अभावबोध, भूमिका संघर्ष तथा शोषण के विशेष सन्दर्भ में) का एक समाजशास्त्रीय

Scanned with CamScanner

विश्लेषण प्रस्तुत करना रहा है।

प्रस्तुत शोध नैनीताल जिले के नगरीय क्षेत्रों के शासकीय विभागों में कार्यरत महिलाओं पर आधारित है। अध्ययन में सभी श्रेणियों (प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ) की कार्यरत महिलाओं को सम्मिलित किया गया है। ३६ प्रमुख शासकीय विभागों में से केवल ११ विभागों में चारों श्रेणियों में महिलाएं कार्यरत हैं अतः अध्ययन हेतु इन्हीं विभागों को अध्ययन में सम्मिलित किया गया है।

प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की कार्यरत महिलाओं को समग्र तथा तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की कार्यरत महिलाओं के ५० प्रतिशत को दैव निदर्शन पद्धति की लाटरी विधि से चयनित किया गया। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन कुल ४६४ (१८, ३६, २५०, १६०) अध्ययन इकाइयों पर आधारित है।

प्रस्तुत अध्ययन मुख्य रूप से प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है तथा आंकड़े एकत्रित करने के लिए मुख्य रूप से साक्षात्कार अनुसूची तथा आवश्यकतानुसार असहभागी अवलोकन पद्धति का उपयोग किया गया है।

विश्लेषण : रूचि के अनुसार उपलब्ध कार्य किसी भी व्यक्ति की कार्यक्षमता को विकसित करता है परंतु एक महिला के संदर्भ में यदि देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि आज भी महिला को अपनी रूचि के क्षेत्र में कार्य नहीं मिल पाता है। अतः जो कार्य उपलब्ध है उसे स्वीकार करने के लिए वह बाध्य होती है। रूचिकर कार्यों की अनुपलब्धता निम्न सारणी से स्पष्ट होती है :

सारणी संख्या १

महिलाओं को रूचिकर कार्यों की अनुपलब्धता

वर्ग	योग		प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी		तृतीय श्रेणी		चतुर्थ श्रेणी	
सुख प्राप्ति	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	३४८	७५.०	१२	६६.७	३०	८३.३	१७०	६८.०	१३६	८५.०
नहीं	११६	२५.०	६	३३.३	६	१६.७	८०	३२.०	२४	१५.०
योग	४६४	१००	१८	१००	३६	१००	२५०	१००	१६०	१००

सारणी के आधार पर कहा जा सकता है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं को अपनी रूचि के अनुसार कार्य उपलब्ध नहीं है। इस संदर्भ में एक रूचिकर बात यह परिलक्षित होती है कि महिला के रूचिकर कार्य की अनुपलब्धता के संबंध में सकारात्मक मत (७५ प्रतिशत) नकारात्मक मत (२५ प्रतिशत) के लगभग तीन गुना अधिक हैं। इसी तरह श्रेणीगत आधार में भी प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ श्रेणी में इस प्रतिशत में (क्रमशः ६६.७ प्रतिशत, ८३.३ प्रतिशत तथा ८५ प्रतिशत) लगातार वृद्धि हुई है। केवल इस आवृति में तृतीय श्रेणी के उत्तरदाताओं का प्रतिशत (६८ प्रतिशत) कुछ घटा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि रूचिकर कार्यों की उपलब्धता के संदर्भ में उत्तरदाताओं में पुरूषों की तुलना में सापेक्ष अभावबोध पाया जाता है।

ऐसा समझा जाता रहा है कि धार्मिक रीति-रिवाज य कर्मकाण्ड केवल महिलाओं के लिए आवश्यक है। पुरूषों के लिए अनिवार्य नहीं है कि वह इनका पालन कठोरत से करें। निम्न सारणी में उत्तरदाताओं के इस संबंध में विचारों को प्रदर्शित किया है :

Scanned with CamScanner

सारणी संख्या २
धार्मिक नियम स्त्री पर लागू होते हैं पुरूषों पर नहीं

वर्ग	योग		प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी		तृतीय श्रेणी		चतुर्थ श्रेणी	
मत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
पूर्णतः सहमत	१२८	२७.६	६	३३.४	१२	३३.३	४६	१८.४	६४	४०.०
सहमत	१७४	३७.५	२	११.१	८	२२.२	७८	३१.२	८६	५३.७
आंशिक सहमत	६०	१२.६	२	११.१	६	१६.७	४४	१७.६	८	५.०
असहमत	५४	११.६	४	२२.२	६	१६.७	४४	१७.६	–	–
पूर्णतः असहमत	४८	१०.४	४	२२.२	४	११.१	३८	१५.२	२	१.३
योग	४६४	१००	१८	१००	३६	१००	२५०	१००	१६०	१००

उपर्युक्त सारणी के आधार पर कहा जा सकता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता (३७.५ प्रतिशत) इस मत से सहमत हैं कि धार्मिक नियम स्त्री पर लागू होते हैं पुरूषों पर नहीं। जबकि इस मत से केवल १०.४ प्रतिशत उत्तरदाता ही पूर्णतः असहमत हैं । श्रेणीगत आधार पर भी प्रथम और द्वितीय श्रेणी में सर्वाधिक उत्तरदाता (क्रमशः ३३.४ प्रतिशत तथा ३३.३ प्रतिशत) इस मत से पूर्णतः सहमत हैं। जबकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में भी सर्वाधिक उत्तरदाता (क्रमशः ३१.४ प्रतिशत तथा ५३.७ प्रतिशत) इस मत से सहमत हैं। इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं के ऊपर अभी भी परंपरागत धार्मिक नियमों का कठोरता से पालन करने की बाध्यता है जबकि पुरूषों पर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। यहां पर उत्तरदाताओं में सापेक्ष अभावबोध की भावना स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है कि वह एक पुरूष के समक्ष अपने को अभावग्रस्त महसूस करती हैं कि रीति-रिवाजों का पालन न करने की स्वतंत्रता केवल पुरूषों को ही प्राप्त है।

यद्यपि समाज ने कार्यरत महिलाओं को नई भूमिकाओं का भी निर्वाह करने की स्वीकृति प्रदान की है तथापि इस संबंध में महिलाओं से संबंधित परंपरावादी मान्यताएँ/ अपेक्षाएं विशेष परिवर्तित नहीं हुई हैं। उदाहरणार्थ अब भी घरेलू जीवन संबंधी समस्त जिम्मेदारियाँ केवल एक महिला की ही मानी जाती हैं। अतः एक महिला के लिए अपनी व्यवसायिक भूमिका तथा घरेलू भूमिका के निर्वाह में सामंजस्य स्थापित करना कठिनाईयुक्त हो जाता है। सारणी संख्या ३ इसी समस्या को प्रदर्शित करती है।

सारणी संख्या ३
दोहरी भूमिकाओं की मांगों में अपेक्षित सामंजस्य में कठिनाई

वर्ग	योग		प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी		तृतीय श्रेणी		चतुर्थ श्रेणी	
मत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
पूर्णतः सहमत	७४	१५.६	४	२२.२	१६	४४.४	४४	१७.६	१०	६.३
सहमत	१३०	२८.०	४	२२.२	६	१६.७	७२	२८.८	४८	३०.०
आंशिक सहमत	१३०	२८.०	४	२२.२	६	१६.७	५६	२२.४	६४	४०.०
असहमत	८२	१७.७	–	–	६	१६.७	५०	२०.०	२६	१६.२
पूर्णतः असहमत	४८	१०.४	६	३३.४	२	५.६	२८	११.२	१२	७.५
योग	४६४	१००	१८	१००	३६	१००	२५०	१००	१६०	१००

Scanned with CamScanner

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि उन उत्तरदाताओं का प्रतिशत समान (२८.० प्रतिशत) है जो इस मत से सहमत और आंशिक रूप से सहमत हैं कि प्रायः महिलाओं से जो उम्मीदें रखी जाती हैं उनके लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न कर देती हैं क्योंकि एक ही समय में दोहरी मांगों के बीच सामंजस्य स्थापित करना अत्यधिक कठिन हो जाता है। साथ ही १५.६ प्रतिशत उत्तरदाता इस मत से पूर्णतः सहमत हैं। जबकि इसे विपरीत १७. ७ प्रतिशत उत्तरदाता इस मत से असहमत तथा १०. ४ प्रतिशत उत्तरदाता इस मत से पूर्णतः असहमत हैं। श्रेणीगत आधार पर यदि देखें तो प्रथम श्रेणी के सर्वाधिक उत्तरदाता (३३.४ प्रतिशत) इस मत से पूर्णतः असहमत हैं जबकि उन उत्तरदाताओं का प्रतिशत समान है (२२.२ प्रतिशत) जो इस मत से पूर्णतः सहमत/सहमत/आंशिक रूप से सहमत हैं अर्थात् उन उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक है जो सामंजस्य संबंधी कठिनाई महसूस करते हैं, द्वितीय श्रेणी के सर्वाधिक उत्तरदाता (२८.८ प्रतिशत) इस मत से सहमत हैं। साथ ही १७.६ प्रतिशत उत्तरदाता इस मत से पूर्णतः सहमत तथा २२.४ प्रतिशत उत्तरदाता आंशिक रूप से सहमत हैं जबकि २० प्रतिशत उत्तरदाता असहमत तथा ११.२ प्रतिशत उत्तरदाता पूर्णतः असहमत हैं, इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी के सर्वाधिक उत्तरदाता (३० प्रतिशत) इस मत से सहमत हैं। साथ ही ४० प्रतिशत उत्तरदाता इस मत से आंशिक रूप से सहमत हैं तथा ६.३ प्रतिशत उत्तरदाता इस मत से पूर्णतः सहमत हैं। जबकि १६. २ प्रतिशत उत्तरदाता इस मत से असहमत हैं तथा ७. ५ प्रतिशत उत्तरदाता इस मत से पूर्णतः असहमत हैं। **यद्यपि एक** कार्यरत महिला की नई व्यवसायिक भूमिका को समाज में धीरे-धीरे स्वीकृति मिल रही है परंतु दैनिक जीवन शैली अब भी वही परंपरागत है। घरेलू समस्त जिम्मेदारियां आज भी केवल महिला की ही मानी हैं। अतः एक कार्यरत महिला घर तथा बाहर दोनों जिम्मेदारियों के अकेले निर्वहन से त्रस्त हो जाती है और तनाव महसूस करती है। निम्नांकित सारणी उत्तरदाताओं के इसी तनाव को प्रदर्शित करती है ।

सारणी संख्या ४

दोहरी जिम्मेदारियों के निर्वहन के कारण कार्यरत महिलाओं में तनाव

वर्ग	योग		प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी		तृतीय श्रेणी		चतुर्थ श्रेणी	
उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	३३०	७१.१	१२	६६.७	२०	५५.६	१५८	६३.२	१४०	८७.५
नहीं	८०	१७.३	६	३३.३	१४	३८.८	५०	२०.०	१०	६.३
कह नहीं सकते	५४	११.६	-	-	२	५.६	४२	१६.८	१०	६.२
योग	४६४	१००	१८	१००	३६	१००	२५०	१००	१६०	१००

जैसा कि उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाता (७१.१ प्रतिशत) इस मत से सहमत हैं कि घरेलू और कार्यरत दोनों प्रकार की जिम्मेदारियों के अकेले निर्वहन से वे त्रस्त हो जाते हैं जिससे अत्यधिक तनाव महसूस करते हैं। इसके विपरीत केवल ११.६ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस विषय में अपने कोई विचार व्यक्त नहीं किए, जबकि १७.३ प्रतिशत उत्तरदाता किसी भी प्रकार का तनाव महसूस नहीं करते। श्रेणीगत आधार पर भी चारों श्रेणियों की सर्वाधिक उत्तरदाता (क्रमशः ६६.७ प्रतिशत, ५५.६ प्रतिशत, ६३.२ प्रतिशत तथा ८७.५ प्रतिशत) इस तनाव को महसूस करते हैं। श्रेणीगत आधार पर आंकड़ों को देखने पर एक रोचक प्रवृत्ति यह परिलक्षित होती है कि सर्वाधिक तनावग्रस्तता चतुर्थ श्रेणी के उत्तरदाताओं में पाई जाती गई। सार रूप में कहा जा सकता है कि यहां पर उत्तरदाताओं में भूमिका संघर्ष स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है क्योंकि सर्वाधिक उत्तरदाता सारी जिम्मेदारियों के अकेले निर्वहन से तनाव महसूस करते हैं।

Scanned with CamScanner

शासकीय कार्यालयों में एक प्रमुख समस्या स्थानान्तरण की मानी जाती है और कार्यरत महिलाएं भी इससे अछूती नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जैसे- पति और बच्चों से अलग रहना, नए शहर में व्यवस्थित रूप से रहने संबंधी कठिनाइयां तथा अविवाहित होने की स्थिति में अकेले हो जाने संबंधी कठिनाइयां आदि। निम्न सारणी उत्तरदाताओं की स्थानांतरण संबंधी समस्या को प्रदर्शित करती है।

सारणी संख्या ५

स्थानान्तरण संबंधी समस्याओं से उत्पन्न तनाव

वर्ग	योग		प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी		तृतीय श्रेणी		चतुर्थ श्रेणी	
समस्याएं	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
पति और बच्चों के कारण हाँ	४३२	९३.१	१६	८९.९	३४	९४.४	२२८	९१.२	१५४	९६.३
नहीं	३२	६.९	२	११.१	२	५.६	२२	८.८	६	३.७
छोटे बच्चे-हाँ	४३८	९४.४	१६	८८.९	३२	८८.९	२३६	९४.४	१५४	९६.३
नहीं	२६	५.६	२	११.१	४	११.१	१४	५.६	६	३.७
नया शहर-हाँ	३९८	८५.८	१०	५५.६	३०	८३.३	२०६	८२.४	१५२	९५.०
नहीं	६६	१४.२	८	४४.४	६	१६.७	४४	१७.६	८	५.०
अविवाहित होने- हाँ	३९०	८४.१	१०	५५.६	१८	५०.०	२१६	८६.४	१४६	९१.३
नहीं	७४	१५.९	८	४४.४	१८	५०.०	३४	१३.६	१४	८.७
योग	४६४	१००	१८	१००	३६	१००	२५०	१००	१६०	१००

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को महसूस किया है। सर्वाधिक उत्तरदाता (९३.१ प्रतिशत) अपने पति और बच्चों को छोड़कर नहीं जा पाते। बच्चे यदि छोटे हों तो उन्हें साथ ले जाना संभव नहीं होता। इसी प्रकार ८५.८ प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह मानना है कि नए शहर में जाना मुश्किल हो जाता है जबकि ८४.१ प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि अविवाहित लड़कियों को अकेले जाने की अनुमति नहीं मिलती। श्रेणीगत आधार पर भी सर्वाधिक उत्तरदाता इस मत से समहत हैं कि स्थानांतरण से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्रथम श्रेणी के सर्वाधिक उत्तरदाता पति और बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहते (८९.९ प्रतिशत) साथ ही छोटे बच्चों के साथ होने वाली समस्या को भी महसूस करते हैं (८८.९ प्रतिशत), नया शहर (५५.६ प्रतिशत) तथा अविवाहित होने (५५. ६प्रतिशत) की समस्या को भी महसूस करते हैं, द्वितीय श्रेणी के सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने पति और बच्चों (९४.४ प्रतिशत), छोटे बच्चों (८८.९ प्रतिशत) और नए शहर की परेशानी (८३.३ प्रतिशत) को महसूस किया। परंतु ऐसे उत्तरदाताओं को प्रतिशत समान (५० प्रतिशत) है जो अविवाहित होने पर अकेले जाने की समस्या को महत्व दिया है/महसूस नहीं करते हैं। तृतीय श्रेणी के सर्वाधिक उत्तरदाता पति और बच्चों (९१.२ प्रतिशत) छोटे बच्चों (९४.४ प्रतिशत), नया शहर (८२. ४ प्रतिशत) तथा अविवाहित स्थिति (८६.४ प्रतिशत) संबंधी कठिनाई को स्वीकार करते हैं। चतुर्थ श्रेणी के सर्वाधिक उत्तरदाता पति और बच्चों (९६.३ प्रतिशत), छोटे बच्चों (९६.३ प्रतिशत), नया शहर (९५ प्रतिशत) तथा अविवाहित स्थिति (९१.३ प्रतिशत) संबंधी कठिनाई

Scanned with CamScanner

को स्वीकार करते हैं।

कार्यरत होने की स्थिति में एक कार्यरत महिला दोहरी जिम्मेदारियों के निर्वहन के कारण अधिक तनाव महसूस करती है और यह तनाव कई रूपों में प्रदर्शित भी होता है। निम्नांकित सारणी उत्तरदाताओं के तनाव की स्थिति को प्रदर्शित करती है :

सारणी संख्या ६

कार्यरत होने की स्थिति में अधिक तनाव को महसूस करना

वर्ग	योग		प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी		तृतीय श्रेणी		चतुर्थ श्रेणी	
तनाव	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	३२६	७०.३	१०	५५.६	२२	६१.१	१५०	६०.०	१४४	६०.०
नहीं	१३८	२६.७	८	४४.४	१४	३८.६	१००	४०.०	१६	१०.०
योग	४६४	१००	१८	१००	३६	१००	२५०	१००	१६०	१००

जैसा कि उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाता (७०.३ प्रतिशत) इस मत से सहमत हैं कि एक कार्यरत महिला दोहरी जिम्मेदारियों के कारण अधिक तनाव महसूस करती है। जबकि केवल २६.७ प्रतिशत उत्तरदाता ही इस तरह के तनाव को महसूस नहीं करते हैं। श्रेणीगत आधार पर भी चारों श्रेणियों के सर्वाधिक उत्तरदाता इस तरह के तनाव को महसूस करते हैं। सारणी में यह बात विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करती है कि चतुर्थ श्रेणी के उत्तरदाताओं में सर्वाधिक तनाव एवं प्रथम श्रेणी के उत्तरदाताओं में न्यूनतम तनाव व्याप्त है। द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के उत्तरदाताओं में तनाव की स्थिति समान है।

कार्यरत महिलाओं में मानसिक तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियाँ अनेक होती हैं। किंतु ऐसी मान्यता है कि एक कार्यरत महिला में सर्वाधिक तनाव उसका दोहरा उत्तरदायित्व उत्पन्न करता है। हमारे उत्तरदाता भी इस सामान्य मान्यता के अपवाद नहीं है। जैसा कि निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट होता है :

सारणी संख्या ७

सर्वाधिक मानसिक तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियाँ

वर्ग	योग		प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी		तृतीय श्रेणी		चतुर्थ श्रेणी	
परिस्थितियाँ	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
पुरूष सहकर्मी मानसिक रूप से शोषण करते हैं	५०	१०.८	२	११.१	८	२२.२	१६	६.४	२४	१५.०
स्त्री होने का ताना	८४	१८.१	२	११.१	४	११.१	३२	१२.८	४६	२८.८
दोहरा उत्तरदायित्व	२८४	६१.२	१०	५५.६	२०	५६.६	१६८	६७.२	८६	५३.८
कमाऊ स्त्री होने का ताना	२२	४.७	२	११.१	–	–	१८	७.२	२	१.२
स्त्री के दोनों कार्यों को महत्व न देना	२४	५.२	२	११.१	४	११.१	१६	६.४	२	१.२
योग	४६४	१००	१८	१००	३६	१००	२५०	१००	१६०	१००

जैसा कि उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाता (६१.२ प्रतिशत) यह स्वीकार करते हैं कि घर तथा कार्यस्थल दोहरे दायित्व के निर्वहन से सर्वाधिक मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, जबकि केवल ५.२ प्रतिशत उत्तरदाता यह स्वीकार करते हैं कि उन्हें इस बात से अधिक तनाव उत्पन्न होता है जब घर के अन्य

Scanned with CamScanner

सदस्य विशेष रूप से कार्य न करने वाली महिलाएं उसके दोनों कार्यों को कोई महत्व नहीं देती। श्रेणीगत आधार पर यदि देखें तो चारों श्रेणियों के सर्वाधिक उत्तरदाता (क्रमशः ५५.६ प्रतिशत, ५५.६ प्रतिशत, ६७.२ प्रतिशत तथा ५३.८ प्रतिशत) घर तथा कार्यस्थल दोहरे दायित्व के निर्वहन से ही सर्वाधिक मानसिक तनाव महसूस करते हैं। दोहरे उत्तरदायित्व के कारण जहाँ एक ओर महिलाओं में भूमिका संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है वहीं दूसरी ओर यही दोहरा उत्तरदायित्व उनमें मानसिक तनाव उत्पन्न करने का सर्वाधिक महतवपूर्ण कारण भी है। इसी दोहरे उत्तरदायित्व को महिलाओं के शोषित होने का भी एक प्रमुख कारण माना जा सकता है।

एक कार्यरत महिला कार्यस्थल में विभिन्न लोगों के संपर्क में आती है। कार्यस्थल में उसके सहकर्मी पुरूष भी होते हैं और स्त्री भी। परंतु यदि महिला किसी पुरूष से अच्छी मित्रता के संबंध रखती है तो उनके स्वस्थ संबंध भी सदैव शक के घेरे में आ जाते हैं। यह एक ऐसा सत्य है जिसे सर्वाधिक उत्तरदाता महसूस करते हैं। जैसा कि निम्नांकित सारणी से स्पष्ट होता है :

सारणी संख्या ८

पुरूष सहकर्मी के साथ मित्रता के संबंध का शक के घेरे में आना

वर्ग	योग		प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी		तृतीय श्रेणी		चतुर्थ श्रेणी	
मत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	३३०	७१.१	१२	६६.७	२८	७७.८	१६२	६४.८	१२८	८०.०
नहीं	७४	१६.०	६	३३.३	२	५.६	४२	१६.८	२४	१५.०
कह नहीं सकते	६०	१२.६	–	–	६	१६.६	४६	१८.४	८	५.०
योग	४६४	१००	१८	१००	३६	१००	२५०	१००	१६०	१००

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं (७१.१ प्रतिशत) ने स्वीकार किया है कि एक कार्यरत महिला यदि एक पुरूष से अच्छी मित्रता रखती हैं तो वह अच्छी दृष्टि से नहीं देखी जाती हैं और उसकी मित्रता पर सदैव शक किया जाता है। श्रेणीगत आधार पर भी चारों श्रेणियों की अधिकांश उत्तरदाताओं (क्रमशः ६६.७ प्रतिशत, ७७.८ प्रतिशत, ६४.८ प्रतिशत तथा ८०.० प्रतिशत) ने भी यह माना है कि ऐसे संबंध सदैव शक के कारण बनते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि यदि समाज ने महिलाओं का स्वतंत्र रूप से नौकरी करना स्वीकार किया है परंतु अब भी समाज ने महिला और पुरूष की समान व स्वस्थ मित्रता को स्वीकार नहीं किया है। यह एक ऐसा मानसिक उत्पीड़न है जो महिला में सर्वाधिक मानसिक तनाव उत्पन्न करता है। यह स्थिति कभी-कभी इतनी विस्फोटक होती है कि इससे विवाहित महिला का घरेलू जीवन तनावग्रस्त हो जाता है।

निष्कर्ष- संपूर्ण विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं को अपनी रुचि के अनुरूप कार्य उपलब्ध नहीं हो पाता अतः रूचिकर कार्यों की अनुपलब्धता के संदर्भ में उत्तरदाताओं में सापेक्ष अभावबोध पाया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कार्यरत होने के पश्चात भी महिलाओं के ऊपर धार्मिक नियमों को कठोरता से पालन करने की बाध्यता है, जबकि पुरूषों पर इस प्रकार की कोई बाध्यता नही होती है। अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना है कि घरेलू और कार्यरत दोनों प्रकार की जिम्मेदारियों के अकेले निर्वहन से वे त्रस्त हो जाते हैं जिससे अत्यधिक तनाव उत्पन्न होता है। एक समय में दोहरी भूमिकाओं की मांगों में अपेक्षित सामंजस्य स्थापना संबंधी कठिनाईयों को अधिक उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है साथ ही स्थानान्तरण के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या को सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है क्योंकि परिवार, पति तथा बच्चों को छोड़कर जाना संभव नहीं

Scanned with CamScanner

हो पाता जो सर्वाधिक मानसिक तनाव उत्पन्न करता है। दोहरी जिम्मेदारियों से उत्पन्न अनेकों तनावों को अधिकांश उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है, जो क्रोध के रूप में बाहर निकल कर आता है। अध्ययन में पाया गया कि अर्थोपार्जन करने वाली महिला की नई मांगों तथा आशाओं का उसकी पारिवारिक व्यवस्था में कोई स्थान नहीं होता। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि समाज ने महिलाओं का स्वतंत्र रूप से नौकरी करना स्वीकार किया है परंतु अब भी समाज ने महिला और पुरूष की समान व स्वस्थ मित्रता को स्वीकार नहीं किया है। यह एक ऐसा मानसिक उत्पीड़न है, जो महिला में सर्वाधिक मानसिक तनाव उत्पन्न करता है। यह स्थिति कभी-कभी इतनी विस्फोटक होती है कि इससे विवाहित महिला का घरेलू जीवन तनावग्रस्त हो जाता है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि अधिकांश महिलाएं आज अर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना अनिवार्य मानती हैं। अब न केवल महिलाएं अधिक दबाव के कारण लाभप्रद वैतनिक नौकरियां कर रही हैं बल्कि वह महिलाएं भी घर से बाहर निकल कर कार्य करती हैं जो अपनी योग्यता; कार्य कुशलता को सिद्ध करना चाहती हैं तथा आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर एक बेहतर जीवन स्तर बिताना चाहती हैं। अतः ऐसे में आवश्यक है कि उसे एक स्वस्थ वातावरण तथा परिवेश प्राप्त हो सके, किंतु यह भी वास्तविकता है कि समाज अब भी पूर्णतया पारंपरिक ही है जिससे एक महिला की कार्य के साथ-साथ कई प्रकार के मानसिक तनावों से भी होकर गुजरना पड़ता है, जिससे उसकी कार्यक्षमता भी प्रभावित होती है।

संदर्भ

1. Stouffer S.A. et. Al. 'The American Soldier, I : Adjustment During Army Life' Priceton University press-1947, p. 125.
2. Hyman H.H, 'The Phychology of Status' Archives of Psychology, 1942, p. 169
3. Merton R.K., 'Social theory and social Structure', The free Press 1963, Enlarged Indian Edition, New Delhi. Amerind Publishing Co., 1969. pp. 40-41.
4. Chauhan Indira, 'The Dilemma of working women hostelers', B.R. Publishing Corporation, Delhi, 1986, p. 45.
5. Bhaduria Mirdula, 'Women In India' , A.P.H Publishing corporation. New Delhi-1997, p. 82.
6. Chakraborhy Krishna. 'The Conflicting World of working mother'. pp. 46-47.
7. Jha Shankar Uma and Premlata 'Indian Women Today Tradition, Modernity and Challenges', Col-3-Kanishka Publishers and Distributers, New Delhi, 1998 p. 150
8. Chowdhry Paul D. 'Women Welfare and Development', A Source Book Inter India Publication, New Delhi,1991, p. 59
9. Boulding Elise 'Women and Social Vialence', in 'Vioelence and its Causes' "Paris Unesco, 1981, pp. 239-51.

Scanned with CamScanner

S N: 356

- Volume 11, Issue 3, September-December 2017

- Print - ISSN : 0974-5041
- Online - ISSN : 2249-0035

The Journal of UGC-HRDC Nainital

Quest

Inter-disciplinary Journal

IndianJournals.com
A product of Diva Enterprises Pvt. Ltd.

Print ISSN : 0974 - 5041
Online ISSN : 2249 - 0035

QUEST The Journal of UGC-HRDC Nainital
Volume 11, Issue 3, September-December 2017

Contents

Page No.

Measuring User's Satisfaction: A Case Study of Doon University Library — 205-215
Ashish Kumar

Marital Rape: An Overview — 216-223
Ayan Hazra

Judicial Activism and Fundamental Rights in India — 224-227
S.S. Hasani

Ornaments of Status: Meghwals' and Social Mobility in the Early-Twentieth-Century Rajasthan (1901–1946) — 228-236
Neha Kanwar, Ravindra Singh Basera and Nirmal Singh Basera

An Analytical Study of the Fundamental Right to Education in India — 237-243
Nupur Sony

An Overview of Economic Planning and Policy Formulation in the Pre-liberalisation Period in India (1950–1990) — 244-250
Onkar Chaturvedi and Divya Upadhyay Joshi

Political Awareness among Tribes: A Comparison between Two Villages of Jammu and Kashmir and Uttarakhand — 251-256
Banti Kumar and Pawan Kumar

Museum as an Instrument of Change: A Reference to the New Breed of Museums in India — 257-262
R.V. Ramana

ORCiD: An Introduction — 263-267
Rajneesh Kumar and Ashish Kumar

Adventure Tourism in Nainital: An Evaluatory Analysis of Tourist Satisfaction and Safety against Involved Risks — 268-282
Vikram Vir Bharti

The Transitional World of Expatriate Writers and Hybrid Identities — 283-287
Saumyata Joshi

S N: 356

Quest - The Journal of UGC - HRDC Nainital
Volume 11, Issue 3, September-December 2017 : 244-250

DOI: 10.5958/2249-0035.2017...

IndianJournals

An Overview of Economic Planning and Policy Formulation in Pre-liberalisation Period in India (1950–1990)

Onkar Chaturvedi[1] and Divya Upadhyay Joshi[2]*

ABSTRACT

Economic planning in India was aimed at activating the stagnated economy by promoting private initiative wi... guidance and animating the market forces to promote saving, investment, augmenting supplies for domestic... export needs. Increasing the extent of resource use was treated as essential for bridging the gap between demand... supply to stabilise the prices. To attain the goal of socialist pattern of society, comprehensive planning was f... appropriate. This needed sociocultural and structural changes. In some sectors, planning by direction and regula... planning was recommended. India adopted indicative planning under state guidance. A typical admixture of plan... design was introduced including planning by inducement and decentralise 3D planning as against centr... planning in socialist models. The intended objective was to reach planning from below. Strong efforts had been... to follow Mahalanobis model on emphasising our industrial growth, infrastructure, transport and services. ... industry promotion and small sector growth were emphasised.

Keywords: Economic planning, Policy formulation, Pre-liberalisation, India

INTRODUCTION

The story of India's development since independence has a special fascination for adopting those development objectives which had no precedent anywhere in the world. After the struggle of many years, India came into existence as a sovereign power with array of socio-economic challenges. India was facing challenges of poverty, low per capita income, underdevelopment, unemployment, which prompted the newly established Indian polity to adopt economic planning for the development of the country. Though the planned policy development came into existence after independence, it has its deep roots in the period of colonial period. Thus, the history of planning in India can be divided into three periods: before 1947, 1951–1991 (pre-liberalisation period) and 1991 (post-liberalisation period) onwards. This paper is an attempt to give a historical overview of Indian policy planning in pre-liberalisation period.

THE GENESIS OF ECONOMIC PLANNING ... INDIA

To understand the policies and planning which ... adopted by India after independence, it is essenti... know the background of it. The idea of econ... planning in India can be traced much earlier, even ... to the independence. 'The idea of economic pla... gained currency in India during and after the ye... the Great Agricultural Depression (1929–1933). Th... Government of India was by and large guided by a ... of leaving economic matters to individual indust... and traders' (http://www.economicsdiscussi... economic-planning/indias-economic-plans-hi... characteristics-and-objectives/6467). It is ... surprising that blueprints for India's planning fir... from an engineer-administrator, M. Visvesvar... 1934. He is regarded as the pioneer in talkin... planning in India as a mere economic exercise. ...

[1]Research Scholar, Department of Political Science, DSB Campus, Kumaun University, Nainital, Uttarakhand, India
[2]Department of Political Science, DSB Campus, Kumaun University, Nainital, Uttarakhand, India
*Corresponding author email id: divyauj@gmail.com

S N: 357

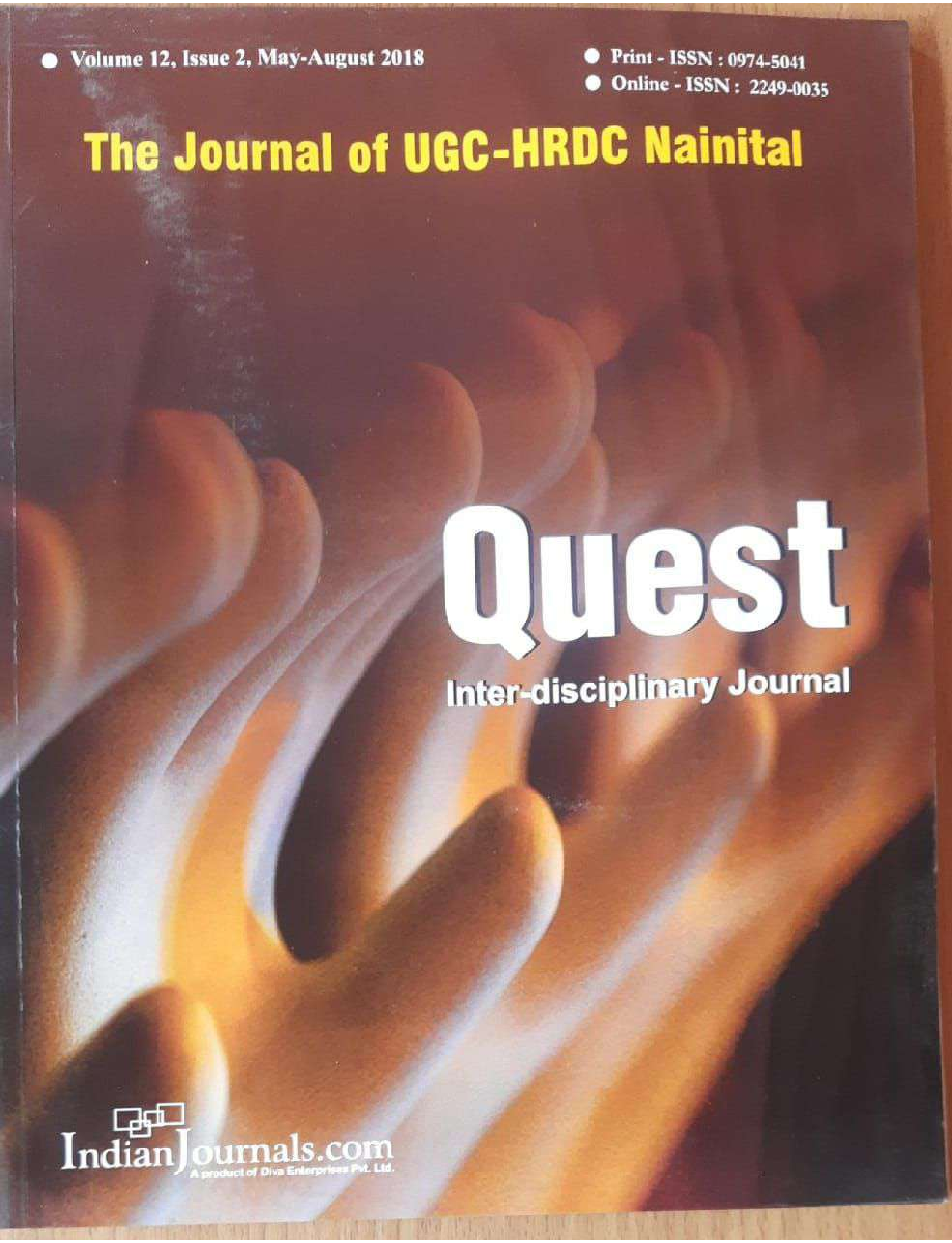

Volume 12, Issue 2, May-August 2018
Print - ISSN : 0974-5041
Online - ISSN : 2249-0035
The Journal of UGC-HRDC Nainital
Quest
Inter-disciplinary Journal
IndianJournals.com
A product of Diva Enterprises Pvt. Ltd.

Print ISSN : 0974 - 5041
Online ISSN : 2249 - 0035

QUEST The Journal of UGC-HRDC Nainital
Volume 12, Issue 2, May-August 2018

Contents

	Page No.
Education on Water Scarcity and Sustainability of Water-Supply *Chandrawati Joshi and Anita Joshi*	131-135
Traditional Water Harvesting Practices of Almora in Kumaon Region *Kiran Tewari*	136-140
Sustainable Development, Traditional Knowledge and Biodiversity Conservation in Indian Himalaya *Priyanka N. Ruwali*	141-149
Comparative Study of Spiritual Intelligence and Religiosity among Indian and Foreign Tourists in Religious Places in Uttarakhand *Arun Kumar, S.K. Srivastava and Naveen Pant*	150-156
Identity Crisis for Transgender in India: A Case-study from Madhya Pradesh *Akhand Sharma*	157-167
Looking at a Teacher in Manoj Das's *Prithviraj's Horse* *Rabindra Kumar Kar and Ashok Kumar Mohanty*	168-176
An Analytical Study of the Political Dimensions of Economic Reforms Policies in India *Onkar Chaturvedi and Divya Upadhyaya Joshi*	177-181
Thoreau and Gandhi: The Two Harbingers of World Peace *Suchitra Awasthi*	182-188
Effectiveness of Multimedia Instructional Package (MMIP) on Students' Achievement in Science *Indira Dhull and Deepa Bisht*	189-199

Printed and Published by: DIVA Enterprises Pvt. Ltd. on behalf of UGC-HRDC, Kumaun University, Nainital, Uttarakhand, India, **Printed at:** 208 A/14A , Savitri Nagar, New Delhi 110 017, **Published at:** DIVA Enterprises Pvt. Ltd., B-9, A-Block, LSC, Naraina Vihar, New Delhi-110028, **Editor-in-Chief:** Prof. B.L. Sah

Quest - The Journal of UGC - HRDC Nainital
Volume 12, Issue 2, May-August 2018 : 177-181

S N: 357

DOI: 10.5958/2249-0035.2018.00025.6

IndianJournals.com
A product of Diva Enterprises Pvt. Ltd.

An Analytical Study of the Political Dimensions of Economic Reforms Policies in India

Onkar Chaturvedi* and Divya Upadhyaya Joshi

Received: 18-2-2018; Accepted: 12-6-2018

ABSTRACT

The paper attempts an analysis of the economic reforms initiated in India in the era of liberalisation, Privatisation and globalisation which began in the 1990s growth is an important tool for enhancing living conditions. Its reach and impact depend greatly on what is done with the fruits of growth. The relation between economic growth and advancement of living standards depends on many factors, including economic and social inequality in general, and no less importantly, on what the government does with the public revenue that is generated by economic growth. The importance of economic growth can be adequately understood only in this broader context. It is necessary to recognise the role of growth in facilitating development in the form of enriching human lives and enhancing freedoms. The growth possibilities of a country depend in turn on the advancement of human capabilities (through education, healthcare and other facilities), in which the state can play a very constructive part.

KEYWORDS: Political dimensions, Economic reforms, Welfare policies, India, Federalism

When India began undertaking a sustained programme of economic reforms in the early 1990s, the country faced two gigantic failures of economic governance. The first was a failure to tap the constructive role of the market, particularly in terms of fostering initiative, promoting efficiency and coordinating complex economic cooperations. The so-called Licence Raj – making it necessary to have governmental permission for private initiatives – made economic enterprise extremely difficult and put it at the mercy of bureaucrats, thereby stifling initiatives while nurturing corruption considerably. This particular failure has been partially remedied in the post–reform period through removal of arbitrary controls and greater openness in international trade which has helped India to achieve a stable base for high rates of economic growth. There is more to be done, both in simplifying or removing counterproductive regulations and ensuring that regulation is well-aimed, effective, transparent and not easily amenable to corruption (Ibid. p. 39).

This paper attempts an analysis of political dimensions of economic reforms policies in India through a theoretical analysis of secondary data. The conceptual framework interlinks the concepts of democratic federalism with welfare economics.

However, there was also an urgent need to address another failure – a resounding failure to harness the constructive role of the state for growth and development. Although there was plenty of government intervention in the pre-reform period, it was mainly of a negative or restrictive kind, neglecting, at the same time, huge fields of constructive role could have achieved a great deal. There has been a sluggish response to the

How to cite this article: Onkar Chaturvedi and Divya Upadhyaya Joshi, 2018. An Analytical Study of the Political Dimensions of Economic Reforms Policies in India. *Quest - The Journal of UGC - HRDC Nainital*, Vol. 12, No. 2, pp. 177-181.

Research Scholar, DSB Campus, Kumaun University, Nainital, Uttarakhand, India
*Corresponding author email id: ochaturvedi3@gmail.com

S N: 358

DOI: 10.5958/2249-0035.2017.00023.7
IndianJournals.com
A product of Diva Enterprises Pvt. Ltd.

Quest - The Journal of UGC - HRDC Nainital
Volume 11, Issue 2, May-August 2017 : 174-181

Gender and Green Governance in Himalayas: A Review of the Major Theoretical Concerns

Divya Upadhyay Joshi

ABSTRACT

Green thinkers and theorists have in the past century tried to go beyond traditional models of research and theory in environmental studies and to seek green alternatives for the future. Research on gender and green governance in most disciplines has focused mainly on women's near absence from forestry institutions. Environmentalists studying environmental collective action and green governance have paid little attention to the question of gender. Interdisciplinary researches have in the past three decades attempted to present an analysis that is conceptually sophisticated and statistically rigorous, using primary data on community forestry institutions in Himalayan regions of India and Nepal. All researches and theoretical constructions share the basic view that to be effective and legitimate, the governance of sustainable development requires bottom up planning and people's participation. There is an ongoing focus in theory on the intersection between gender and climate change and also alarm on how there are still many obstacles impeding the inclusion and influence of a number of different marginalised groups, including women in green governance in mountain regions of India. All emergent theories reaffirm that green governance is increasingly significant at the academic and empirical level as it is critical to the management of natural resources and sustainable development.

Keywords: Gender, Green governance, Himalayas, Theoretical concerns, Natural resource management, Sustainable development, Marginalized groups

INTRODUCTION

Green governance is increasingly significant at the academic and empirical level as it is critical to the management of natural resources and sustainable development. Effective green governance has several implications for development in mountain regions especially given the wide-ranging impacts of climate change and ecological degradation on communities with the least capacity to adapt. The current debate on the intersection between gender and climate change has brought into focus how there are still many obstacles impeding the inclusion and influence of a number of different groups in green governance in mountain regions of India. The most important group of stakeholders that remains marginalised in green governance in these regions is the women. The role of women of local communities in green governance and natural resource management has long been ignored by development administrators.

Green thinking invites us to go beyond old models, which traditional green thinking has always done, but it also asks us to go beyond those traditional green alternatives as well and listen to the future that seeks to emerge. To be effective and legitimate, the governance of sustainable development requires the participation of a diverse set of actors ranging from transnational civil society groups to indigenous peoples. There is great variance in the extent to which the current system of governance in various parts of the world and also within India allows for the participation of diverse actors especially of the women.

Associate Professor, Department of Political Science, Kumaun University, Nainital, Uttarakhand, India
Email id: divyaujoshi@gmail.com